खण्ड-197, अंक-5
सोमवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(1 सितम्बर, 1958 ई0)

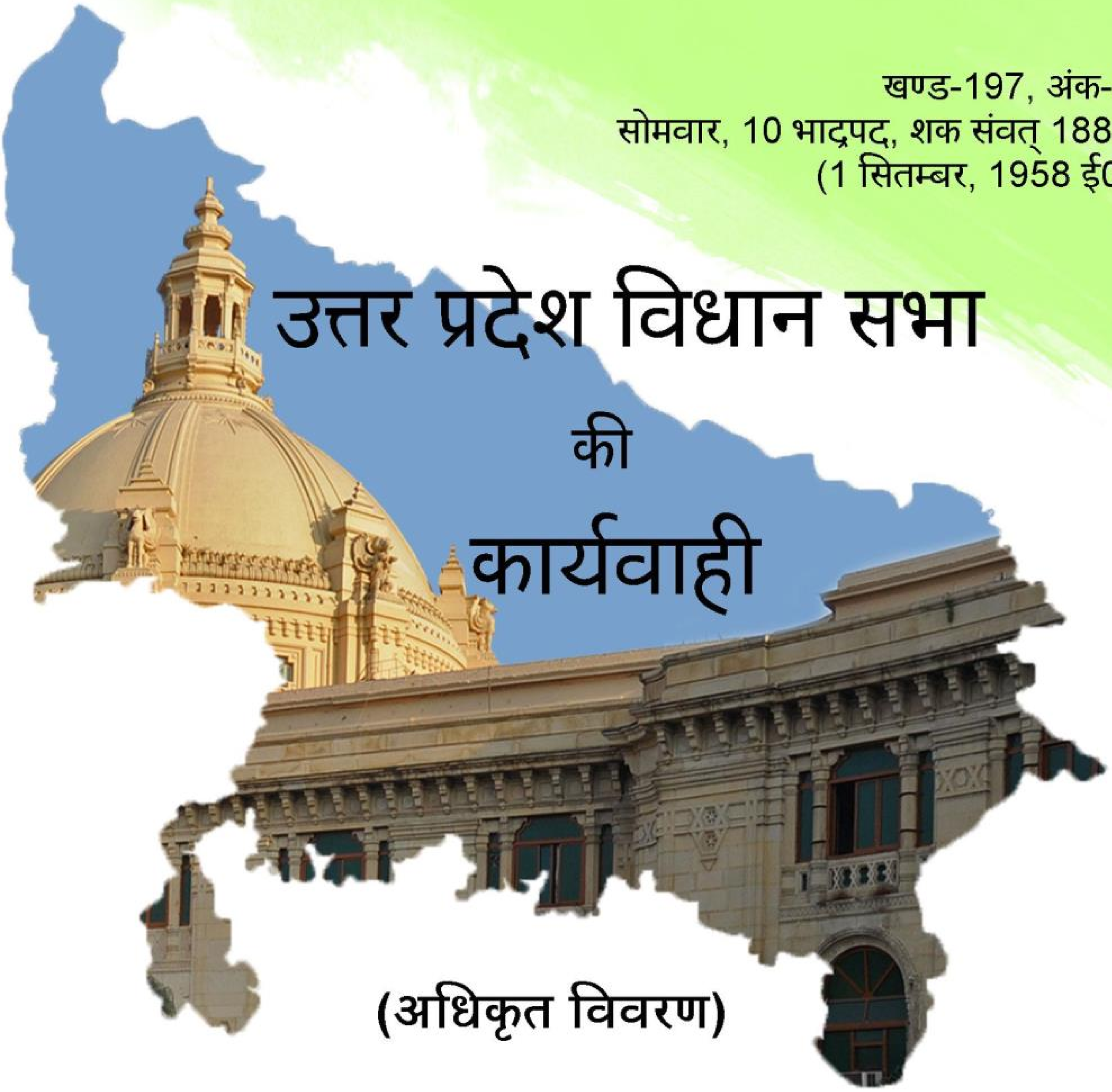

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार १ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी मनहोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले की टोड़ी नदी को गहरी करने की आवश्यकता

**१—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाढ़ विभाग द्वारा फैजाबाद जिले की तहसील अकबरपुर में स्थित टोड़ी नदी की खुदाई शुरू हो गई है ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति)—फैजाबाद जिले की तहसील अकबरपुर में स्थित टोड़ी नदी की खुदाई आरम्भ नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि मुख्यतः नदियों को चौड़ा या गहरा करने और उनको ठीक बहाव पर लाने के लिये बहुत धन की आवश्यकता होती है ।

श्री बलवानसिंह—क्या मैं जान सकता हूं कि वहां के लिये फ्लड कमेटी ने कोई सिफारिश की थी और इंजीनियर्स से कोई मुआयना कराया गया था ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, इस तरह की रिपोर्टस तो हमारे पास आती ही रहती हैं, लेकिन चूंकि फ्लड प्रोग्राम कम कर दिया गया है जैसा कि मैंने पहले भी एक दो बार बताया था कि इस साल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ रुपया फ्लड के लिये मिला था, लेकिन उस में अब २ करोड़ की कमी हो गई है और इसी कारण से काफी काम रह गये ।

श्री बलवानसिंह—मेरा सवाल यह था कि क्या वहां के लिये फ्लड कमेटी ने कोई सिफारिश की थी ?

श्री राममूर्ति—इस के बारे में मुझे नहीं मालूम है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस खुदाई के बारे में सरकार ने कोई एस्टीमेट बनवाया है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि नदियों को गहरा करने और उन के बहाव को तरतीब देने के बारे में कोई एस्टीमेट नहीं बनता, क्योंकि इस काम को करने के लिये करोड़ों रुपया चाहिये इसलिये वह नहीं किया जाता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टोड़ी नदी की खुदाई के सम्बन्ध में जो सर्वे हुआ था वह रिपोर्ट उन के पास कब पहुंची ?

श्री राममूर्ति—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बलवानसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके लिये कितने रुपये की वहां जरूरत होगी ?

श्री राममूर्ति—रुपया का सवाल इसलिये नहीं उठता क्योंकि नदियों का बहाव आमतौर पर बदलने का हमारा इरादा नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

मेरठ विश्वविद्यालय खोलने की मांग

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या दिसम्बर, सन् १९५७ में उनके मेरठ आगमन पर मेरठ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उनसे कोई डेपुटेशन मिला ? यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या मांग उपस्थित की ।

शिक्षा उप मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां, मांगों की छपी पुस्तिका की एक हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति दी गई थी ।

*२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई आश्वासन मेरठ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में डेपुटेशन को दिया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, विशेष रूप से कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया था । यह अवश्य कहा गया था कि सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है ?

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार कबतक कर सकेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—सहानुभूति से विचार तो सरकार कर ही रही है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई कमेटी उन्होंने नियुक्त की है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, एक विभागीय उप-समिति नियुक्त हुई है और उसे लगभग ९ महीने हो चुके हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—क्या प्रगति की है, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है । समिति के सदस्य संयुक्त संचालक हैं और मेरे विचार से उपसंचालक हैं मेरठ रीजन के और संभवतः प्रिंसिपल भी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ऐसा बन्दोबस्त करेगी कि अगले वर्ष के पहले समिति की रिपोर्ट आ जाय और उसपर सरकार विचार कर ले ?

श्री कैलाशप्रकाश—समिति को लगभग एक वर्ष का समय दिया गया था, उस समय के अन्दर रिपोर्ट आ जायगी ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ में यूनिवर्सिटी अब तक न खुलने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं जोकि प्रदेश में अन्यत्र यूनिवर्सिटी खोलने में नहीं थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्यत्र तो श्रीमन्, बहुत दिनों से यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं । मेरठ में जो विशेष कठिनाई है वह यही चीज देखने की है कि उसमें जितना खर्चा होगा उसका क्या इन्तजाम हो सकता है ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के डेप्यूटेशनिस्ट्स ने कुछ कोष भी इकट्ठा कर लिया है, इसकी सूचना भी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कुछ कोष इकट्ठा करने में तो लगे थे वह ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ में नया विश्वविद्यालय खोलने से जो कठिनाइयां आगरा विश्वविद्यालय के लिये उपस्थित होंगी, उन पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जब प्रश्न पर विचार होगा तो सभी पहलुओं पर विचार होगा, एक पर तो हुआ नहीं करता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो मेरठ यूनिवर्सिटी खोलने का विचार चल रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी के खोलने का लक्ष्य ऐकेडेमिक स्टडी के लिये है या कोई स्पेशल स्टडी का लक्ष्य है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यूनिवर्सिटी खोलने का जो विचार है वह इसलिये है कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसा वहां वालों का कहना है और वह यह समझते हैं कि उधर भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिये जिससे कि उस क्षेत्र में शिक्षा का प्रबंध और व्यवस्था ठीक हो सके ।

उन्नाव जिले में लोन नदी पर अढौली ग्राम के पास पुल बनवाने की मांग

*३---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास जिला उन्नाव की पुरवा तहसील के अधिकांश गांव प्रधानों, प्रमुख नागरिकों एवं सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से गत फरवरी, मार्च मास में लोन नदी पर अढौली ग्राम के पास पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री राममूर्ति---जी हां ।

*४---श्री भगवतीसिंह विशारद---यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना-पत्र में यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र की नहरों का बेकार पानी नदी में बहाया जाता है ?

श्री राममूर्ति---जी हां ।

*५---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सिंचाई राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति---लोनी नदी बरसात के ३ महीनों में पैदल पार नहीं की जा सकती है । इसके लिये अतिरिक्त बाकी महीनों में केवल एक या दो दिन के लिये नहर का पानी खारिज होने से भी पार नहीं की जा सकती है । अतः पुल बना देने का उत्तरदायित्व नहर विभाग पर नहीं है । उक्त प्रार्थना-पत्र को अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है कि अन्तरिम जिला परिषद् ने कुछ नहीं किया है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मुझे यह नहीं मालूम कि परिषद् ने क्या किया, लेकिन एक तजवीज मैं दे सकता हूं कि बजाय पुल बनाने के वह यह दरख्वास्त दें कि नाव डाल दी जाय तो काम पूरा हो सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अंतरिम जिला परिषद् किस तरह से कार्यवाही कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उन्नाव जिला परिषद् की स्थिति बड़ी खराब है इसलिये कुछ स्कूल बन्द कर दिये हैं । इसको देखते हुये मंत्री जी कुछ सहायता करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—नाव बनाने में जो कुछ रुपया खर्च होगा उसमें मैचिंग ग्रान्ट देने के लिये इर्रीगेशन विभाग तैयार होगा ।

हाथरस तहसील में नल-कूप योजना

*६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तहसील हाथरस में कितने नये नलकूप लगाने की योजना है, तथा कितने मील लम्बे-बम्बे तथा माइनरों के बढ़ाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ में सात नलकूपों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । हाथरस ब्रांच में पानी की कमी के कारण तहसील हाथरस में नई माइनर बनाने की कोई योजना नहीं है ।

*७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तहसील हाथरस के बरमाना माइनर की टेल को, जिसका पानी प्रतिवर्ष भरा रहता है और जिससे फसल नष्ट होती रहती है और लम्बा कर उस पानी का सिंचाई के लिये उपयोग करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति—तहसील हाथरस में बरमाना नाम की कोई माइनर नहीं है ।

*८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस के नलकूपों में से कितने चालू हालत में हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं और क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस विभाग से संबंधित हाथरस तहसील में ३९ राजकीय नलकूप हैं जिनमें से ३८ नलकूप सिंचाई के हेतु चालू हैं । केवल नलकूप नम्बर ४३ हाथरस ग्रुप बिजली द्वारा संबंधित न होने के कारण चालू नहीं हुआ है ।

आजमगढ़ जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० अप्रैल, १९५८ को आजमगढ़ के कितने राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—३६ ।

*१०-११—श्री रामचन्द्र विकल—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण १५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

लखनऊ में मोटर दुर्घटनायें

*१२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में १-१-५८ से ३१-५-५८ तक कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस अवधि में कुल २५ मोटर दुर्घटनायें हुईं ।

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी—कितने आदमी व बच्चे इन दुर्घटनाओं से मरे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इन दुर्घटनाओं में एक आदमी व ६ बच्चों की मृत्यु हुई ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दुर्घटनायें शहर की किन-किन प्रमुख सड़कों पर हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मुख्य रूप में लखनऊ-कानपुर रोड पर हुई हैं। मेरे पास पूरी सूचना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घटनावार सूची पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---६-७ हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, २५ घटनायें हैं।

श्री अध्यक्ष---इतनी लम्बी सूची के पढ़े जाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गनेशीलाल चौधरी---इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री कैलाशप्रकाश---एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही अर्ज किया जा चुका है कि कुछ दुर्घनायें तो ट्रकों के चालकों की लापरवाही के कारण हुआ करती हैं। जो निर्धारित गति होती है उससे अधिक गति से वह मोटर चलाते हैं। इसकी देखभाल के लिये कोशिश की जा रही है। विशेषकर पुलिस भी इस बात में सतर्क है और जो चालक हैं उनको भी इसके लिये आगाह कर दिया गया है और आर. टी. ओ. की तरफ से जो दल इसकी देखभाल के लिये मुकर्रर है, वह भी काम कर रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें कितनी दुर्घटनायें सरकारी बसों द्वारा हुईं और कितनी प्राइवेट बसों द्वारा हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह ब्यौरा देने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह---मरने वालों के वारिसों को कुछ मुआवजा दिया गया या उनकी कुछ सहायता की गई ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उनको मालूम नहीं है और उन्होंने नहीं बताया कि सरकारी बसों से कितनी घटनायें हुईं, इसलिये यह सवाल उठता नहीं है।

श्री गेंदासिंह---मेरा मतलब यह है कि जिन ट्रकों से लोग दबे उनसे किसी तरह का हर्जाना उनके वारिसों को दिलाया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ड्राइवरों के खिलाफ लखनऊ में ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में कितने मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---१५ मुकदमें न्यायालय में भेजे गये। ४ की अभी जांच हो रही है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ५ महीने में २५ दुर्घटनायें हुयी हैं आगे इस बात पर विचार करेगी कि लाइसेंस देते समय इस बात की जांच कर लें कि वह ड्राइवर शराब पीता है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---लाइसेंस देते वक्त जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी जांच हो ही जाती होगी। लेकिन माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं कि यह कैसे पता लगेगा कि कौन शराब पीता है या नहीं और किस वक्त पियेगा या नहीं पियेगा।

शिक्षितों के प्रतिशत का सर्वे

*१४---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने कोई ऐसा सर्वे कराया है जिससे सरकार यह बता सके कि इस प्रदेश के किस जिले में शिक्षा का प्रतिशत अधिकतम है ? यदि हां, तो किस जिले में शिक्षा का प्रतिशत अधिकतम है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, ऐसा सर्वे प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कराया गया है। देहरादून में शिक्षितों का प्रतिशत अधिकतम है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---यह सर्वे कब कराया गया है तथा देहरादून के शिक्षितों का क्या प्रतिशत है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सर्वे मार्च, १९५७ का है। देहरादून का प्रतिशत ५६.१ है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा का न्यूनतम प्रतिशत किस जिले में है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, सूची तो लम्बी है। गोंडा में २१.१ है। सबसे कम रामपुर में है १६.९ ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सर्वे के फलस्वरूप इस समय प्रदेश में औसत शिक्षा का प्रतिशत क्या हो गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---पूरे प्रान्त का तो लगभग ३२ है।

सूचना विभाग द्वारा सरकारी विभागों के प्रगति विवरण के प्रकाशन पर व्यय

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में सूचना विभाग द्वारा किस-किस सरकारी विभाग के प्रगति विवरण प्रकाशित किये गये और उक्त विवरण पुस्तकों अथवा पुस्तिकाओं की कुल कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---१९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में सूचना विभाग द्वारा, माल, खाद्य एवं रसद, नियोजन एवं विकास, वन तथा सूचना विभाग के प्रगति विवरण प्रकाशित किये गये। उक्त पुस्तिकाओं में नियोजन एवं विकास की मुद्रण संख्या १,००० तथा अन्य पुस्तिकाओं में प्रत्येक की मुद्रण संख्या २,००० थी।

*१६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रचार पुस्तिकाओं की छपाई, कागज खरीद, मुद्रण आदि में कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन---उक्त प्रचार पुस्तिकाओं की छपाई तथा कागज आदि में कुल २,२९४ रुपये ६७ नये पैसे का व्यय हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष खर्चा किये जाने के लिये समस्त विवरण प्रकाशित करने के लिये सूचना विभाग ने १७ लाख रुपया मांगा था ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सूचना मंत्री महोदय बतालायेंगे कि इन प्रगति के विवरणों में सूचना विभाग ने अपनी ओर से कितनी लागत के विवरण छापे ?

श्री इस्तफा हुसैन---वार्षिक रिपोर्ट अपनी ओर से इससे अलग नहीं छापी गई बल्कि जितनी वार्षिक रिपोर्ट थी और जिनका यहां पर उल्लेख किया गया वही रिपोर्ट सूचना विभाग ने छापी।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि दूसरे वर्षों के मुकाबले में जिस वर्ष का यह जिक्र किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा पुस्तिकायें सूचना विभाग ने छापीं ?

श्री इस्तफा हुसैन--जिन वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक यह सवाल था उसका जबाब मैंने बतला दिया। अब इसके अलावा और उत्तर इस समय में नहीं दे सकता।

बलिया जिले में एक नलकूप से सिंचाई न हो सकना

*१७--**श्री गंगाप्रसादसिंह**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने नलकूप बलिया में ऐसे हैं जिनसे सिंचाई नहीं हो रही है ?

श्री राममूर्ति--बलिया जिले में केवल एक नलकूप ऐसा है जिससे अभी सिंचाई नहीं हुई है।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह नलकूप जिससे सिंचाई नहीं हुई, कब बना और इससे अभी तक सिंचाई क्यों नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति--इसके बनाने की तो तिथि मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे सीचाई इसलिये नहीं हुई कि अभी तक गूल नहीं बन पाई है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्यूबवेल कहां है जिससे अभी तक सिंचाई नहीं हुई और अभी तक इसकी गूल क्यों नहीं बनी ?

श्री राममूर्ति--यह ट्यूबवेल बलिया जिले में है। इसकी गूल इस वक्त तक नहीं बन पाई है, लेकिन रबी की फसल तक यह गूल बनकर तैयार हो जायेगी और उससे पानी मिलने लगेगा।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि इस ट्यूबवेल को बने २ साल हो गये और तीसरा साल चल रहा है और यह ट्यूबवेल सिंचाई विभाग के कार्यालय के प्रांगण में स्थित है जिससे सिंचाई का कोई कार्यक्रम नहीं था ?

श्री राम मूर्ति--यह माननीय सदस्य की इत्तला सही हो सकती है। मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

जौनपुर जिलान्तर्गत बदलापुर थाने में नहर टूटने की कथित घटना

*१८--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के बछुआर, हरिहरपुर, केवटली आदि ग्रामों में जो बदलापुर थाने में पड़ते हैं पिछले जाड़ों में नहर के कट जाने से खेतों के डूब जाने के कारण रबी की फसल को कितना नुकसान हुआ तथा उसका प्रतिकर किसानों को दिया गया या नहीं ?

श्री राम मूर्ति--जी नहीं, पिछले जाड़े की फसल रबी १३६५ फसली में नहर इन ग्रामों में कहीं नहीं टूटी थी।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी थी ?

श्री राम मूर्ति--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास खबर भेजी जाती है तो वह भी जांच करता है अक्सर मौके पर और उसके नीचे के अधिकारी हैं वे भी जांच करते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार को पता है कि उस समय ग्रामीणों की प्रार्थना पर जिलाधीश वहां पधारे थे और उन्होंने उसका निरीक्षण किया था ?

श्रीराममूर्ति--मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी फिर इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे और जांच करवा कर उन काश्तकारों को नुकसान के लिये सरकार की तरफ से कुछ सहायता दिलवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप पहले जांच करवाने का प्रश्न करें। दो प्रश्न एक साथ हो गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ जानकारी ज्यादा है जो मेरे पास नहीं है। यदि मामले के डिटेल्स लिख कर वे मेरे पास भेज दें तो उनकी संतुष्टि के लिये मैं पूरी पूरी जांच करा दूंगा।

*१९---श्री गनेशीलाल चौधरी---[२१ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२०---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ जिले में मोहनलाल गंज थाने के अन्तर्गत राज्य मार्ग पर साइकिलों की कथित लूट

*२१---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार को पता है कि लखनऊ जिले के मोहनलालगंज थाने में विगत दो महीनों में ही दिन दहाड़े राज्य मार्ग पर चलने वाले २० साइकिल सवारों की साइकिलें लुटेरों द्वारा लूट ली गईं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश---उक्त अवधि में राज्य मार्ग पर साइकिल संबंधी राहजनी का कोई मामला नहीं हुआ है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बलिया और खीरी जिलों में कत्ल व बलवे

*२२---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया और जिला खीरी में अलग-अलग सन् १९५८ के आरम्भ से अब तक कितने कत्ल और बलवे हुए तथा उनमें कितने आदमियों की जानें गईं।

श्री कैलाशप्रकाश---सन् १९५८ के आरम्भ (१-१-५८) से अब तक (१५-७-५८ तक) जिला बलिया में कुल ९ कत्ल तथा १४ बलवे हुए। उक्त कत्ल के मामलों में १० आदमियों की तथा उक्त बलवे के मामलों में केवल १ आदमी की जान गई।

उक्त अवधि में जिला खीरी में २८ कत्ल तथा २७ बलवे हुए। कत्ल के इन मामलों में ३१ जानें गईं तथा बलवे के मामलों में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कत्ल और बलवे जो हुए उनमें से कितने भूमि संबंधी झगड़ों से हुए और कितने सांम्प्रदायिक और जातीयता के आधार पर हुए ?

श्री कैलाश प्रकाश---जो कत्ल हुए उनके पीछे अधिकांश में भूमि संबंधी झगड़े थे या आपस की दुश्मनी थी। अलाहिदा अलाहिदा मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि भूमि सबधी झगड़ों के कारण कितने हुए और कितने दुश्मनी के कारण हुए।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---क्या यह सच है कि बलिया और आगरा में ही नियस क्राइम्स में वृद्धि हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं। यह बात ठीक नहीं मालूम होती।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि बलिया जिले में जितने कत्ल हुए हैं उनमें से अधिकांश ऐसे लोगों के हुए हैं कि जिन्होंने अपने कत्ल होने से पहले विभाग को यह सूचना दे दी थी कि हमारा कत्ल होने वाला है इसलिये कि वे पुलिस के मुकदमों के गवाह या इंफार्मेंट थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य को कोई यदि ऐसी सूचना हो और वे लिख कर जानकारी करायें तो उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा।

श्री बलदेवसिंह---यह उनके उत्तर से संबंधित है, मान्यवर।

श्री कैलाश प्रकाश---कत्ल २८ हुए का मतलब है कि २८ मुकदमें हुए कत्ल के और एक मुकदमें में दो या तीन जानें भी जा सकती हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या कम्प्लेनेंट और गवाहान के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई तार या पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश---गृह मंत्री तो इस समय यहां है नहीं और मुझे ऐसे पत्र के आने की कोई जानकारी नहीं है।

*२३---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--- टा दिया गया।]

गोंडा जिले में परसपुर-धरौरा बांध की अनुमानित लागत

*२४---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जो परसपुर-धरौरा बांध बनाया गया है वह कितनी लागत का है और कितने मील लम्बा है ?

श्री राममूर्ति---गोन्डा जिले में निर्मित परसपुर धरौरा बान्ध की अनुमानित लागत २७,००,००० लाख रुपया है तथा इसकी लम्बाई ३५ मील है। बांध बन कर तैयार हो गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार धरौरा-परसपुर गांव को ऊंचा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति---इसकी इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मंत्री जी को पता है कि बांध और नदी के बीच इस वर्ष गांव में अधिक सैलाब आ गया है जिससे गांव को अधिक हानि पहुंची है ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री बलदेव सिंह---बांध और दरिया के बीच ३ मील तक बिलकुल सैलाब हो गया है और वहां के लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य यह खबर जिला मैजिस्ट्रेट को दें तो वह आबादी को दूसरी जगह बसाने की या कोई और व्यवस्था कर सकते हैं।

बहराइच जिले की सरहद पर नैपाल राज्य में जलकुण्डी बनाने का आयोजन

*२५--श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले की सरहद पर राज्य नैपाल में जो जलकुण्डी बनाने की योजना थी, उसमें आज तक कितनी सफलता हुई ?

श्री राममूर्ति--जनवरी, सन् १९५६ में प्रस्तावित जलकुण्डी बांध का अनुसन्धान कार्य किया गया था । जो अब लगभग समाप्त हो चुका है । योजना अब अपने अन्तिम रूप में है ।

*२६--श्री बलदेवसिंह--क्या नैपाल सरकार ने स्वीकृति दे दी ? इसमें कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति--नैपाल सरकार ने केवल अनुसन्धान करने की आज्ञा दी है । अन्तिम योजना अभी तक नहीं भेजी गई है ।

श्री बलदेवसिंह---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि अनुसन्धान किन किन चीजों पर हुआ है और इस पर कितने व्यय का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति--जलकुन्डी बांध बहुमुखी योजना है, इसमें सिंचाई, विद्युत् और बाढ़ रोकने का प्रबन्ध है । अभी तक के आंकड़ों से इसकी अनुमानित लागत १८,८७,००,००० रुपये है । मार्च सन् ५८ में नैपाल के प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन अपनी टीम के साथ वहां गये थे और उसे देखा था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसकी मंजूरी का कोई जवाब नहीं दिया है ।

श्री बलदेवसिंह---क्या यह भी खोज हुई है कि इस बांध के बनने से पानी में कितने गांव डूब जावेंगे ?

श्री राममूर्ति--इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---क्या सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने कोई ऐसा पत्र भेजा है कि जिला गोंडा के ७२ नलकूप, जलकुण्डी योजना के अभी तक मंजूर न होने के कारण नहीं बनाये जा सके हैं ?

श्री राममूर्ति---मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या नैपाल सरकार ने इस योजना को स्वीकार करने में दुविधा प्रकट की है ?

श्री राममूर्ति---नैपाल सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं मिला है ।

इटावा जिले में हरौली ग्राम का डकैती कांड

*२७--श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जून, १९५८ में ग्राम हरौली, थाना अजीतमल, जिला इटावा के अन्तर्गत एक ही रात को डाकुओं ने तीन या चार घर लूट लिये और साथ ही ४ व्यक्तियों को गोली से मार दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । इस घटना में डाकुओं ने ८ घर लूटे और ४ व्यक्तियों को गोली से मार दिया ।

*२८—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस डकैती कांड में कितनी धनराशि की क्षति हुई एवं मरे हुये व्यक्तियों के नाम क्या थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस डकैती में १४,३०९ रुपये की क्षति हुई और ४ व्यक्ति जान से मारे गये ।

*२९—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस डकैती कांड के १ दिन पूर्व वहां के चौकीदार ने पुलिस स्टेशन अजीतमल में यह सूचना दी थी कि डाकुओं का गिरोह जंगल में घूम रहा है और संभावना है कि हरौली में डकैती पड़ जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चौकीदार द्वारा ऐसी कोई सूचना थाने में नहीं मिली थी ।

*३०—कूंवर श्रीपालसिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण १५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सिंचाई विभाग के अनक्वालीफाइड ओवरसियरों को हटाने की आज्ञा

*३१—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग से कुछ ओवरसियरों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो कितने ओवरसियरों की और क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, कुल १३० अस्थाई ओवरसियरों को, अनक्वालीफाइड (योग्यता हीन) होने के कारण सेवायें समाप्त की जा रही हैं ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—अभी तक उनकी सेवायें समाप्त हो गई हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—यहां से तो हुकुम हो ही गया है कि समाप्त कर दी जावें ।

*३२—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण १२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य में ३६ केन्द्रों पर पुनः हाई स्कूल परीक्षा

*३३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष की वार्षिक हाई स्कूल परीक्षा में कितने केन्द्रों में प्रश्न-पत्र अवैधानिक रूप से परीक्षा के प्रथम ही प्रकट होने के संदेह पर परीक्षायें स्थगित रखी गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—परीक्षायें कहीं स्थगित नहीं की गईं । ३६ केन्द्रों पर पुनः परीक्षायें ली गईं ।

*३४—श्री मोतीलाल अवस्थी—इस सम्बन्ध में कितने परीक्षक एवं अन्य कर्मचारी सन्देहात्मक पाये गये और उन पर हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाहियां की गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी गोपनीय जांच जारी है ।

*३५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त घटना के फलस्वरूप कितने परिक्षार्थियों को पुनः किसी प्रश्न-पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ा तथा परिणामस्वरूप कितना सरकारी व्यय बढ़ गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—७,६३० परीक्षार्थी गणित प्रथम तथा १२,५१० परीक्षार्थी गणित द्वितीय प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित हुये । लगभग ८,००० रुपये अधिक व्यय होने की सम्भावना है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह गोपनीय जांच कब तक खत्म हो जाने की आशा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—समय निर्धारित करना कठिन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार को पता है कि गणित प्रथम और द्वितीय प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त और प्रश्न-पत्रों के भी पूर्व प्रकट हो जाने का सन्देह किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कुछ सन्देह किया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या उन ३६ केन्द्रों पर जहां पुनः परीक्षा हुई कोई सन्देह है और कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच हो रही है, दोष होगा तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—पुनः परीक्षा किन विषयों में ली गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—गणित प्रथम और गणित द्वितीय ।

बस्ती जिले में हलकौर ग्राम के नलकूप की असफलता

*३६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को विदित है कि बस्ती जिले में ग्राम हलकौर, पोस्ट हलकौर, बस्ती में जो ट्यूबवेल है उसका floor नीचे धंस रहा है और उसे चलाना बन्द कर दिया गया था क्योंकि जब भी मशीन चालू की जाती है तो floor और नीचे धंसने लगता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*३७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या उपर्युक्त (Tube-well) के बनवाये जाने में असावधानी और गड़बड़ी की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों पर क्या कोई वैभागिक कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, जांच की गई परन्तु इस कूप की असफलता के लिये कोई सरकारी अधिकारी जिम्मेवार नहीं है ।

*३८—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त Tube-well किस तारीख से पानी नहीं दे रहा है और अब किस तारीख से वह पुनः पानी दे सकेगा अथवा पानी दे भी सकेगा या नहीं ?

श्री राममूर्ति—यह नलकूप ९-१२-५७ से पानी नहीं दे रहा है । इस नलकूप को पुनः बनाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है आशा की जाती है कि यह नलकूप दुबारा बनाने के बाद ही पानी दे सकेगा । इसका एस्टीमेट विचाराधीन है ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस नलकूप के असफलता के क्या कारण थे और किसकी गलती से ऐसा हुआ ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि इसमें हमारे यहां के किसी इंजीनियर की खता नहीं है वह तो एक फारेन कम्पनी, रिलायेबिल वाटर सर्विस, के द्वारा बनाया गया था । उसके नीचे कोई कैविटी डेवलप हो गई है । दो तीन मर्तबा इसकी जांच करायी गई, लेकिन २-४ दिन चलने के बाद उसमें से रेत आने लगता है । इसलिये यही विचार किया गया कि दूसरी जगह हटा कर नलकूप बना दिया जाये जिससे आगे वह ठीक काम कर सके ।

श्री बलदेवसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कैविटी के डेवलप हो जाने से ट्यूबवेल क्यों नहीं चल रहा है ?

श्री राममूर्ति—इसकी डिटेल तो है नहीं कि क्यों, लेकिन कैविटी बन जाने से रेत ज्यादा आने लगता है और नल फट जाता है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—इसके कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—नलकूप का एस्टीमेट विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी, जिन लोगों ने ट्यूबवेल गलत जगह पर लगवाया उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति—वह तो विदेशी कम्पनी थी। उसका काम खत्म हो गया। वह यहां से चली भी गई। एक जमाने के बाद यह खराबी पैदा हुई। अब यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि उनके साथ मुकदमेबाजी की जाय कि उसने इस किस्म का काम किया है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो ट्यूबवेल फ्रांस या जरमनी की कंपनियों ने लगाये हैं, उनमें अधिकांश ट्यूबवेल्स ऊपर रख दिये जाने के कारण, खराब है, उनमें पानी नहीं आ रहा है ?

श्री राममूर्ति—इस तरह की जनरल बातें मेरे नोटिस में नहीं आयीं, अगर किसी खास एरिया के बारे में माननीय सदस्य लिख कर दें तो उसके बारे में मालूमात करूंगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में २० ट्यूबवेल्स को स्टेट के इंजीनियरों ने फिर से उखाड़ कर लगाया है और फिर पानी आया ?

श्री राममूर्ति—मुझे इसकी कोई मालूमात नहीं है और न कभी माननीय सदस्य ने लिख कर दिया।

माता टीला विद्युत योजना को पूरा करने में विलम्ब

*३९—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला विद्युत् योजना पर सरकार अभी तक कितना रुपया व्यय कर चुकी है और कितनी कीमत के सामान के लिये आर्डर दे चुकी है ?

श्री राम मूर्ति—माताटीला विद्युत् योजना पर मार्च, १९५८ तक २१३ लाख रुपया व्यय हो चुका है और २५ लाख रुपये के सामान के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं।

*४०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह उक्त योजना को स्थगित करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां; क्योंकि विदेश से मशीनें खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा नहीं मिल पा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना के लिये कुल कितना रुपया अलाट किया गया था ?

श्री राममूर्ति—सरेदस्त इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या मशीनरी लगाने के अलावा और सब काम पूरा हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—सिविल वर्क सब पूरा हो चुका है। मशीनरी के लिये रुपया नहीं मिला इसलिये वह काम रह गया। जेकोस्लोवाकिया की एक कंपनी ने इसके लिये आफर भी दिया था, लेकिन उसके साथ ही जिस चीज को उसके बदले में वहां मांगती थी उसके लिये केन्द्रीय सरकार तैयार नहीं हुई। इसलिये वह काम रह गया।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना को पूरा करने की तिथि पहले से क्या थी और उसमें देर क्यों हुई ?

श्री राममूर्ति---योजना जिस तिथि को खत्म होना चाहिये थी, वह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देरी का कारण मैंने बताया कि मशीनरी नहीं मिल रही है, इसलिये उसको लगाने का सवाल पैदा नहीं होता । मैशीनरी के सिविल वर्क्स सब तैयार हो गये हैं । क्रस्ट तैयार हो गया है । पानी बढ़ाने के लिये फाटकों के लिये भी आर्डर दे दिया गया है । सिर्फ बिजली के हिस्से को मशीनरी के लिये रुपया नहीं मिल पाया है, इसलिये वह रोकना पड़ा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस समय इस बिजली की योजना के लिये तय किया गया था तो उस समय केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम फारेन एक्सचेंज दे देंगे ?

श्री राममूर्ति---केन्द्रीय सरकार तो कभी शुरू में नहीं कहती कि हम किसी काम को रोक देंगे, लेकिन ज्यों ज्यों फारेन एक्सचेंज की मुश्किलात बढ़ती गयीं त्यों त्यों फिर उनको फैसला लेना पड़ा ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि यह मशीनरी मिल जाय तो पूरी योजना में कितना खर्च बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बतला दिया कि इसकी सूचना नहीं है ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बार्टर सिस्टम से उस फारेन कंट्री को जो माल देना था वह क्या चीज थी जिसे सरकार ने देना उचित नहीं समझा और किस वजह से ?

श्री राममूर्ति---उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब जो केन्द्रीय सरकार से बातचीत हुई है उसके अनुसार इस बिजली योजना के लिये मशीनरी खरीदने के लिये फारेन एक्सचेंज कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---मैं समझता हूं कि ज्यों ही फारेन एक्सचेंज की आसानी होगी वैसे ही हमारी मांग पूरी होगी ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने अब कोई निश्चय किया है कि इस योजना से कब तक पानी मिल सकेगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो इससे उठता नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के स्थगित होने का विशेष कारण यह है कि बांध का बढ़ाव ४,००,००० क्युजेक्स के बजाय २,६०,००० क्युजेक्स है, इसलिये वहां बिजली पैदा नहीं हो सकती है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, यह उसका कारण नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस योजना से मध्य प्रदेश को भी बिजली दी जायगी ? यदि हां, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना के लिये कितना रुपया दिया है ?

श्री राममूर्ति---मध्य प्रदेश की सरकार पानी और बिजली दोनों योजनाओं से फायदा उठावेगी, इसके लिये हमारा उनका ऐग्रीमेंट है, लेकिन उनके यहां से हमारे यहां रुपया इसलिये नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आमदनी होगी वह हमारी सरकार की होगी ।

*४१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२—श्री मदन पांडेय—[हटा दिया गया ।]

*४३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[२० अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*४४—श्री जंगबहादुर वर्मा—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५—श्री जंगबहादुर वर्मा—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण १५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४६-४७—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली जिले के शेरगढ़ ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

*४८—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह ग्राम शेरगढ़, थाना धोरनिया, जिला बरेली में पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह विषय अभी पुलिस अधीक्षक बरेली के विचाराधीन है । सरकार के पास अभी उसकी संस्तुति नहीं आई है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विषय पुलिस अधीक्षक, बरेली के सामने कब से विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला अधीक्षक शीघ्र ही पुलिस मुख्यालय को अपना प्रस्ताव भेजने वाले हैं ।

*४९—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[२८ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

ग्राम पंचायत मिर्जापुर म्वाफी, जिला फैजाबाद का अव्यवस्थित कुलाबों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम पंचायत, मिर्जापुर म्वाफी तहसील व जिला फैजाबाद ने नहर इंजीनियर फैजाबाद से प्रार्थना की थी कि कुछ कुलाबे अव्यवस्थित स्थानों पर लगे हुये हैं उन्हें प्रार्थनानुसार उपर्युक्त स्थानों पर लगा दिया जावे ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ग्राम पंचायत मिर्जापुर म्वाफी का एक प्रार्थना-पत्र घाघरा नहर प्रणाली की फिरोजपुर माइनर के कुलाबा नं० ११ के लिये प्राप्त हुआ था ।

सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर प्रार्थी की उपस्थित में निरीक्षण करने एवं तदनुसार उचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री मदनमोहन—उचित कार्यवाही का क्या आशय है ? जो अव्यवस्था कुलाबे लगाने में हुई है उसको उपयुक्त स्थान पर लगाने से है, या कह दिया गया है कि जांच करो ?

श्री राममूर्ति—कुलाबा जहां पर लगा हुआ है प्रार्थना-पत्र में कहा गया था कि १ फर्लांग हटा दिया जाय, लेकिन उसको विभाग ने मुनासिब नहीं समझा। यह ३ इंच का कुलाबा है और इस पर ४ एकड़ रबी की सिंचाई होनी चाहिये थी। इस के बजाय उस कुलाबे से ११ एकड़ की आबपाशी होती है। इसलिये मुनासिब नहीं समझा गया कि वहां से उसको हटा दिया जाय।

श्री मदनमोहन—यह जांच इंजीनियर महोदय ने स्वयं की थी या किसी और ने ?

श्री राममूर्ति—असिस्टेंट इंजीनियर ने की थी ?

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के पुनस्संगठन पर विचार

*५२—**श्री मदनमोहन**—क्या सरकार वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय विश्वविद्यालय अनुदान समिति कार्य नहीं कर रही है।

*५३—**श्री मदनमोहन**—जब से विश्वविद्यालय अनुदान समिति वर्तमान रूप में गठित हुई है, उसकी कितनी बैठकें हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदनमोहन—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह समिति कब से कार्य नहीं कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मई ३१, १९५७ से जो अनुदान समिति पहले थी उसका कार्यकाल समाप्त हो गया।

श्री मदनमोहन—क्या वह समिति विघटित हो चुकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, विघटित नहीं की गयी। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो दूसरी बनाई भी नहीं गयी क्योंकि उसके पुनर्संगठन पर विचार हो रहा है।

श्री मदनमोहन—उसके पुनर्संगठन पर समय क्यों लग रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—क्योंकि मामला अहम है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—जब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी डिग्री कालेजेज को अनुदान देती है तो गत वर्ष जब यह कमेटी नहीं बनी थी तो फिर किसने डिग्री कालेजेज को अनुदान दिये ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह समिति असल में अनुदान नहीं देती, यह तो संस्तुति करती है शासन को। और अनुदान भी दो तरह के होते हैं। एक अनुपालक अनुदान होता है, वह शिक्षा संचालक दिया करते हैं और वे उसे देते रहे और दूसरा अनुदान जो विशेष कार्यों के लिये होता है उसकी संस्तुति वह समिति स्वयं किया करती थी। अब जब से इस समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया तब से वह सीधे शासन के पास आया और उसी पर उन्होंने निर्णय किया।

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*५४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश— जी हां।

*५५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर की भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी ने भी उक्त जिला विद्यालय निरीक्षक की शिकायतों के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया है और सरकार से जांच की मांग की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर, के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वे मुख्य क्या-क्या हैं और उनकी सूचना सरकार को सब से पहले कब मिली ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना सब से पहले कब आई इसका तो इस समय मेरे पास ब्यौरा नहीं है। जो शिकायतें हैं उनमें सबसे मुख्य यही है कि वहां एक आडो विजुअल फंड एकत्रित किया गया और उसमें कहा जाता है कि एक जीप खरीदी गयी जिसके खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ और उसके इस्तेमाल में भी भ्रष्टाचार किया गया।

श्री देवनारायण भारतीय—जब सरकार के पास यह सूचना आ गयी तो उसके बाद सरकार ने निरीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री बतलायेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने जो कुछ कार्यवाही की है वह किस अधिकारी के द्वारा कराई है, क्या उच्च अधिकारी को भेज कर कराई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—भ्रष्टाचार समिति के पास एक शिकायत आयी। उन्होंने उस शिकायत को अपना प्रस्ताव पास करके विभाग को भेज दिया, वहां उस पर जांच की जा रही है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—विभागीय अधिकारियों के द्वारा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार की भेजी हुई कार्यवाही विभाग के साथ-साथ कम्प्लेट आफिसर को भी भेजी गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह भी शिकायत आयी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने आडी विजुअल फंड से खरीदी हुई जीप कार से जिले में दौरा किया और उसी फंड का पैसा भी उस जीप के चलने में खर्च किया और सरकार से भत्ता भी वसूल किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, शिकायत में यह चीज भी है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को मुअत्तल करने का विचार सरकार कर रही है पेंडिंग इन्क्वायरी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

*५६-५७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--[वापस ले लिये गये।]

वाराणसी जिले में चोलापुर कटारी नहर का कमाण्ड एरिया

*५८--श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चोलापुर कटारी, परगना कटेहर, जिला वाराणसी में जो नहर खोदी गई है वह कब से पानी देना शुरू करेगी ?

श्री राममूर्ति--नहर बन कर तैयार हो गई है। अगली रबी में चलने की आशा है।

श्री लोकनाथसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई सम्भव है ?

श्री राममूर्ति--यह नहर केराकत डिस्ट्रिब्यूटरी से निकाली जा रही है। इसकी लम्बाई ९ मील ६ फर्लांग है, १४ क्यूजेक्स पानी इसमें रहेगा और रबी के जमाने में ४ हफ्ते चलाई जायगी। मेरे पास कमांडेड एरिया के ठीक आंकड़े इस वक्त नहीं हैं।

*५९--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले के सिंचाई विभाग में वर्क चार्ज व्यवस्था के अधीन कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*६०--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि गाजीपुर जिले के सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज व्यवस्था के अधीन कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकाला जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--गाजीपुर जिले में निर्माण कार्य में कमी होने के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी, अतः उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं।

*६१--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को कहीं और स्थान देने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--जब भी कोई स्थान रिक्त होगा तो निकाले गये व्यक्तियों को पुनः कार्य में लगाने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार यह कृपा करेगी कि इन लोगों को जिनकी नौकरी छूट रही है उनको गाजीपुर में ही स्थान खाली होने पर नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जगह खाली होने पर नौकरी देगी ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, ९३ आदमियों को नोटिस दिया गया था जिनमें से नोटिस की अवधि खत्म हो जाने पर १० आदमियों की नौकरी खत्म कर दी गई थी। ८३ को इस दर्मियान में पुनः लगा दिया गया मुख्तलिफ कामों पर।

*६२--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले में जरगो बांध की डूब में आये गांवों का मुआवजा न मिलना

*६३—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर स्थित जरगो बांध से चुनार तहसील के किन-किन ग्रामों की कुल कितनी भूमि सींची जायगी ?

श्री राममूर्ति—जरगो बांध से मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में १३,००० एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई की योजना है।

*६४—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त बांध में डूबने वाले ग्रामों के लोगों को उनके घरों और खेतों का मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जरगो बांध से चुनार तहसील के कौन-कौन से ग्रामों में सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—इसका ब्यौरा मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक जरगो बांध के डूब में पड़ने वाले गांवों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, ५०० एकड़ भूमि इसके लिए ली गई थी जिसमें ४३७ से कुछ ज्यादा का तो मुआवजा दिया जा चुका है; बाकी ६२ एकड़ के बारे में कार्यवाही की जा रही है। जो गांव डूबेंगे उनके लिए पुनर्वास के लिए कहा गया कि जो लोग कहीं और बसना चाहते हैं उनको उसके लिए उचित मुआवजा दिया जायगा और जो और मुनासिब कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी।

*६५-६६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहबाद)—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

नहर जमन पूर्वी की सिंचाई से प्राप्त कर

*६७—श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रजबहा भीरापुर, नहर जमन पूर्वी, जिला मेरठ में सन् १९५७ में कितने नये कुलाब लगाये गये ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५७ में मेरठ जिले में पूर्वी जमुना नहर के रजबहा भीरापुर में केवल एक ६ इंच का नया कुलाबा लगाया गया है।

*६८—श्री रघुवीर सिंह—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि नहर जमन पूर्वी की सिंचाई से १९५६-५७ में कुल कितना सिंचाई कर वसूल हुआ ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५६-५७ में पूर्वी जमुना नहर से निम्नलिखित सिंचाई कर वसूल हुआ :

लोअर डिवीजन, पूर्वी यमुना नहर—

खरीफ १३६४ फसली	.. ..	१५,२७,८९४.००
रबी १३६४ फसली ..	.. ..	३,६२,३५३.००
	योग ..	१८,९०,२४७.००

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अपर डिवीजन, पूर्वी यमुना नहर—

खरीफ १३६४ फसली ..	..	.. २२,६२,०७२.७८ न० पै०
रबी १३६४ फसली ..	..	.. १०,०१,५२५.६७ न० ०
	योग	.. ३२,६३,५९८.४५ न० पै०

*६९–७०—श्री प्रताप सिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—कुमारी श्रद्धादेवीशास्त्री—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत सब-इंस्पेक्टरों पर मुकदमें

*७२—श्री गोविंदनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में इस समय कितने पुलिस सब-इंस्पेक्टरों पर पुलिस ऐक्ट दफा ७ की कार्यवाही चल रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला जालौन में इस समय २ सब-इंस्पेटरों के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

जालौन जिले की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*७३—श्री गोविंद नारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७–५८ में जिला जालौन की किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितना-कितना रुपया सरकारी अनुदान के रूप में दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३० पर)

जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा के पास छात्रों से अनिवार्य चन्दा लेने एवं ट्रान्सफर सर्टिफिकेट सम्बन्धी शिकायतें

*७४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कितनी शिकायतें हायर सेकेंडरी या इंटर कालेजों की बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा के पास जुलाई, १९५८ में आई ह जो इस वर्ष सत्र आरम्भ में छात्रों के प्रवेश के समय उनसे अनिवार्य रूप से किसी विशेष प्रकार के चन्दे या दान लेने के बारे में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल दो जिनमें एक मौखिक तथा एक लिखित।

*७५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के हायर सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों की ऐसी कितनी शिकायतें सन् १९५५ से छात्रों की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा के पास आई हैं जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते समय ६ माह की फीस मांगने के बारे में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल एक।

पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के पास थानों में रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें

*७६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पुलिस कप्तान के पास १ जनवरी, १९५६ ई० से दिसम्बर, १९५७ ई० तक थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने के विषय में कितनी शिकायतें आई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में मैनपुरी जिले में थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने की कुल १३ शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुईं।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा की गई संस्तुतियों की स्वीकृति

*७७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि U. P. Universities Grants Committee ने वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में सरकार के विचारार्थ कौन-कौन सी संस्तुतियां (Recommendations) कीं और उनमें से कौन-कौन स्वीकृत हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३१–४३२ पर)

राजनैतिक पीड़ित भूतपूर्व विधायकों को पेंशन

*७८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में राजनीतिक पीड़ित होने के नाते कितने भूतपूर्व एम० एल० ए०, भूतपूर्व एम० एल० सी०, व भूतपूर्व एम० पी० पेंशनें पा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१७ भूतपूर्व एम० एल० ए० व २ भूतपूर्व एम० पी० को पेंशन स्वीकार की गयी है।

सीतापुर जिले में बड़ा गांव निवासी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, श्री रामेश्वर दयाल की हत्या

*७९—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत महोली थाने के श्री रामेश्वर दयाल बड़ा गांव निवासी की हत्या अप्रैल, सन् १९५८ ई० को हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*८०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति का सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल से था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। श्री रामेश्वर दयाल भारतीय जनसंघ के एक विशेष कार्यकर्ता थे।

*८१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हत्या की जांच किसी विशेष पुलिस अधिकारी से कराई गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील में कुछ गांवों को राप्ती के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*८२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील के बेलकुर, रकहट, भेड़ी, गरयाकोल, अशवनपार, नेतवार पट्टी, मझौलिया, सेमरा, नवलपुर और भूसाडोही गांव तथा सदर तहसील के नेदुआ आदि गांव राप्ती के कटाव के कारण पीड़ित हैं तथा उनके पूर्णतया कट जाने का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार इन गांवों के बचाव के निमित्त क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जिलाधीश, गोरखपुर से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उत्तर दिया जावगा।

जूनियर हाई स्कूल दन्या, जिला अल्मोड़ा को अनुदान

*८३--श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम दन्या, जिला अल्मोड़ा में जो जूनियर हाई स्कूल है उसे वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कितने रुपये का अनुदान किन-किन मदों में दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१,०००.०० जमींदारी क्षति पूर्ति अनुदान । ५००.०० पोषक अनुदान ।

टाण्डा नहर के खजुरी और रफीगंज सेक्शन से संबंधित ठेकेदारों के बकाया धन को वापस करने का आदेश

*८४--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि टांडा नहर के खजुरी और रफीगंज सेक्शन से सम्बन्धित ठेकेदारों का लगभग ४० हजार रुपया बाकी है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, केवल ८,३१०.०० रुपया बाकी है ।

*८५--श्री विश्रामराय--क्या सिंचाई राज्य मंत्री को ज्ञात है कि उपर्युक्त रुपयों की अदायगी के लिये ठेकेदारों ने एस० डी० ओ०, टांडा कैनाल (आजमगढ़ ब्रांच) इंजीनियर, फैजाबाद तथा अन्य उच्च अधिकारीगण (सिंचाई विभाग) को कई बार सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति--सम्बन्धित ठेकेदारों के पत्र अप्रैल, १९५८ में प्राप्त हुए थे । जिन पर सम्बन्धित अधिकारियों को उनके बकाया रुपयों की अदायगी के लिए उचित आदेश दे दिये गये हैं ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ३ वर्षीय डिग्री कोर्स

*८६--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन विश्वविद्यालयों ने ३ वर्ष का स्नातक (Degree) कोर्स मंजूर कर लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने ३ वर्षीय स्नातक कोर्स स्वीकार कर लिया है और सत्र १९५८-५९ से आरम्भ कर दिया है । लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों को यह कोर्स सिद्धान्ततः स्वीकार है किन्तु चालू करने में आर्थिक कठिनाई है । गोरखपुर विश्वविद्यालय के यह अभी विचाराधीन है ।

*८७--श्री गनेशीलाल चौधरी--जिन विश्वविद्यालयों ने ३ वर्ष का स्नातक (Degree) कोर्स मंजूर नहीं किया है उसके क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी विचार कर रहा है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

विधायक निवास में चोरियां

*८८--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह अप्रैल, सन् १९५८ ई० से २ मई, १९५८ ई० तक समस्त विधायक निवासों में कितने कमरों में चोरियां हुईं और कितने ताले टूटे और उनमें से कितने रुपये का सामान चोरी गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में पांच कमरों में चोरियां हुईं । उनमें पांच ताले टूटे तथा ५१५ रुपये का सामान चोरी गया ।

जौनपुर जिलान्तर्गत बड़ेला ताल से धान की फसल को क्षति तथा सिंचाई विभाग में पिछड़ी व परिगणित जातियों के कर्मचारी

*८९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री को ज्ञात हुआ है कि जौनपुर जिले में मछलीशहर कस्बे के पूरब–उत्तर बड़ेला ताल के डूब जाने से प्रतिवर्ष दो हजार एकड़ धान की फसल बरबाद हो जाया करती है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, बड़ेला ताल से बरसात में बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न रहता है और धान की फसल को काफी हानि पहुंचती है ।

*९०—श्री माताप्रसाद—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के सिंचाई विभाग में कुल कितने आपरेटर, जिलेदार और पतरौल कार्य कर रहे हैं, उनमें कितने पिछड़े वर्ग के और कितने परिगणित जाति के कर्मचारी हैं ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले के सिंचाई विभाग में जिलेदारों, ट्यूबवेल आपरेटरों, तथा पतरौलों की संख्या निम्न प्रकार है :

		पद संख्या	पछड़ी जाति	परिगणित जाति
१—जिलेदार	..	६	..	..
२—ट्यूबवेल आपरेटर	..	१६७	५३	५
३—पतरौल	..	४२	७	३

*९१—श्री माताप्रसाद—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में मछलीशहर के दक्षिण सातों तलिया से निकलना वाले नाले को जो पूरा छैलामिया से हो कर जाता है, चौड़ा कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में मछलीशहर से दक्षिण स्थित सातों तलिया से निकलने वाले नाले को चौड़ा करने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

कानपुर जिले में महाराजपुर व नर्वल थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की घटनायें

*९२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ व ५८ में अभी तक थाना महराजपुर व थाना नर्वल, जिला कानपुर में निम्न घटनाओं की सूचना क्या है :—

(अ) कत्ल की संख्या तथा उसमें फंसे व्यक्ति,
(ब) चोरियों की संख्या तथा उसमें फंसे व्यक्ति,
(स) दफा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० द्वारा चले मुकदमों की संख्या तथा उनमें फंसे व्यक्ति ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले में कुछ भागों को गगास व रामगंगा नदियों की बाढ़ से बचाने की प्रार्थना

*९३—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पट्टी कैड़ारौ, तहसील पाली, जिला अल्मोड़ा की सैकड़ों एकड़ जमीन गगास नदी के अनिश्चित बहाव के कारण बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी के बहाव का नियंत्रण करने के लिये कोई उपाय करने की कृपा करेगी और कब तक ?

श्री राममूर्ति—हां, लगभग १५६ एकड़ काश्त की जमीन गगास नदी के दायें-बायें किनारों में कुछ वर्ष पूर्व बाढ़ से बह गई है। सरकार आवश्यकतानुसार बाढ़ की रोकथाम हेतु कार्यवाही कर रही है। ग्राम कोटुली, पट्टी तल्ला सिलोर की जमीन को पुनः आबाद करने हेतु योजना का एस्टीमेट बनाया जा रहा है।

*९४—**श्री हरिदत्त काण्डपाल**—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार विशेषकर गनाई पट्टी, पल्ला गेवाड़, तहसील पाली, जिला अल्मोड़ा के मुकाम पर रामगंगा नदी की बाढ़ों की बर्बादी रोकने के लिये क्या करने का विचार करती है ?

श्री राममूर्ति—राम गंगा नदी की बाढ़ द्वारा ग्राम गनाई पट्टी, पल्ला गेवाड़, तहसील पाली, जिला अल्मोड़ा की बरबादी की जांच और रोकथाम के लिये सर्वे इस वर्षा ऋतु के अन्त में किया जावेगा।

आजमगढ़ जिले में कत्ल व डकैतियां

*९५—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में मार्च सन् १९५८ से आज तक कुल कितने कत्ल हुये हैं और कितनी डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—११ कत्ल हुये तथा ३ डकैतियां पड़ीं।

आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का बकाया वेतन

*९६—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का कुछ मासों का वेतन बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, २८ सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से १४ विद्यालयों में।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटा पर अध्यापकों का बकाया

*९७—**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटा पर अध्यापकों का वेतन बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*९८—**श्री भूपकिशोर**—अगर हां, तो कितना बाकी है और किस-किस साल से बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जुलाई मास के वेतन के अतिरिक्त ४,००१ रुपया सन् १९५५-५६ का है जो परिषद् के लघु माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले जे० टी० सी० अध्यापकों के संशोधित वेतन-क्रम को जुलाई १, १९५५ से लागू करने के संबंध में वेतन वृद्धि का है।

बस्ती जिले में चन्द्रनगर प्राइमरी स्कूल की इमारत न होने से कष्ट

*९९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार को विदित है कि चन्द्रनगर, डुमरियागंज, बस्ती स्थित प्राइमरी स्कूल की इमारत पिछले ढाई-तीन साल से गिरी पड़ी है और अभी तक उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

*१००—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार को विदित है कि उक्त प्राइमरी पाठशाला के बच्चे बरसात में स्थानीय आर्य समाज मंदिर में बैठते हैं, और इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सम्बन्धित अधिकारियों पर इस दुर्व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त प्राइमरी पाठशाला का अपना भवन न होने के कारण उसक बच्चे बरसात में स्थानीय आर्य-समाज मन्दिर तथा अन्य किसी मकान में पढ़ते हैं । बच्चे मारे-मारे नहीं फिरते । नवीन भवन का निर्माण हो रहा है । इस कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१०१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[११ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अलीगढ़ जिले में कुछ पुलियों के बह जाने की शिकायत

*१०२—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि अलीगढ़ जिले की ग्रांड ट्रंक रोड, खैर रोड तथा इगलास रोड पर बाढ़ रोकने के लिये नाले को चौड़ा कर उन पर जो तीन पुलियां (culverts) बनायी जा रही थीं, दिनांक ३० जून की वर्षा से वे तीनों की तीनों बह गईं ?

श्री राममूर्ति—गत ३० जून की वर्षा से निम्नलिखित तीन पुलियों में से कोई भी नहीं बहीं और अब भी सही हालत में हैं और यातायात सुचारु और सुरक्षित रूप से जारी है ।

१—जी० टी० रोड अलीगढ़ से खुर्जा ।
२—अलीगढ़-खैर रोड ।
३—अलीगढ़-इगलास रोड ।

*१०३—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन तीनों पुलियों (culverts) के बह जाने से कितने रुपयों की हानि हुई और इस हानि की जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर है ?

श्री राममूर्ति—न तो कोई पुलिया ही बही और न इसमें कोई अधिक आर्थिक हानि सरकार की हुई । प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१०४—श्री मुक्तिनाथ राय—[१५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कन्नौज तहसील के कुछ तालाबों से पानी के निकास के लिये नाला खुदवाने की प्रार्थना

*१०५—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह तहसील कन्नौज-जिला फर्रुखाबाद, ग्राम मझिला तथा सटे हुये तीन-चार तालाबों का पानी निकालने के लिये बरसाती नाला खुदवा रही है ?

श्री राममूर्ति—नहर विभाग की ओर से इस पानी निकालने की योजना का एस्टीमेट बनाकर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया था परन्तु कोष की कमी के कारण यह नई योजना स्वीकृत नहीं की गई ।

*१०६—श्री द्वारिकाप्रसाद—यदि हां, तो इस नाले की खुदाई का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के संस्कृत अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*१०७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के संस्कृत अध्यापकों की ओर से कोई रिप्रेजेण्टेशन १९५७ में सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के अध्यापकों के समकक्ष उनका वेतन रखे जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह शासन के विचाराधीन है ।

दिल्ली-लखनऊ मेल ट्रेन में घटित घटना के सम्बन्ध में अमरीकन महिला की मुरादाबाद रेलवे पुलिस को रिपोर्ट

*१०८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को पता है कि गत २३-२४ नवम्बर, १९५७ की रात्रि में दिल्ली से लखनऊ आने वाली मेल ट्रेन में घटी किसी घटना के सम्बन्ध में एक अमरीकन महिला ने मुरादाबाद रेलवे पुलिस को कोई इत्तला दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

अतारांकित प्रश्न

रिवाल्वरों व पिस्तौलों के लाइसेंस में बढ़ती

१—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४६ ई० को जनता को दिये गये रिवाल्वरों या पिस्तौलों के लाइसेंसों की क्या संख्या थी और ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० को कुल क्या संख्या हो गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३१ दिसम्बर, १९४६ को जनता को दिये गये रिवाल्वर। पिस्तौलों की कुल संख्या ३,३९० थी । ३१-१२-५७ को यह संख्या १०,४८० हो गयी है ।

गोरखपुर-देवरिया में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब यह एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है जो गोरखपुर, देवरिया और घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक और छोटी गंडक नदियों में पुनः बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ, आदि । और यह २४ अगस्त से बाढ़ शुरू हुई । इस विषय में माननीय वित्त मंत्री जी शायद २८ तारीख को अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं कि क्या परिस्थिति है । मैं समझता हूं अब इस विषय में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अनावश्यकता के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

घाघरा नदी के कटाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री मोतीलाल अवस्थी जी का है कटाव के सम्बन्ध में । गोरखपुर में कल घाघरा नदी के गम्भीर कटाव के फलस्वरूप कई गांव जलमग्न हो गये । तो अगर कहीं बाढ़ आयी है तो कटाव होगा, कहीं गांव डूबेंगे, तो हर चीज के लिये काम रोको प्रस्ताव आवश्यक नहीं होगा । इसकी भी मैं अनावश्यकता के आधार पर इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

फर्रुखाबाद में सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर की तलाशी तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन की प्रस्ताव सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री देवीप्रसाद मिश्र जी का है। सोशलिस्ट पार्टी, फर्रुखाबाद के दफ्तर को पुलिस द्वारा घेरा गया, तलाशी ली गई और दो सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार जनता के राजनीतिक अधिकारों के हनन वगैरह आदि के बारे में जो विषम परिस्थिति हो गई है उस पर विचार करने के लिये वह प्रस्ताव लाये हैं।

परसों मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव है ही, तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य उसके बाद में सब कुछ कह सकते हैं कि क्या उनके साथ अत्याचार हुए और सरकार ने क्या-क्या किया, इत्यादि।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—बड़ी गम्भीर स्थिति है, रेड किया गया, रहना मुश्किल कर दिया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है जो विषय बहस में परसों आने वाला है और विवाद निश्चित दिन है तो उसमें यह सब चीजें उठायी जा सकती हैं। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रतापगढ़ जिले में बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रतापगढ़ जिले में बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था के संबंध में है। कुछ लोग अनशन ७ सितम्बर से कर रहे हैं। यह भी प्रश्न ऐसा ही है जिसमें अगर परिस्थिति बिगड़ी है तो, उस पर भी परसों चर्चा हो सकती है।

श्रमजीवी पत्रकारों के, प्रति सरकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—नारायणदत्त तिवारी जी का काम रोको प्रस्ताव है। ".... श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति 'वर्किंग जर्नलिस्ट कंडिशन आफ सर्विस ऐंड मिसलेनियस प्रावीजन्स ऐक्ट' के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने से उत्पन्न परिस्थिति जिसका तात्कालिक आभास कल ३१ अगस्त, १९५८ को राज्य भर में श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा मनाये गये 'प्रोटेस्ट डे' से मिलता है, पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें जो प्रान्तीय सरकार के दायित्व बताये गये वे ३, ४ बताये गये कि कानून के मातहत जो जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर थी उसको नहीं अदा किया। यह भी विषय ऐसा है कि इस पर आज ही विचार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, परसों हो सकता है। इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

राजकीय स्कूलों के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव यह है, इसको मैं पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझता। १०० मास्टर्स अथवा बेचलर्स डिग्री के साथ दो प्रशिक्षित अध्यापक और अध्यापिकाओं को जो शिक्षा विभाग में नियुक्त थीं, उनकी सेवाओं को एकबारगी समाप्त करने के कारण यह लाया गया है। यह विषय भी मुझे निश्चित और तात्कालिक नहीं मालूम होता है क्योंकि कई दिनों पहले का मामला है.....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—यह नोटिसेज हाल ही में आ रहे हैं। जिन लोगों ने काफी दिनों सर्विस की है उनको निकाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—मुझे इसकी कोई अर्जेन्सी नहीं दिखाई देती इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मेरे कामरोको प्रस्ताव में कम से कम मंत्री जी बतला दें....

श्री अध्यक्ष—तो आप परसों बहस कर लें कि कितनी ज्यादती गवर्नमेंट ने की है।

सदन के भावी कार्यक्रम के विषय में जानकारी

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष, महोदय, मैं आप से तथा आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सदन ४ तारीख को उठ रहा है और उसका इस सप्ताह का क्या कार्यक्रम रहेगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—४ तारीख को तो श्रीमन्, सदन अवश्य ही उठ जायगा क्योंकि ५ को जन्माष्टमी है, ६ को शनिवार की छुट्टी रहेगी और ७ को रविवार है। उसके आगे के कार्य-क्रम के बारे में मैं आज तो नहीं, कल बता सकूंगा।

परिवहन राज्य मंत्री द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष, महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यह ३१ अगस्त का नेशनल हेराल्ड है, इसमें डाक्टर सीताराम की एक प्रेस कांफ्रेंस की खबर छपी है, उसके विषय में क्या मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष—वह यहां पर मौजूद नहीं हैं, जिस वक्त वह मौजूद हों तब आप इसे उठावें, कोई जल्दी नहीं है कल इजाजत दी जा सकती है।

*इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

†खंड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार जारी होगा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय जगवीर सिंह के संशोधन का विरोध करते हुए मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि इस प्रस्तुत संशोधन विधेयक में धारा १६-जी होना उपयोगी है या नहीं। वह धारा जिसके द्वारा सारी एडेड संस्थाओं से वह अधिकार ले लिये गये हैं जिससे वह अब किसी हेडमास्टर या अध्यापक का डिस्मिसल या सर्विसेज का टर्मिनेशन बिना इंस्पेक्टर की पूर्व अनुमति के नहीं कर सकते। मेरा यह निश्चित मत है कि जो संशोधन माननीय जगवीर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है यदि उसको बढ़ा दिया जाय तो वहां का रोज का काम नहीं चल सकेगा और अनुशासन भंग हो जायगा। मैं नहीं समझता कि एक ओर तो कहा गया कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये डायरेक्टर की पूर्व अनुमति अनुचित है और डायरेक्टर को सरकार अधिक अधिकार देना चाहती है, और डायरेक्टर को ऐसा अधिकार देना सत्ता को अपने हाथ में रखने की कोशिश है और दूसरी ओर वह अधिकार जो कि आजतक प्राइवेट संस्थाओं को रहे हैं कि यदि वे आवश्यक समझें, उनके हित में हो तो वह किसी टीचर को सस्पेंड कर सकते हैं, वह चीज उनसे ली जाने की बात की जा रही है और यह प्रस्ताव है कि पूर्व अनुमति इंस्पेक्टर की हो। मेरा ख्याल है कि इसका वैधानिक परिणाम ही गलत होगा और अन्त में यह होगा

*२१-७-१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†२८-८-१९५८ की कार्यवाही से।

कि इन संस्थाओं का स्तर बहुत गिर जायगा। मेरा विश्वास है कि श्री जगवीरसिंह जी यह चाहते हैं कि शिक्षकों की सिक्योरिटी आफ सर्विस की गारंटी रहे, उनका वेतन स्तर अच्छा हो, इसमें हमारा उनका मतभेद नहीं हो सकता।

माननीय गेंदासिंह जी ने उस दिन कहा था कि इस विधेयक में चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें यदि कहीं यह भी संकेत होता कि उनकी डिसपैरिटी दूर हो जायगी तो वह उनके लिये एक बड़ी बात होती। श्रीमन्, जहां तक कि इस बात का संबंध है, जैसा मैंने उस दिन निवेदन किया था कि हम सभी लोग इसको चाहते हैं और हमने उसी रोज इतने बलपूर्वक माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस बात की अनुनय भी की थी और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन भी दिया, लेकिन मैं माननीय जगवीरसिंह जी, से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा काम न करें कि "फ्राम फायर टु दि फ्राइंग पैन (from fire to the frying pan) वाली बात हो कि, जहां वह उस स्तर को बढ़ाने के पक्ष में हैं वहां संशोधन का परिणाम यह हो जाय कि अनुशासन वहां समाप्त हो जाय।

श्रीमन्, उस दिन यह भी कहा गया कि अनुशासन की परिभाषा क्या है और कैपिटलिस्ट अनुशासन और दूसरे अनुशासन की बात कही गयी है। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैनेजमेंट की लड़की की शादी में कोई शिक्षक दरी न बिछाये तब अनुशासन भंग हो जाता है। अब मैं क्या कहूं? जिन्होंने यह बात कही, वह स्वयं टीचर थे और वह टीचर्स के बारे में जो चाहें वह कह सकते हैं, मैं तो ऐसी धृष्टतापूर्ण बात सोच भी नहीं सकता। मैं तो यह समझता हूं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें किसी की लड़की की शादी में दरी बिछाना कोई ऐसी चीज नहीं जो वर्जित हो या बुरी चीज हो। "कैपिटलिस्ट", जिनको बुरा कहा जाता है, उनको छोड़ कर सभी लोग ऐसे होंगे जिनके यहां लड़कियों की शादी में दूसरे व्यक्ति, चाहे वह उस स्तर के हों या उससे ऊंचे हों, दरियां बिछाते हैं। तो ऐसी बातों का यहां जिक्र करके और उदाहरण दे कर, मैं यह कहूंगा कि हम कोई अच्छा वातावरण पैदा करने में कुछ सहायक नहीं हो सकेंगे।

मुझे तो केवल इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना है कि यदि हम ऐसा संशोधन लायें और लाना उचित हो, तब कदाचित् यह भी उचित होगा कि इस विधेयक में एक ऐसी भी धारा होनी चाहिए जिसमें उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार हो जाय कि अगर वह इन प्रतिबन्धों के साथ और इन पाबन्दियों और अधिकारों के अपहरण के साथ अपने यहां अनुशासन रखने में अपने को असमर्थ पाते हैं तब अपने इंस्टीट्यूशंस का भार अपने कंधों पर न रख कर उसे सरकार के कंधों पर रख दें और सरकार उन्हें अपने अधिकार में ले ले। जब सरकार यह अधिकार लेने को तैयार न हो और सरकार इस बात के लिये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मजबूर करे कि वह स्वयं उनका इन्तजाम करें, अनुशासन भी अच्छा करें और सारे काम को चलायें और धारा 16-G में जो प्रावीजंस हैं जिनमें उनके अधिकारों का काफी अपहरण है, अगर उसको आगे बढ़ाया जायगा और सस्पेंशन तक का अधिकार उन एडेड इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिया जायगा तब तो उनके लिये चलना असंभव हो जायगा और वह अनुचित ही नहीं, न्याय संगत भी नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं जगवीरसिंह जी के संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, जहां तक संशोधन का पहला भाग है, इसमें "may" के स्थान पर "shall" करने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह होगा कि जहां पर शब्द "No Principal, Headmaster or Teacher may be discharged or removed or dismissed from service" है इसके रखने से यह होगा कि थोड़ा-सा स्पष्ट हो जाता है। अगर "may" रहे तो वह आवश्यक नहीं होता, कोर्ट में मामला जा सकता है और क्या हो, क्या न हो। तो यह मेंडेटरी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होना चाहिये । इसलिये पहला संशोधन तो माननीय मंत्री जी अवश्य ही मान लेंगे कि 'May' के स्थान पर "shall" होना चाहिये, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके और चाहे प्रिंसिपल हेड-मास्टर, टीचर कोई भी क्यों न हो, उनको हटाया जाना, डिस्मिस किया जाना, रिडक्शन आफ रैंक होना या टर्मिनेशन आफ सर्विस के संबंध में नोटिस का दिया जाना जरूरी है और इंस्पेक्टर से परमिशन मांगना जरूरी है, उसी प्रकार अगर कोई टीचर सस्पेंड किया जाय या उसको कम्पलसरिली रिटायर किया जाय तब भी इंसपेक्टर की परमीशन मांगना जरूरी होना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं तो इस खंड का सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं, लेकिन जबतक सस्पेंशन और कम्पलसरी रिटायरमेंट का भी प्रावीजन इसमें नहीं होगा तब तक जो मंशा टीचरों को सेव करने की है वह अधूरी रह जायगी । जब श्रीमन्, १९५६ में यह विधेयक हमारे सामने आया उस समय सस्पेंशन का भी प्रावीजन था । उस समय इस विधेयक में सरकार ने प्राविधान किया था कि अगर कोई टीचर सस्पेंड किया जाय तो वह बिना इंस्पेक्टर की राय के नहीं हो सकता । लेकिन पता नहीं बाद में क्या सोचा गया कि, टीचर को सस्पेंड करने का अधिकार इसमें रहने दिया गया जैसा कि पहले था और इस विधेयक में उस पुराने विधेयक का वह शब्द डिलीट कर दिया जिसमें सस्पेंशन शामिल था । श्रीमन्, यदि हमने इसको न जोड़ा तो यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिनका खुल कर प्रयोग हो सकता है । मैं यह नहीं कहता कि सभी मैनेजमेंट ऐसा करेंगे और मैं यह भी नहीं कहता कि सभी मैनेजमेंट खराब हैं और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि हर मैनेजिंग कमेटी ऐसा करेगी, लेकिन कुछ तो ऐसा कर ही सकती हैं । कुछ लोग तो ऐसे अवश्य हो सकते हैं जो अध्यापकों को परेशान करने के लिये रिटायर कर दें, उनको रिटायर होने के लिये मजबूर करें या उनसे रिटायरमेंट के लिये कागज लिखवा लें । इसलिये अध्यापकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रावीजन अत्यन्त आवश्यक है ।

इस संबंध में दूसरे प्रांतों में भी प्रावीजन किया गया है और वहां इंस्पेक्टर के लिये भले ही नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रकार का प्रावीजन कई प्रांतों में हुआ है । चाहे वह रेग्यूलेशन्स में हुआ हो या रूल्स में हुआ हो, इसलिये मेरी मांग यह है कि यदि अध्यापकों को प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाना है और जिस प्रकार की उन्होंने कई बार घोषणा की है कि अध्यापकों को हमें प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाना है और उनकी सुरक्षा के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो सस्पेंशन के राइट को जरूर रखना होगा । मुदालियर कमीशन और आचार्य नरेन्द्र देव कमीशन की रिकमेंडेशन साफ शब्दों में भले ही यह न हो, लेकिन फिर भी जो उनकी भावना है कि अध्यापकों को किसी न किसी तरह से प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाना चाहिये उसकी रोशनी में मेरा सुझाव यह है कि इस संशोधन को मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये । जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि इसके रखने से अनुशासन में कमी आयेगी तो यह चीज तो रिडक्शन में या रिटायरमेंट में या डिसचार्ज के रखने में भी आ सकती है और अगर इनमें आ सकती है तो इसमें भी आ सकती है, इसलिये यह शंका करना ठीक नहीं है । अगर कोई अध्यापक अनुशासनहीनता का काम करता है तो इंस्पेक्टर खुद ही उसके खिलाफ इजाजत देगा अगर उसके खिलाफ प्रमाण होगा । इसलिये यह शंका करना निर्मूल है । मैं फिर दुहराता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय, जैसा कि १९५६ में विधेयक आया था उसी तरह से रखा जाय । ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भले ही बदल गया हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहले सस्पेंशन की बात इस विधेयक में थी । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन इसको स्वीकार करे ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन् अध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन के संबंध में अपनी निजी राय रखते हुए यह प्रगट करना चाहता हूं कि इस संशोधन के प्रथम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाग 'may' के बजाय 'shall' करने के पक्ष में तो मैं नहीं हूं लेकिन संशोधन के दूसरे भाग के पक्ष में हूं। माननीय त्रिपाठी जी की कल्पना के सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जहां तक प्रिंसिपल और हेडमास्टर वगैरह की बात है तो सस्पेंशन की बात जोड़ देना आवश्यक है। यह ऐसी हालत है जो भिन्न-भिन्न परिस्थिति में पैदा हो जाती है। डिस्चार्ज और डिस्मिसल वगैरह तो पीछे होता है लेकिन सस्पेंशन थोड़ी सी खटपट में होते देखा गया है और संस्थाओं का कार्य शिथिल हो जाया करता है। फिर भी यह स्थिति देखी गई है कि मामूली खटपट में शिक्षा संस्थाओं में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है और प्रिंसिपल तथा हेड मास्टर वगैरह के संबंध में स्ट्राइक हुए हैं और सरल कार्य मुश्किल हो जाया करता है। मुझे बहुत सी घटनाएं ऐसी मालूम हैं कि प्रिंसिपल्स को सस्पेंड किये जाने के बाद ऐसे परिणाम निकले कि उन्होंने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि संस्थाओं पर बड़ा आघात आया। अतः मैं उचित समझता हूं कि इन परिस्थितियों को भी इसमें जोड़ दें जो सस्पेंशन और कम्पलसरी रिटायरमेंट की हैं।

जहां एक तरफ मैं किसी तरह से आफिशल्स को अधिकार न देने के पक्ष में हूं, दूसरी तरफ यह भी चाहता हूं कि शैल की बात रख कर कम्पल्शन भी न डालें "may" डिस्क्रीशन पर आधारित है और 'shall' बाइंडिंग का रूप धारण कर लेता है। इसलिये मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर इस प्रकार का इसमें परिवर्तन प्रस्तुत करता हूं कि डिस्मिस्ड तथा फ्राम के बीच में सस्पेंशन और कम्पलसरी रिटायरमेंट जरूर बढ़ा दिये जायं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बहुत सी जगह कानून में 'may' उतनी ही अहमियत रखता है जितनी "shall" सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी जगहों पर केवल "may" लगा देने से यह नहीं माना गया है कि यह डिस्क्रिशनरी है बल्कि ऐक्ट के प्रावीजन को पूर्णतया देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 'may' डिस्क्रिशनरी है या उसका वही रूप है जो कि शैल का होता है। इसके कांस्ट्रक्शन को देखा जाय। यहां पर 'may' होने के बावजूद भी अपनी जगह पर मैंडेटरी है। लेकिन इस कानून में बिला वजह क्यों संदेह को स्थान दे जब कि वह संदेह दूर हो सकता है? माननीय जगदीश शरण जी या माननीय मंत्री जी इसको रोक नहीं सकते हैं क्यों कि 'may' रहते हुए यह मैंडेटरी है कि उनको न निकाल सकें जब तक कि डी० आई० ओ० एस० की परमीशन न ले लें। सरकार बहुत-सी चीजें मान लेती है, लेकिन साथ ही साथ कानून बनाते वक्त यह भी देखना होगा कि वह संशोधन वहां फिट बैठता है या नहीं। पिछले दिन की बात है कि माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन मान लिया। मैं भी उसके पक्ष में हूं। लेकिन जिस जगह पर माना है वहां सर्वथा अनुचित है। वहां आउट आफ प्लेस है। वह आज भी देख सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अगर सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है तो जिस स्थान पर वह ठीक होगा हम उसकी वहां पर दुरुस्ती कर देंगे। जहां पर ठीक होगा रख दिया जायगा और नहीं तो अध्यक्ष महोदय, जिस किसी स्थान पर वह संगत होगा उसको रख देंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि जब आप कानून बनाते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज और उसके कांस्ट्रक्शन का ध्यान रखना होगा।

जहां तक सस्पेन्शन और कम्पलसरी रिटायरमेंट का प्रश्न है, इसमें सस्पेन्शन दो तरह का हुआ करता है। एक तो इस तरह का किया जाता है कि आइन्दा चल कर उसको पनिशमेंट का रूप दिया जा सके। दूसरा वह होता है जो किसी इन्क्वायरी को फैसिलिटेट करने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

किया जाता है। इस तरह का क्लाज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐक्ट के अन्दर भी है जो किसी इन्क्वायरी को फैसिलिटेट करने के लिये रखा गया है। लेकिन यहां पर यह चीज नहीं है। वैसे मैनेजमेंट अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन अगर किसी मैनेजमेंट ने किसी प्रिन्सिपल को सस्पेन्ड कर दिया तो उसको कुछ समय के बाद काफी तकलीफ होती है। सर्विस से हटने के बाद उसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और अन्त में वह मैनेजमेंट के पास आकर शरणागत होता है और उसको उनकी शर्त मानने के लिये विवश होना पड़ता है। इस तरह के उदाहरण हैं, मैं सदन के सामने रख सकता हूं। लिहाजा इस चीज को प्राइवेट बाडी के हाथ में देना उचित नहीं मालूम होता है। अगर गवर्नमेंट के पास यह ताकत रहती तो मुझे उतनी आपत्ति नहीं थी। मैनेजमेंट और दूसरे प्राविजन का सहारा नहीं लेगा बल्कि अनुशासन के नाम पर इन दोनों चीजों के लिये इसका प्रयोग करेगा।

मैं जगदीश शरण जी को बतलाना चाहता हूं कि आप अनुशासन चाहते हैं और हम भी अनुशासन चाहते हैं और समाज का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि अनुशासनहीनता किसी भी क्षेत्र में बढ़े और किसी भी दिशा में हो परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भय है कि इसका प्रयोग अनुशासन के नाम पर कहीं और न हो। इसलिये इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, 'may' और 'shall' के विषय में एक दिलचस्प बहस यहां पर प्रस्तुत हो गई। मैं अंग्रेज नहीं हूं और अंग्रेजी भी जैसी हिन्दुस्तानी जानते हैं वैसी ही जानता हूं। मैं अभी तक यह समझे हुये हूं कि जहां पर 'may' नकारात्मक वाक्य में प्रयुक्त होता है उसका अर्थ होता है 'must' 'He may not do this' इसका अर्थ नकारात्मक होता है। जब कभी 'may' का नकारात्मक प्रयोग होगा उसका अर्थ 'must' होगा। कानून में दो मतलब से ही इसका प्रयोग किया जाता है। एक मेन्डेटरी और दूसरे अनेबलिंग सेन्स से इसी शब्द 'may' को रखा जाता है। जहां पर वह नकारात्मक होगा वहां पर वह मैन्डेटरी होगा अनेबलिंग नहीं होगा। तो मेरा ऐसा विचार है कि यहां पर इसका अर्थ 'mendatory Sence' में है।

दूसरी बात श्रीमन्, देखें कि 'shall' जब सेकिंड या थर्ड परसन के साथ प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ आदेशात्मक हो जाता है। अगर हम यह कहें कि 'No person shall do this' तो यह आदेशात्मक वाक्य ठीक होगा। But no person shall be dismis यह वह अर्थ नहीं रखता है इसलिये कि यह आदेशात्मक नहीं है। अगर नियम में प्रिन्सिपल या टीचर को यह आदेश दिया जाय कि तुम्हें यह करना होगा तो 'shall' का प्रयोग हो सकता था, किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि 'shall' का प्रयोग यहां पर कैसे होगा। श्रीमन्, देखेंगे कि इसमें एक एक्सेप्शन क्लाज भी है। इसमें है कि—

"No Principal, Headmster or teacher may be discharged are removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service, except with the prior approval in writing of the Inspector".

तो जहां पर एक्सेप्शन क्लाज है उसके पहले 'may' शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थ यह होगा कि इंस्पेक्टर एप्रूवल दे दे तो ही संभव होगा कि इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही हो सके। अगर आपकी बात मान ली जाय कि वह अनेबलिंग क्लाज है, तो इस वाक्य का अर्थ यह होगा कि इन्स्पेक्टर की एप्रूवल के बाद भी प्रबन्ध डिस्चार्ज न करे। तो जहां एक्सेप्शन क्लाज है वहां तो अनिवार्य हो जाता है कि हम इंस्पेक्टर की आज्ञा लेकर ही टीचर या प्रिंसिपल को डिस्चार्ज कर सकते हैं या डिस्मिस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि 'may' के स्थान पर 'shall' का रखा जाना अंग्रेजी की दृष्टि से भी उपयुक्त न होगा।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने ठीक कहा कि सस्पेंशन दो प्रकार का होता है। एक तो पनिशमेंट के रूप में होता है और यह उस समय होता है कि जब पनिशमेंट उस दिन से लाग हो जब से कि सस्पेंशन हुआ है। अगर सस्पेंशन पीरियड में हमने तनख्वाह दे दी मास्टर को और अपने पनिशमेंट को उस दिन से लागू किया हो कि जिस दिन से उसको आदेश दिये जाते हैं डिस्मिसल आदि के, तो ऐसी अवस्था में सस्पेंशन पीरियड पनिशमेंट नहीं होगा।

दूसरे प्रकार का सस्पेंशन होता है इंक्वायरी आदि के लिये। हम समझते हैं कि प्रिंसिपल की उपस्थिति किसी इंक्वायरी आदि के दौरान में अनुचित और अनुपयुक्त है, और अक्सर ऐसा समझा जाता है, तो उस समय के लिये आवश्यकता होती है कि उसे मैदान से हटा दें ताकि इंक्वायरी निष्पक्ष और ठीक से हो सके। तो ऐसी अवस्था में सस्पेंशन पनिशमेंट में नहीं आयेगा। अगर सस्पेंशन अनिवार्यतः पनिशमेंट नहीं है तो माननीय नारायणदत्त जी क्यों इस बात पर जिद करते हैं कि सस्पेंशन को भी इस धारा में सम्मिलित कर दीजिये। माननीय नारायणदत्त जी या कोई सदस्य यह नहीं कहता कि हम कुप्रबन्ध, जुर्माना नहीं कर सकते बगैर इंस्पेक्टर के पूर्व आदेश के, क्योंकि इसी धारा में डिस्चार्ज, डिस्मिसल और रिमूव, इन तीन बातों का जिक्र है। तो मैनेजमेंट पनिशमेंट में फाइन कर सकता है। अगर प्रबन्धक समिति फाइन कर सकती है और सस्पेंशन पीरियड में हम फाइन कर दें तो हमें इंस्पेक्टर की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्यों इस बात की जिद की जाय कि सस्पेंशन करते समय भी हम इंस्पेक्टर का आदेश लें। मैं यह समझता हूं कि सस्पेंशन शब्द यहां रखने का कोई अर्थ नहीं हो सकता। अगर सस्पेंशन के उपरान्त हम उसे डिस्मिस करें या रिमूव करें या डिस्चार्ज करें तो आवश्यकता इस बात की हो जायगी कि हम इंस्पेक्टर की आज्ञा लें। अगर हम सिर्फ फाइन करते हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता और वह इस सेक्शन के अन्तर्गत नहीं आता।

अब अन्त में श्रीमन्, जो कम्पल्सरी रिटायरमेंट की बात कही जाती है, मुझे पता नहीं कि इस प्रकार का कोई पनिशमेंट कोड में या एजूकेशन रूल्स में है भी या नहीं। अगर इनमें कंपल्सरी रिटायरमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि यहां पर किस तरह से यह उपयुक्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो रिटायर हो, दो या तीन महीने के बाद दरख्वास्त दे कर यह कह सकता है कि उन्होंने जबरदस्ती करा ली और जबरदस्ती मुझ से इस्तीफा ले लिया और इसलिये इसकी जांच हो। तो मेरा निवेदन है कि कम्पल्सरी रिटायरमेंट कोई पनिशमेंट के रूप में नहीं है। यह हो सकता है कि अनुचित बात या कोअर्शन प्रमाणित हो तो ऐसी अवस्था में टीचर को यह अधिकार होगा कि कहीं भी, किसी न्यायालय में जाकर यह कह सकता है कि मुझसे इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है, कोअर्शन एक्सरसाइज किया है। यह चीज तो ऐसी है कि जिसके लिये अदालत का द्वार खुला है और इसके लिये रेग्यूलेशन्स में व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह ठीक नहीं है।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, इस संशोधन के एक खंड का मैं समर्थन करना चाहता हूं। लेकिन पहले तो 'may' और 'shall' का झगड़ा आ गया है, इसलिये एक शब्द उसके बारे में कह देना उचित समझता हूं। हमारी समझ से तो 'may' उपयुक्त शब्द है। इससे बेहतर शब्द 'shall' नहीं हो सकता। उसका वह अर्थ कभी नहीं हो सकता जो कि 'may' का होता है। अगर 'shall' रख भी दिया गया तो वह निरर्थक ही होगा, उसमें कोई ताकत नहीं है। क्योंकि 'may' में 'कैन' और 'मस्ट' की ताकत है। इसलिये 'may' कानूनी हिसाब से भी और भाषा के हिसाब से भी, दोनों प्रकार से ठीक है। इसलिये 'shall' रखने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा विवाद 'सस्पेन्शन' शब्द के बारे में है। इसके बारे में मैनेजर साहब को कुछ शक पैदा हो गया मालूम होता है, इसलिये कि शायद टीचर बहुत पावरफुल होता है कि अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

उसको अपनी जगह से न हटाया जायगा तो वह एक तूफान बरपा कर देगा और शायद मैनेजर का तख्ता उलट देगा। इसलिये उसको सस्पेंड करने की इजाजत चाही जा रही है। यह मैं मानता हूं कि सस्पेंशन की उस जगह जरूरत होती है जहां यह आशंका होती है कि इंक्वायरी करने के बीच में कोई गड़बड़ी न पैदा हो जाय। ऐसे अफसर को कुछ समय के लिए पद से हटा दिया जाता है। लेकिन मुझे टीचर और मैनेजर दोनों का अनुभव है, मैं जानता हूं कि बेचारे टीचर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता। इसलिये सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उसको अपनी जगह पर रहने दिया गया तो वह बड़ा भारी उपद्रव मचा देगा।

जहां तक स्ट्राइक कराने का प्रश्न है और यह प्रश्न है कि उसके रहने से लड़के गड़बड़ी मचा देंगे तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि वह बाहर रह कर इसमें ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्कूल में रह कर इतनी नहीं। इसलिये यह सस्पेंशन वाली बात जो मेरे साथी ने रखी है, उस पर वे पुनः विचार करें और इसको निकाल दें। सस्पेंशन इसलिये भी आवश्यक नहीं है कि टीचर की दशा इतनी खराब है कि सस्पेंशन के समय में वह खर्चे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसा भी हुआ है कि सस्पेंशन के डर के मारे टीचर ने उन टर्म्स को कबूल कर लिया जो मैनेजर ने उसके सामने रखीं। इसलिये अध्यापक की दशा देखते हुए यह मानना जरूरी है कि इसमें से इस सस्पेंशन के क्लाज को निकाल दिया जाय। इंस्पेक्टर की राय लेने में देरी होने की आशंका नहीं है क्योंकि इंस्पेक्टर जिले में ही रहता है। १-२ घंटे के अन्दर ही इंस्पेक्टर से एप्रूवल लिया जा सकता है और टीचर के खिलाफ अनुशासन के नाम पर वह जल्दी से जल्दी उसकी इजाजत दे देगा। मैनेजिंग कमेटी से कहीं ज्यादा अनुशासन सरकार चाहती है और अनुशासन के नाम पर सस्पेंशन का आर्डर मिल जाने में देरी नहीं हुआ करेगी।

अभी कम्पल्सरी रिटायरमेंट की जो बात कही गयी, वह निरर्थक है। इसके बारे में कोड में नहीं दिया गया है, लेकिन वह आसानी से हो सकता है। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि अध्यापक दरख्वास्त दे कि मुझको रिटायर कर दिया जाय, तभी रिटायर हो। अगर कमेटी रिटायर करना चाहती है और कारण दे देती है तो कोड में न रहते हुए भी रिटायमेंट हो सकता है। इसलिये जब तक आप और कोई प्रबन्ध नहीं करते तब तक रिटायरमेंट का अधिकार होना चाहिये और 'कम्पलसरी रिटायरमेंट' शब्द रहना चाहिये। वे दोनों हथकंडों का प्रयोग करेंगे। रिटायरमेंट और कम्पलसरी रिटायरमेंट में उनकी मर्यादा रखी गयी है या और कोई ऐसे अल्फाज वे दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये शब्द ऐसे नहीं हैं जो उपयुक्त हों।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय जगवीरसिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, मुझे एक तो कठिनाई यह हुई कि मैं यह समझ नहीं पाया कि इसके पीछे क्या नीति है या इसके पीछे क्या कोई आधार भी है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इसके पहले जब हमने एक खंड में डाइरेक्टर को इस बात का अधिकार दिया था कि वह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्वीकार करे और उसके बाद वक्तन फवक्तन उसमें कोई अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिये डायरेक्टर की स्वीकृति न हो जाय, उस समय पहले आपत्ति यह की गयी थी कि यह बड़ी शक्ति आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं और मैनेजमेंट की शक्ति को कम करना चाहते हैं। उस समय तमाम दलीलें इस बात की दी गयी थीं कि जो मैनेजमेंट है उसके पास यह शक्ति होनी चाहिये। लेकिन आज यह कहा जाता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं होनी चाहिये। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम सस्पेंशन के पावर को भी उससे छीन लेंगे तब उसके पास रहेगा ही क्या? इस समय मैं 'मे' और 'शैल' के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यह कानूनी बात है और वकीलों ने और मिश्र जी ने, जो एक योग्य प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया है।

श्रीमन्, एक बात मेरी समझ में नहीं आयी कि अगर सस्पेंशन के पावर को भी मैनेजमेंट से ले लिया जायगा तो आखिर क्या शक्ति है जो उसके पास रह जायगी या फिर आप साफ-साफ कहिये कि मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमन्, मान लीजिये कि किसी टीचर ने कहा कि मैं इस क्लास में पढ़ाने नहीं जाऊंगा या किसी टीचर ने कोई संगीन अपराध किया, तो क्या उस समय यह होगा कि पहले इंस्पेक्टर के यहां से ऐप्रूवल आ जाय तब उसको सस्पेंड किया जाय? यह बात तो किसी भी तरह से दिमाग में नहीं आती। मैं कहता हूं कि जहां तक किसी पनिशमेंट या अनुशासनहीनता की बात है, उसको रोकने के लिये और अनुशासन को कायम रखने के लिए मैनेजमेंट को कहीं न कहीं शक्ति देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर, पर यूनिवर्सिटी सम्बन्धी जो विधेयक अभी पास किया गया है उसमें भी वाइसचांसलर को काफी पावर दिया गया है, उसी तरह से प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को भी इस प्रकार का पावर होना चाहिये अन्यथा अनुशासनहीनता बढ़ेगी और मैनेजमेंट का किसी किस्म का अंकुश टीचरों के ऊपर नहीं रहेगा।

एक बात मैं माननीय मिश्र जी से, जिनमें दोनों ही अनुभव हैं अवश्य कहूंगा कि मैनेजमेंट को इस तरह का पावर अवश्य होना चाहिये कि अगर कोई टीचर कोई संगीन जुर्म करे तो उसे तुरन्त वह सस्पेंड कर सकें और मैं समझता हूं कि यह उस टीचर के हित में भी होगा। अगर मौके पर उसका सस्पेंशन हो जाय, उसको काम से अलग रखा जाय और फिर इन्क्वायरी किसी कमेटी के जरिये हो तो वह अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई लम्बी बहस की जरूरत भी नहीं है यह कोई सिक्रेसी की बात नहीं है जिसे मैं बतला देना चाहता हूं। मूल बिल में सस्पेंशन के लिये भी यह था कि पहले इंस्पेक्टर का प्रायर ऐप्रूवल लेना होगा, लेकिन काफी बहस के बाद प्रवर समिति में बहुमत से यह निर्णय हुआ कि सस्पेंशन का पावर कम से कम मैनेजमेंट के हाथ में होना चाहिये। यही मैं समझता हूं कि सदन की भी राय है। कम्पलसरी रिटायरमेंट की जहां तक बात है, मैं उसको समझ नहीं पाया क्योंकि यह कोई दण्ड नहीं है। रिटायरमेंट शब्द अमूमन सरकारी नौकरियों में ही प्रयोग होता है। यूं तो हर जगह ६० वर्ष की अवस्था में या जो भी नियम हो उस अवस्था में तो रिटायर होना ही पड़ता है। कुछ प्राइवेट इंस्टीटयूशन्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो नियम हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मान लीजिये कि एक टीचर है, उसके खिलाफ एक शिकायत आई। हमने यह कहा कि या तो स्वयं इस्तीफा दे दो या हम आपको डिस्मिस करते हैं। डिस्मिस करने पर टीचर पर एक तरह का लांछन आता है तो उसके हित में यही है कि इस्तीफा देकर वह जा सकता है और दूसरी जगह वह अपने लिये नौकरी ढूंढ सकता है। मैं समझता हूं कि इसका यहां उचित स्थान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह अमेंडमेंट वापस ले लिया जायगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जगवीर सिंह जी ने यह संशोधन रख कर अध्यापकों का बड़ा कल्याण किया और मुझे अवसर मिला कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। सेलेक्ट कमेटी में भी इस पर काफी विचार विमर्श हुआ और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो यह अर्थ समझा कि 'may' का अर्थ 'shall' नहीं होता है तो फिर यह सारा विधेयक निरर्थक हो जाता है। इसके उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है कि अध्यापकों को सुरक्षा दी जा रही है। अगर मैनेजमेंट के अधिकारों और अध्यापकों के अधिकारों पर विवाद किया जाय तो फिर बड़ा लम्बा विवाद उठ खड़ा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट करेंगे और मुझे विश्वास है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें सुरक्षा देनी है और मैनेजमेंट के सम्बन्ध में वहां उन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में विरोध किया था। आखिर शिक्षा मंत्री ने बीच में एक ऐसा रास्ता निकाला कि अध्यापकों की सुरक्षा हमारा मूल उद्देश्य है और इस मैनेजमेंट को सन् १९३९ से लेकर आज तक मुदालियर कमीशन ने, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने, एजूकेशन एक्सपर्ट्स कमीशन ने कन्डेम किया है और कहा कि इस मैनेजमेंट से अब बदबू आती है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर मैनेजमेंट पर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर सारी योजना बेकार है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

हम में बहुत से अध्यापक हैं और मैनेजमेंट की हालत अच्छी तरह से समझते हैं। सभी अध्यापक इससे असंतुष्ट हैं। मैंने प्रथम वाचन के समय भी कहा था कि इससे हमारे अध्यापकों का ज्यादा कल्याण नहीं होने का। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि एक ऐसा विधेयक और आ रहा है जिसके अनुसार अध्यापकों की दशा सुधारी जायगी, सारा इंटरमीडिएट ऐक्ट सुधारा जायगा। १९५१ में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी बिल लाये, १९५५ में हरगोविन्द सिंह जी बिल लाये, दोनों शेल्व्ड (shelved) हो गये। कमलापति त्रिपाठी जी अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ऐसा बिल ला सके हैं और इससे अध्यापकों का कुछ लाभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इंटरमीडिएट विधेयक शीघ्र आना चाहिये ताकि सब विषयों पर विचार हो सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर सुरक्षा नहीं रह सकती। सन् १९५१ और ५५ ई० के बाद जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया तब भी कुछ नहीं हो सका। तो एक कदम आगे बढ़कर माननीय शिक्षा मंत्री ३-४ मीटिंग्स करके इस विधेयक को लाये और निकट भविष्य में यह कानून का रूप धारण कर सकेगा इसके लिये हम उनका आभार मानते हैं। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आर० ए० बटलर शिक्षा मंत्री के विषय में कहा गया था "वी वांट मिनिस्टर टु प्रोसीड बोल्डली" (we want Minister to proceed boldly); शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यहां 'may' का अर्थ "shall" से है और अगर नहीं है तो फिर कांस्ट्रक्शन गलत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले विद्यालयों में एजूकेशन कोड चलता था। उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के कुछ जी० ओ० हैं और उन जी० ओ० के एपेंडिक्स ५ में सहायक अध्यापक और एपेंडिक्स १० में हेड आफ दी इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। उसमें भी 'shall' ही रखा हुआ है 'may' नहीं है। अगर इस विधेयक में मैनेजमेंट को यह अधिकार दे दिये जायेंगे तो फिर यह विधेयक हमको पीछे ले जायगा, न कि आगे ले जायगा। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपेंडिक्स १० के दो चार शब्द और अपेंडिक्स ५ के दो चार शब्द पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--यह कोई बहुत महत्व का तो मालूम नहीं होता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, यह है :

"The committee shall not terminate the agreement in any case unless the resolution to this effect has been passed."

फाइव में भी इसी तरह "shall" है। तो हमें जो सुविधा प्राप्त थी उस सुविधा को ले लेना इस विधेयक का आशय हो तब तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर हमको एक कानूनी रूप दे कर के अध्यापकों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो तो अगर 'may' का अर्थ 'shall' हो, जैसा कि देवी प्रसाद जी ने कहा कि 'may' का अर्थ 'shall' है और मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन भाई जगदीश शरण जी को सुनने के बाद मुझे शंका हुई। अगर यह डिस्क्रीशनरी है कि मैनेजमेंट चाहे तो करे, चाहे तो न करे, तो यह अवश्य ही साफ कर दिया जाना चाहिये। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस पर अपना स्पष्ट मत दें।

रही सस्पेंशन की बात। कितने अध्यापक श्रीमन्, वर्षों से सस्पेंडेड हैं। सस्पेंशन को कोई सजा नहीं माना गया है। इसमें भी लिखा है कि सस्पेंशन का अर्थ है कि प्रोसेस आफ इन्क्वायरी। वह पनिशमेंट नहीं है। जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा, मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन अगर वर्षों चले, दो-दो वर्ष तक चले सस्पेंशन और वह अध्यापक परेशान हो जाय तो क्या माना जायगा? इसलिये इसमें ऐसा कुछ होना चाहिये कि सस्पेंड करने का पावर दी जाय तो निश्चित कर दिया जाय कि कितने दिनों तक सस्पेंड रखेंगे। साथ ही हर जिले में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रहते हैं। उनकी परमीशन घंटे दो घंटे में या एक दिन या दो दिन में ली जा सकती है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर अपना स्पष्ट निश्चय कर लें और अगर अध्यापकों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी

है तो इस पर वह अपना निर्णय दें । आज सरकारी विद्यालयों में क्या हो रहा है । क्या वहां के प्रिंसिपलों को यह पावर है कि वह वहां के अध्यापकों को सस्पेंड कर सकें ? तो जब सरकारी विद्यालयों में, एक ही स्तर के उन्हीं विद्यालयों में, उनको इतनी सुरक्षा प्राप्त है तो जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, वहां जो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है वह अगर इंस्पेक्टर की परमीशन ले तो उसमें क्या दिक्कत होती है ? कभी-कभी तो वह कम्पल्सरी रिटायर करते हैं । उसका अर्थ होता है, उनको रिट्रेंच कर देते हैं । मैं चाहता हूं कि सस्पेंशन और कम्पल्सरी रिटायरमेंट यह दोनों बातें इंस्पेक्टर से पूछ करके हों ।

आज पन्द्रह-सोलह सौ विद्यालय गैर सरकारी हैं और पन्द्रह-सोलह सौ मैनेजमेंट हैं । यह पन्द्रह सोलह सौ छोटे-छोटे एक तरह से स्टेट हैं । जैसे हमारे देश में जो छोटी-छोटी स्टेट्स पहले थीं वह फांसी देने का, कत्ल करने का, हर तरह का अधिकार चाहती थीं उसी तरह से यह मैनेजमेंट भी सब अधिकार चाहते हैं । यह नहीं चाहते हैं कि उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप करे । मैं भी एक कालेज का प्रिंसिपल हूं, बाइस तेइस साल से प्रिंसिपली कर रहा हूं । मुझे मालूम है स्कूल में लड़कों की फीस से और सरकारी सहायता से ९०, ९५ फीसदी विद्यालय आज चलते हैं । बहुत से मैनेजमेंट हैं जो सन् १९४७ के बाद बने हैं, वह इन स्कूलों से एक व्यापार चलाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं । कोई सेवा भाव से शिक्षा के क्षेत्र में आये और संस्था चलाये तो ठीक है, लेकिन वहां तो अधिकार की भावना आने लगती है । तो मैं समझता हूं कि वहां सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है और हम उस जिम्मेदारी से पीछे रहेंगे अगर ठीक-ठीक शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे । सारी प्लानिंग हमारी फेल हो जायगी अगर मानवता की प्लानिंग नहीं हो सकी । माध्यमिक शिक्षा वह व्यापक विषय है कि जिसमें सभी आ जाते हैं । इंटरमीडिएट पास लड़के आपके सारे सेक्रेटरियट में भरे पड़े हैं । वही लड़के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टेक्निकल एजूकेशन में जाते हैं । सब जगह जाते हैं । इसलिये इन अध्यापकों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । लेकिन जब कभी कोई इस तरह की बात आती है तो उसमें मैनेजमेंट यह समझता है जैसे बहुत बड़ा अधिकार उसका, हैदराबाद की नवाबी छीनी जा रही है । मैं बोलना नहीं चाहता था । मैं जानता था, उस कमेटी में बहस हो चुकी है । लेकिन जब उन्होंने इस तरह का प्रश्न उठाया तो मैंने कहा था, और मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि अध्यापकों के जैसे वह सहायक हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से "Shall" होना चाहिये और कांस्ट्रक्शन अगर गलसे है तो इसको इस प्रकार ठीक किया जा सकता है :—

"No management shall discharge, remove, dismiss, suspend or retrench any Principal, Headmaster or teacher....."

हमारे एक सदस्य ने कहा था कि आब्लीगेटरी नहीं हो सकता । अगर इस तरह हो जाय :—

"No management shall discharge, remove....."

तो इससे हमारा मतलब निकल जायगा । इस पर मंत्री जी सोचें ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी कुछ साफ कर देते तो आसानी हो जाती ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । "May" और 'Shall' के झगड़े मे मैं नहीं पड़ूंगा । माननीय मदन मोहन जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया था । जहां तक कम्पलसरी रिटायरमेंट का सम्बन्ध है काफी कहा जा चुका है । यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि अध्यापक जब तक चाहे तब तक काम करे, जब वह चाहे तभी रिटायर किया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता । वह कब चाहेगा कि रिटायर हो .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उम्र है । उसकी एज लिमिट है उस पर रिटायर हो जाय ।

श्री जगदीश प्रसाद---जी हां, मैं जानता हूं कि एज लिमिट है उसी पर रिटायर होता है । असल बात सस्पेंशन है । सस्पेंशन का जहां तक अर्थ है अनुभव यह है कि सस्पेंशन या किसी ऐसे मसले पर इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स जब आर्डर दे देता है तो आर्डर से पहले कई-कई महीने उनके दफ्तर में लग जाते हैं । कोई अध्यापक चाहे तो कई महीने केवल एक क्लर्क से मिल कर रुकवा सकता है और मसला तय नहीं होता और कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है, किसी अध्यापक ने कैरेक्टर सम्बन्धी या ऐमबेजेलमेंट सम्बन्धी कोई घोर अपराध किया उसको यदि सस्पेंड नहीं कर सके तो इंस्पेक्टर के यहां से एप्रूवल आने में ३, ४, महीने लग जाते हैं जिससे अनुशासन भंग हो जाता है । उसके बाद की कार्यवाही तो बाद की रही ।

दूसरी बात अध्यापक को आर्थिक हानि की है । यदि उसने अपराध किया है और अन्त में जाकर उसका डिस्मिसल हो जाता है तो पूरा वेतन उसका गया; तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ और अगर सस्पेंशन का आर्डर कैंसिल हो जाता है और फिर बहाल हो जाता है तो उस जमाने का पूरा वेतन उसको मिल जायगा । इसलिये आर्थिक हानि नहीं पहुंचेगी, इस अवस्था में भी उसके साथ न्याय ही हुआ ।

अगर ऐसा नहीं होगा तो संस्थाओं के रास्ते में रुकावट पड़ेगी । अध्यापकों के मन में यह हो जायगा कि हम कुछ भी करें मैनेजमेंट हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता । इसलिये मैं अधिक न कह कर चाहूंगा कि इस संशोधन को प्रस्तावक महोदय वापस लें । पहली प्रवर समिति में यह प्रश्न आया दूसरी प्रवर समिति में भी आया । पहली ने यही पास किया था कि सस्पेंशन शब्द को निकाल दिया जाय और दूसरी प्रवर समिति ने भी यही तय किया कि सस्पेंशन के वर्ड को निकाल दिया जाय ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई लम्बा भाषण नहीं करना है । 'May' और 'Shall' की जो बात है, जैसा बहस में भी कहा गया और मंत्री जी की और बिल की दोनों की मंशा है कि निश्चित रूप से यह बात तय हो जाय । अगर 'May' का अर्थ 'Shall' है तब तो कोई झंझट नहीं है । और अगर 'May' का अर्थ वह है जो माननीय जगदीश प्रसाद जी ने समझा है तो मैं समझता हूं सारे बिल की मंशा खत्म हो जायगी । अगर उसका अर्थ 'Shall' है तो मंत्री जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये । जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा, वही अर्थ है तो क्या शाब्दिक विवाद में छोड़ दिया जाय ? अतः मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस 'May' को 'Shall' में बदलने के लिये तैयार हो जांय और इससे विधेयक को पेश करने की जो उनकी मन्शा है, मास्टरों को सुरक्षा देने की, उसमें वह ज्यादा कामयाब होंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

***श्री जगवीर सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं विशेषकर उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने तजुर्बात यहां बताये । इसके अलावा मैं माननीय दीपनारायण जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है । साथ ही में मैं माननीय मिश्र जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टीचर्स और मैनेजमेंट दोनों पक्षों की बातों को सामने रखा है । उन्हें तजुर्बा है मैनेजमेंट का और मास्टर होने का भी, इसलिये दोनों पक्ष की बात उन्होंने कही । उनके विचारों के लिये मैं उन्हें खासतौर से बधाई देता हूं । मैं कभी विद्यालय का टीचर तो नहीं रहा केवल विद्यार्थी ही रहा हूं । मैं जब कुछ शिक्षकों को 'May' और 'Shall' का अर्थ लगाते देखता हूं तो उन्हें बड़ी परेशानी में पाता हूं । जिनको मास्टर होने का दावा है वे भी कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ । इसलिये विद्यार्थी को तो अपना ही निर्णय करना होता है और मैं इस निर्णय पर हूं कि 'May' मैन्डेटरी हो सकता है । अगर मंत्री जी की मंशा 'Shall' से है तो उन्हें इसके रखने में आपत्ति ही क्या है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर उनकी कोई और मन्शा है तभी उनको आपत्ति हो सकती है जैसा कि अभी श्री गौरीशंकर राय ने कहा कि इतने से ही इस बिल की जान निकल जाती है। जिस नजर से आज अध्यापक वर्ग इस तरफ निगाह लगाये हैं उसको इससे बड़ी निराशा होगी। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन हजारों और लाखों मास्टरों की ओर वह ध्यान दें जो कि दुईज के चांद की तरह इस बिल का इन्तजार कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि उन्हें कोई नई चीज मिलने जा रही है। मंत्री जी 'shall' रख कर इस शुबह को न छोड़ें कि 'may' की मन्शा क्या है, मैन्डेटरी है या क्या है, न मालूम इसका दुरुपयोग हो या क्या-क्या बातें हों। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह 'shall' रखने के लिये मान जांय।

दूसरे कम्पलसरी रिटायरमेंट और सस्पेंशन की बात है। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने इस विषय में बहुत कुछ कहा और टेम्पोरेरी व इण्टेरिम पनिशमेंट का जिक्र किया। मैं नहीं समझता कि किस तरह से टेम्पोरेरी पनिशमेंट हो सकता है चाहे इन्टेरिम हो भी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों में एक अनुशासनहीनता हो जायगी। मेरी समझ में नहीं आया कि जिनके ऊपर आने वाली सन्तानों को बनाने की जिम्मेदारी है और जिनके ऊपर देश नजर रखता है उनके सस्पेंशन के लिये अगर इन्सपेक्टर को लिखा जायगा तो बड़ी बदइन्तजामी होगी और न मालूम क्या-क्या होगा। उन्होंने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स पर बड़ा शुबहा किया, पता नहीं क्यों, वह तो उनका ही कर्मचारी है और उसके लिये शुबहा की कोई गुंजायश नहीं है।

माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि एक जबान तो कभी कही जाती है संस्थाओं को अधिकार देने की और दूसरे कभी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को अधिकार देने की। इस में अधिकार की कोई बात नहीं है अधिकार तो मैनेजमेंट को रहेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो इसलिये हम चाहते हैं कि अगर कम्पलसरी रिटायरमेंट किया जाय तो उसमें इजाजत ले ली जाय इंसपेक्टर आफ स्कूल्स से, तो उसमें कितनी देरी लग सकती है? यहां कहा गया कि न मालूम कितनी देर हो जायगी, क्या आसमान टूट जायगा। इसमें तो केवल एक या दो घंटे की देरी हो सकती है, और हो सकता है कि एक दो रोज की देरी हो जाय। एक दो रोज में अध्यापक कोई काम नहीं कर पायेगा जिससे स्कूल में कोई खराबी पैदा हो, या स्ट्राइक हो जाय। स्ट्राइक के लिये तो मिश्र जी ने बता दिया कि अध्यापक बाहर रहकर अच्छी तरह से ये काम कर पाते हैं, भीतर रह कर नहीं, इसलिये वह खतरा भी पैदा नहीं होता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इस मासूम संशोधन को, जिस पर कि विरोध होने की बात ही नहीं थी, बहुत सीधा है, इसको मान लेंगे। मास्टर लोग जो बहुत दिनों से आशा लगाये बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उनके बहुत बड़े हितैषी हैं और उनको वह बहुत आशा दिलाये बैठे हैं, उसको वह जरूर मान लेंगे।

*शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय उपस्थित है, काफी विचार विनिमय इस पर हो चुका है और दोनों ही पक्ष में और विपक्ष में विचार व्यक्त किये गये हैं। इसके २, ३ भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि शब्द 'may' के बजाय 'shall' कर दिया जाय। जहां तक मंशा का ताल्लुक है, जिस मंशा से यह संशोधन रखा गया है उसमें इधर उधर कोई मतभेद नहीं है। मंत्री जी ने प्रारम्भ में कहा था कि इस बिल का कोई खास उद्देश्य है तो वह यह है कि शिक्षकों को सुरक्षा मिल सके, इसीलिए यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी शिक्षक को अकारण सजा न दी जा सके। तो इसमें जो "may" आया है, उसके ही माने 'shall' हैं, जैसा कि मदनमोहन जी ने कहा। और भी मेरे मित्र यहां बैठे हुये हैं जिनको कानूनी तजुर्बा है। वह रोज ऐसी चीजें देखते हैं और रोज इस काम को करते हैं, वह समझते हैं कि जहां नकारात्मक क्लाज हो, "नो प्रिंसिपल, नो टीचर....." वहां 'may' शब्द का प्रयोग होता है और 'may' शब्द के माने ही 'shall' के हैं। अब नारायणदत्त जी या दूसरे मित्र कहते हैं कि साहब, अगर मंशा यह है तो फिर आप 'shall'

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

ही क्यों नहीं लिख देते ? श्रीमन्, आखिर एक भाषा होती है, वह जो मंशा है उसी मंशा के उपयुक्त वहां शब्द रखे हुए हैं, फिर उस चीज को बदलें क्यों ? क्या इस वजह से कि हमारी कुछ भावनाएं हैं ? कहीं भी आप लीगल टर्मिनोलाजी में देखेंगे, जहां शब्द 'may' का प्रयोग होता है वह 'shall' का फोर्स रखता है। आप इसको हिन्दी में देखिये, "किसी शिक्षक को नहीं निकाला जा सकता बिना निरीक्षक की परमीशन लिए हुए....." और मिश्र जी ने तो अच्छे तरीके से उसको रख दिया और स्पष्ट कर दिया कि उसके माने 'shall' के हैं। बल्कि 'shall' रख देने से एक व्यवस्था ऐसी पैदा हो जायगी कि हर शिक्षक को तो निकालना नहीं है, "नो टीचर शैल बि डिस्मिस्ड आर डिसचार्ज्ड" (no teacher shall be dismissed or discharged) इसके माने क्या होते हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आप और बिलों में देखिये, ऐसी व्यवस्था आयी हुई है।

श्री कैलाशप्रकाश---कहां ?

श्री अध्यक्ष---आप जरा इस तरह से खड़े-खड़े बातचीत न करें। अगर आप चाहते हैं कि उनकी बात सुनें तो बैठ कर उनकी बातें सुनें।

श्री कैलाशप्रकाश---बहुत अच्छा, तो उस शब्द की आवश्यकता नहीं है। मंशा बिलकुल वही है जो प्रस्तावक महोदय चाहते हैं, किन्तु जो भाषा प्रयोग में आती है और जो कानूनी तरीके से ठीक बैठता है वही रखना चाहिए।

दूसरा हिस्सा यह है कि इसमें शब्द 'सस्पेंशन' और 'कम्पलसरी रिटायरमेंट' है। 'कम्पलसरी रिटायरमेंट' का जहां तक सवाल है वह कोई पनिशमेंट तो है ही नहीं। सरकारी नियमों में वह चीज है। लेकिन कोई प्राइवेट मैनेजमेंट कम्पलसरी रिटायरमेंट किसी का नहीं कर सकता है। उसकी व्यवस्था ही नहीं है। जबरदस्ती की बात दूसरी है और वह कानून बनाने से नहीं रुकती है। लेकिन कम्पलसरी रिटायरमेंट कोई सजा नहीं है, डिसचार्ज किया जा सकता है, यह सजा है और उनको अख्तियार भी नहीं है तो कैसे वह यह काम कर सकते हैं ? और उस चीज का एप्रूवल लेना है। इसलिये वह शब्द निरर्थक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---टर्मिनेशन आफ सर्विस कोई पनिशमेंट है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अधिकार है सर्विस टर्मिनेट करने का, लेकिन यहां अधिकार भी नहीं है कम्पलसरी रिटायरमेंट करने का। सरकारी कर्मचारियों में सरकार को अधिकार है और वह यह कार्य कर देती है इसलिये यह शंका लोगों को पैदा हो गई है। लेकिन यह अधिकार शासन को है। इसलिये जब कोई अधिकार ही न हो तो नियंत्रण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका अधिकार न हो तो कल्पना मात्र समझ कर नियंत्रण लगाना ठीक नहीं है। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब सस्पेंशन का शब्द रह जाता है। कहा गया है कि इसको भी रखा जाय। श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन के पीछे यह भावना है कि शिक्षक के प्रति कोई अन्याय न हो तो उससे तो शिक्षा मंत्री जी और शासन पूर्णतया सहमत हैं कि मंशा यह है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि अगर हम कोई काम करने को चलें और किसी पर नियंत्रण लगायें तो इतना लगा दें कि जिसकी आवश्यकता न हो य उसको पंगु बना दें कि वह कोई काम ही न कर सके।

श्रीमन्, सस्पेंशन के दो रूप हैं। एक तो पनिशमेंट है और दूसरा ऐडमिनिस्ट्रेटिव है जिसकी अपने रोज के कार्य संचालन के लिये आवश्यकता पड़ जाती है कि फौरन किसी कर्मचारी को निलंम्बित किया जाय। मैं उदाहरण में जाना नहीं चाहता हूं बल्कि सिद्धान्त पर कहता हूं। जहां तक पनिशमेंट का ताल्लुक है, सस्पेंशन पनिशमेंट

नहीं है तो उसमें यह आ जायगा। अब रह जाती है ऐडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। श्रीमन्, यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है कार्य-कुशल के लिये और अच्छे प्रशासक के लिये कि जो इम्मीडियेट अफसर हो उसको अधिकार दिये जायं कि वह किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही कर सके। अगर यह अधिकार नहीं रहते हैं तो बहुत सी कठिनाइयां पैदा होती हैं और अनुभव से देखा गया है कि....

श्री अध्यक्ष---अभी आप काफी समय तक बोलेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---काफी समय तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप कहें तो मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो अब आप बाद में कहें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कैलाशप्रकाश---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था सस्पेंशन के विषय में। मुझे शब्द सस्पेंशन रखने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहली बात यह है कि सस्पेंशन एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि चाहे कार्य संचालन करने वाले हों, मैनेजिंग कमेटी हो चाहे प्रिंसिपल हों जिनके लिये आवश्यक हो जाय कि वह तुरन्त कोई काम करें, इस तरह की गम्भीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। बिना तुरन्त काम किये उसमें परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं और अनुशासन भंग होने का भी खतरा पैदा हो सकता है। श्रीमन्, साधारणतया यह अधिकार जो इमीडिएट अधिकारी होते हैं, अनुभव के आधार पर उनको दिया ही जाता है। अब क्यों यह अधिकार वहां के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट कमेटी को न दिया जाय ? जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर कोई कमेटी किसी एक शिक्षक का अकारण अनुचित या अन्यायापूर्ण निलम्बन करती है तो अन्त में निलम्बन रहने वाला नहीं है और अगर निलम्बन रहने वाला नहीं है, अगर वह सस्पेंशन ठीक नहीं समझा जायगा तो उस रोज से, जिस रोज से सस्पेंशन हुआ है शिक्षक को वेतन प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कमेटी जब उसे हमेशा इस बात की आशंका रहेगी कि यह मामला इंस्पेक्टर के यहां जाना ही है, निर्णय उसको करना ही है तो वह कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करेगी कि वह अनुचित कार्य करे। इसलिये इस आशंका में कि मैनेजिंग कमेटी या प्रिंसिपल अपने अधिकारों का ही दुरुपयोग न कर सके हम उन साधारण अधिकारों से भी उनको वंचित कर दें यह घोर अविश्वास की बात समझी जायगी और मैं यह समझता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं इस विधेयक को लाते हुए, कि घोर अविश्वास किसी भी पक्ष में नहीं है चाहे वह प्रबन्धक हो चाहे वह शिक्षक हों। थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी, उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिये यह है। लेकिन किसी में भी घोर अविश्वास रखना उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि कैसे मेरे मित्र दीपनारायण जी ने एक राय जाहिर की। वह तो....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मेरा नाम गलत हो गया है और शायद भाष्य भी गलत कर रहे हैं।

श्री कैलाश प्रकाश---वह तो संयुक्त प्रवर समिति में थे। उन्होंने कैसे राय जाहिर की इस संशोधन के सिलसिले में ? उन्हें तो अधिकार प्राप्त था कि जिस समय प्रवर समिति इस पर विचार करती है, वहां तो इस पर चर्चा नहीं करते यहां पर करते हैं। अगर वहां पर चर्चा होता तो मेरा विश्वास है कि वह वास्तव में सहमत हो जाते और यह समझते कि ऐसे संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे उन्हें बाद में यह खयाल आया। मैं पहले यह कह चुका हूं कि यह प्रश्न नया नहीं है। जब भी टीचरों की सुरक्षा के विषय में विचार किया गया और यहां पर सदन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है तो इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह अधिकार वहां स्थानीय संचालकों के पास रहना चाहिये।

[श्री कैलाशप्रकाश]

एक व्यावहारिक बात भी कहता हूं। आप सोचिये, अगर सस्पेन्शन इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की इजाजत से रखें तो व्यवहार में क्या होगा। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां से कितना समय सूचना के आने में लगेगा। इसके लिये इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को अपना दिमाग लगाना होगा। अगर वह दिमाग लगायेगा तो उसको कुछ इन्क्वायरी करनी होगी। जब उसको इन्क्वायरी करनी होगी तो उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि वह सस्पेन्शन का आर्डर एकदम नहीं दे सकता है। इसलिये इस रूप में सस्पेन्शन को रखना निरर्थक हो जायगा क्योंकि अगर इन्सपेक्टर को इंक्वायरी करके अपना दिमाग लगाना है तो फिर वह इंक्वायरी जरूर करेगा और उसके नतीजे पर विचार करके वह कुछ करेगा। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी का भी सस्पेन्शन हो, चार्जशीट दी जाय तो उसकी इंक्वायरी हो जाय और इन्सपेक्टर के पास मामला चला जाय और खत्म हो जाय। अगर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स सस्पेन्शन करेगा तो वह एन्क्वायरी करके चलेगा। प्रबन्ध समिति भी यही कहती है, तो फिर इसमें फायदा क्या हुआ? अगर इंक्वायरी करनी है तो उसमें समय लगेगा और तभी कोई चार्जशीट वगैरा की बात होगी। इसलिये सस्पेन्शन का अख्तियार वहां स्थानीय अफसर को रहना चाहिये।

मैं यह समझता हूं कि इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हुये भी कि प्रस्तावक महोदय का जिस तरीके से शिक्षकों को सुरक्षा देने का मन्शा है, उसी तरह से शासन का भी मन्शा उनको सुरक्षा देने का है। जिस प्रकार से हमारे मित्र शिक्षकों की परवाह करना चाहते हैं उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय न हो। इन सब बातों को देखते हुये यह प्रतीत होता है कि आपके संशोधन को स्वीकार करने से उनका लाभ नहीं होगा और केवल नुकसान ही नहीं बल्कि इसमें कुछ और भी खराबी पैदा हो सकती है।

इतना कहने केबाद मैं अपने प्रस्तावक मित्र से कहूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें और वह इसलिये कि हम इसमें अब पहले से अधिक परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस परिवर्तन से प्रबन्धक समिति के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। जो अभी तक का अनुभव हुआ है उसके आधार पर कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होने वाला है। प्रबन्ध सिमिति उस तरह से मुखालिफत नहीं कर सकती है जिस तरीके से हम देखते आये हैं। प्रबन्ध समिति का रूप बदल दिया गया है और उस बदली हुई स्थिति में जो भी प्रबन्ध समिति काम करेगी उस पर नया असर जरूर पड़ने वाला है। जिस तरह की आशंका आज प्रगट की गई है उस तरह की आशंका मुझे कोई दिखाई नहीं देती है। इसलिये अगर वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे तो मैं बहुत आभार मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के भाग (a) की पंक्ति १ में शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय तथा पंक्ति २ के शब्द 'dismissed' तथा शब्द "from" के बीच में शब्द "or suspended or compulsorily retired" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G जी की उपधारा (3) के खंड (C) की पंक्ति ७ में शब्द "he" के स्थान पर शब्द "it" रख दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है और भाषा के खयाल से शब्द "he" अशुद्ध है, क्योंकि कमेटी के लिये कभी "he" शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि "he" के स्थान पर "it" रख दिया जाय।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, यह उचित मालूम होता है कि यहां "he" के स्थान पर "it" हो। मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष जी, मैं इस आधार पर इसका विरोध करता हूं कि हमारे जितने भी नियम या उपनियम आदि बनते हैं वे यथार्थ में हिन्दी में बनते हैं और यह जो झगड़ा विभव जी ने पेश किया वह उनकी भाषा अंग्रेजी का झगड़ा है। अतः इसको इस विधान सभा में रखना उचित नहीं है और इसलिये मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप चाहते हैं कि "it" न हो, "he' हो रहे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा तर्क यह है कि "he" "she" का झगड़ा विभव जी का है, हिन्दी भाषा का सदन का झगड़ा नहीं है। इसलिये यह संशोधन यहां रखना अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के खंड (C) की पंक्ति ७ में शब्द "he" के स्थान पर शब्द "it" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--यह विधेयक ३ बजकर २० मिनट पर पारित हो जाने वाला है, तो आगे जो माननीय सदस्य बोलें उनसे कुछ संयम से काम लेने का अपील है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के भाग (d) के शब्द "Subject to Regulations" निकाल दिये जावें।

श्रीमन्, इस संबंध में एक सिद्धान्त का प्रश्न उठता है। वह यह है कि क्या मेन लेजिस्लेशन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन का सबार्डिनेट होना चाहिये? इसमें लिखा है कि--

"Subject to Regulations, the Regional Appellate Committee in each region shall consist of the Regional Deputy Director of Education, a member of the State Manager's Association and a member of the U. P. Secondary Association".

तो ऐक्ट ही में व्यवस्था है कि एक रीजनल एपीलेट कमेटी होगी जिसके ३ सदस्य होंगे जो किये हुये हैं। तो फिर इस "Subject to Regulations" की क्या जरुरत है? रेग्यूलेशन्स एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो फिर रेग्यूलेशन्स का सबजेक्ट उसे बनाना एक प्रकार से मुख्य प्राविधान की अवहेलना करना है।

यह स्टैट्यूटरी और ड्राफ्टिंग के सिद्धांत के भी खिलाफ है कि "Subject to Regulations" रखा जाय। शायद यहां भाषा की भी कुछ गलती होगी और अगर इसे निकाल दिया जाय तो ठीक ही होगा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--श्रीमन्, मैं भी इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है और रिडंडेंट है। रेग्यूलेशन्स के आधार पर तो सारी बातें होंगी ही। इसलिये "Subject to Regulations" रखना अनावश्यक है।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, जो सैद्धांतिक बात प्रस्तावक महोदय ने उठाई है वह उचित मालूम होती है, कि मूल अधिनियम के ऊपर रेग्यूलेशन्स नहीं जा सकते हैं। मंशा तो एपीलेट कमेटी का यह होगा ही और उसके ३ सदस्य होंगे। लेकिन उस कमेटी के कार्य संचालन के लिये, कोरम के लिये, नियम बनाने होंगे। नियम बनाने के लिये ये शब्द रखे गये थे जिन्हें वह निकालना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर के लिये रुक जावें ताकि मैं सलाह भी कर लूं कि इनके हटाने से कुछ दिक्कत तो नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--तब तक, माननीय नारायणदत्त जी, आप दूसरा संशोधन पेश करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (3-A) निम्न रूप में बढ़ा दी जाय :--

"3(A) (1) The order passed by the Regional Appellate Committee may be revised by the State Appellate Committee on the application of the party aggrieved made within one month of the receipt of the order of the Regional Appellate Committee. The order of the State Appellate Committee in revision shall be final.

(2) The State Appellate Committee shall consist of—

(i) The Director of Education or his nominee who will be the President of the Committee.

(ii) A member of the State Manager's Association nominated by that Association.

(iii) A member of the U. P. Secondary Education Association nominated by that Association.

(iv) A member elected from among the members of the U. P. Legislative Assembly."

श्रीमन्, इस संशोधन के द्वारा हम एक नई एपीलेट कमेटी की व्यवस्था करने जा रहे हैं और वह है स्टेट एपीलेट कमेटी । सेकेन्ड अपील का अधिकार सभी विवादों में रहता है, वैसा ही यहां भी होना चाहिये । आप देखेंगे कि संयुक्त प्रवर समिति के संशोधन के पहले मूल विधेयक में इसकी व्यवस्था थी और उसमें डाइरेक्टर महोदय को अधिकार दिया हुआ था कि उनके पास दूसरी अपील हो सकेगी । लेकिन संयुक्त प्रवर समिति ने पुराने प्रावीजन को हटा दिया है । प्रवर समिति ने रीजनल एपीलेट कमेटी बना दी और रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर को उसका चेयरमैन बना दिया । जब हम रीजनल एपीलेट कमेटी की बात करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि उसके ऊपर भी कोई स्टेट एपीलेट कमेटी होगी । रीजनल एपीलेट कमेटी अपने से ही रीजनल कमेटी हो तो यह बात शोभा नहीं देती है । अगर हम डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि कोई मिनिस्टर भी है, इसी प्रकार यदि हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं तो यही अर्थ होता है कि कोई स्पीकर भी है। इसलिये रीजनल एपीलेंट कमेटी के होते हुए स्टेट एपीलेट कमेटी भी होनी चाहिये । इसके बिना कोई तुक नहीं बैठता । पहली रीजनल एपीलेट कमेटी की व्यवस्था ही हमने स्टेट अपीलेट कमेटी में की है । केवल एक नई बात रखी है कि असेम्बली के सदस्यों में से भी एक सदस्य होगा । मुझे आशा है कि जब क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल एपीलेट कमेटी का सिद्धांत मान लिया गया है तो राज्य के स्तर पर भी ऐसी एक कमेटी के प्रस्ताव को मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि नारायणदत्त जी के प्रस्तावों को मैं स्वीकार करता गया हूं । परन्तु इस प्रस्ताव के माने तो यह होंगे कि हमारे अध्यापकों को बहुत दिनों तक लटका दिया जायगा । रीजन के स्तर पर कमेटी है ही जिसमें अध्यापकों और व्यवस्थापक लोगों के प्रतिनिधि होंगे । वहां मामलों का फैसला हो जायगा । सारे सूबे में १,६०० १,७०० या इससे भी अधिक हमारे विद्यालय हैं । जितने भी झगड़े होंगे सबकी अपील स्टेट कमेटी के पास आये बिना रहेगी नहीं । इससे डाइरेक्टर के यहां और काम बढ़ जायगा । एक-एक झगड़े में आज रीजन के स्तर पर भी 'arbitration board' को बहुत दिन लग जाते हैं । मेरी समझ में यह किसी प्रकार भी अध्यापकों के हित में स्वीकार करने लायक नहीं है । सेलेक्ट कमेटी में भी इस प्रकार का विचार हुआ था । यह कहना कि रीजनल कमेटी हो तो स्टेट कमेटी भी हो तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि स्टेट कमेटी है तो

यूनियन कमेटी भी हो। तो केवल उसका तारतम्य जोड़ने के लिये अनावश्यक प्रावीजन करना कोई लाभदायक न होगा और वह जिस लाभ के लिये किया जा रहा है वह भी खटाई में पड़ जायगा। इसलिये यह उचित न होगा। मैं समझता हूं माननीय नारायण दत्त जी स्वयं इस पर विचार कर लेंगे और इसे वापस ले लेंगे।

श्री देवी प्रसाद मिश्र--जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उसी का समर्थन कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अध्यापकों को जल्दी न्याय मिलना चाहिये। क्योंकि एक रीजनल कोर्ट में जाने में ही उसको २-३ वर्ष लग जाते हैं, अगर एक अपील स्टेट स्तर पर कर दी जाती है तो अध्यापक और भी मर जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कुछ भी न्याय उसके पक्ष में दिया जाय, वह रीजनल कमेटी में ही दिया जाय और वह अन्तिम हो।

श्री जगदीश प्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा और मिश्र जी ने भी कहा यह संशोधन अगर अनुभव से देखा जाय तो इसे न तो अध्यापक ही स्वीकार कर सकते हैं और न उसको व्यवस्थापक ही स्वीकार करेंगे। अगर इसको मैनेजर एसोसियेशन और अध्यापक एसोसियेशन दोनों को रिफर कर दिया जाय तो दोनों ही इसको नापसंद करेंगे। पहले तो यह ठीक भी हो सकता था जब कि इंसपेक्टर के निर्णय के विरुद्ध डिप्टी डाइरेक्टर के पास अपील रखी गयी और इसीलिये प्रदेशीय स्तर पर डाइरेक्टर के यहां अपील रखी गयी थी। लेकिन इस वक्त जब कि आप इसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि, मैनेजरों के प्रतिनिधि और डिप्टी डाइरेक्टर तीनों को रख रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती कि इसको और आगे भेजा जाय। अनुभव यह कहता है कि अध्यापक या व्यवस्थापक यह नहीं समझते कि उनके साथ बेईमानी हुई है या न्याय नहीं हुआ है बल्कि उनकी शिकायत यह रहती है कि उनका फैसला बहुत देर में किया गया है। कारण यह है कि उसमें आनरेरी वर्कर्स होते हैं जिनको समय पर पहुंचने में असुविधा होती थी। कभी-कभी अध्यापकों और व्यवस्थापकों के पहुंचने में भी देर होती थी। लेकिन अगर आप दूसरा बोर्ड भी बना देंगे तो उसमें दोनों लोग और भी ज्यादा परेशान होंगे और कोई लाभ नहीं होगा। इसके अवाला उन्होंने जो नये बोर्ड का कांस्टीट्यूशन रखा है उसमें भी कोई खास बात नहीं दिखायी दी। उसमें एक डायरेक्टर का नामिनी होगा, एक अध्यापकों का और एक व्यवस्थापकों का होगा, एक मेम्बर असेम्बली का भी रखा गया है। इसलिये उसमें कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। इस कारण से मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं प्रदेश के अध्यापक वर्ग को बधाई देता हूं कि उसके बारे में इस सदन में बड़ी भारी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। जब किसी संशोधन का समर्थन किया जाता है तो भी अध्यापकों का नाम लिया जाता है और जब विरोध किया जाता है तो भी अध्यापकों का नाम लिया जाता है। इस संशोधन के विरोध में भी माननीय शिक्षा मंत्री ने पुनः ऐसे ही विचार व्यक्त किये और उनको याद किया। मालूम पड़ता है कि सबका उनको ज्यादा खयाल है। इसमें और भी चार चांद लगा दिये माननीय मिश्र जी ने जो कि मैनेजर और अध्यापकों, दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का समर्थन करके। अगर यह मान भी लिया जाय कि रीजनल एपीलेट कमेटी में जितनी भी अपीलें होगी वे सब अध्यापकों के हक में होंगी, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री और मिश्र जी का विचार है तो स्टेट एपेलेट कमेटी में उनके खिलाफ हो जायगा। लेकिन ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जिनमें रीजनल कमेटी अध्यापकों के खिलाफ जाय और स्टेट कमेटी में जाने पर उनका हित भी हो सकता है। तो जब अध्यापक को स्टेट कमेटी से मुक्ति मिलेगी तो वह खुश होगा। अगर अध्यापक ही इन मामलों में परेशान होने वाला व्यक्ति है तो उसको अवश्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ही अपील का मौका मिलना चाहिये । एक अपील रीजनल एपीलेट कमेटी में होने की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि मान लीजिये कि वहां पर उनको न्याय न प्राप्त हुआ हो तो एक जुडिशियल बाडी की व्यवस्था की गयी है । फिर कोई विशेष कारण नहीं दिखलायी देता कि इसको मान लेने में उनको क्या दिक्कत है । इससे किसी पार्टी को लाभ या हानि की बात नहीं है ।

जहां तक यह सवाल है कि इसको बनाया जाय या न बनाया जाय, मैं तो यह चाहता हूं जैसा कि माननीय दीप नारायणमणि त्रिपाठी जी ने बतलाया कि उनको इसका बड़ा अनुभव है, और साथ ही जब प्रवर समिति ने एपीलेट कमेटी का होना स्वीकार कर लिया है जिसमें मैनेजर और अध्यापकों के प्रतिनिधि होने चाहिये तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि प्रादेशिक स्तर पर क्यों न ऐसी कमेटी हो जिसमें अध्यापकों के भी प्रतिनिधि हों और मैनेजरों के भी प्रतिनिधि हों । श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि इसमें न तो मुझे अध्यापकों का कोई हित दिखाई देता है और न और किसी प्रकार का ही लाभ दिखाई देता है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक की भावना को देखते हुये इस पर पुनः विचार किया जाय और मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, बहस में तो हर बात कही जा सकती है और पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से तर्क में बहुत सी बातें पेश की जा सकती हैं, पर मुझे यह पूरा निश्चय है कि एक संशोधन को पेश कर देने के बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी ने यह सोचा है कि चाहे जैसे भी हो अपने पक्ष का समर्थन करना ही चाहिये । यदि वे अपने मन से इस बात को निकाल कर विचार करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी राय से सहमत होंगे । अभी कुछ दिन पहले बहुत जोरों से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था कि केन्द्रीयकरण ऐसा नहीं होना चाहिये कि सब चीजों की शक्ति अधिकारियों के हाथ में ही रहे । लेकिन अब इस वक्त जो दो तीन प्रस्ताव पेश हैं, उसमें केन्द्रीयकरण पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है । असल में इस प्रस्ताव से सरकार का मंशा तो यही है कि झगड़े का फैसला जल्द से जल्द हो । सिर्फ सूबे के स्तर पर हम कमेटी बनावें तो निश्चय है कि कोई स्कूल ऐसा न होगा और कहीं का अध्यापक या कोई मैनेजमेंट ऐसा न होगा जिसके खिलाफ नीचे से फैसला हो तो वह अपील न करे । और जब वह अपील हो गयी तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैसा शिक्षा विभाग का काम बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से इस स्टेज तक पहुंचने में उसे वर्षों लग जायेंगे और फिर जल्दी से जल्दी फैसला कराने का जो हमारा उद्देश्य है वह समाप्त हो जायगा । यह भी है डाइरेक्टर अपना नामिनी कमेटी में भेज सकता है, वह डिप्टी डाइरेक्टर को नामिनेट कर सकता है । फिर पते की बात यह है कि मैनेजर्स ऐसोसिएशन एक प्रकार से सुसंगठित है और अध्यापक संघ भी सुसंगठित है, इसलिये फैसले में देर हो जाने के पक्ष में कोई भी नहीं होगा और जिले के स्तर पर फैसले की बात रखी जाय तो कदाचित इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि जिले के स्तर पर इंसपेक्टर होता है, फिर उसके खिलाफ अपील होगी तो वह रीजनल स्तर पर होगी । मैं समझता हूं कि इस प्रयोग को आप होने दें और देखें कि कैसे काम होता है, फिर उसके बाद अगर आपको कोई आवश्यकता प्रतीत हो तो आप उस पर विचार करें कि इसको निकाल देना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह सब की मांग है कि फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिये, लेकिन इस चीज को मान लेने से फैसले में बहुत विलम्ब लगेगा और फिर जहां तक हम पहुंच सके हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पावेंगे । इस विचार से मेरी प्रार्थना है कि आप इस संशोधन को वापस ले लें और जो विधेयक रखा गया है उसको स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (3-A) निम्न रूप में बढ़ा दी जाय —

"(3—A) (1) The order passed by the Regional Appellate Committee may be revised by the State Appellate Committee on the application of the

party aggrieved made within one month of the receipt of the order of the Regional Appellate Committee. The order of the State Appellate Committee in revision shall be final.

(2) The State Regional Committee shall consist of—

(i) The Director of Education or his nominee who will be the President of the Committee.

(ii) A member of the State Manager's Association nominated by that Association.

(iii) A member of the U. P. Secondary Education Association nominated by that Association.

(iv) A member elected from among the members of the U. P. Legislative Assembly".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश—"सब्जेक्ट टु रेगुलेशंस" वाला जो संशोधन है वह स्वीकार है । इन शब्दों के रहने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के भाग (d) के शब्द "Subject to Regulations" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) को निकाल दिया जाय ।

श्रीमान्, इस विधेयक की धारा 16-G की उपधारा (3) में यह स्पष्ट है कि कोई भी प्रबन्ध समिति किसी प्रिन्सिपल को, किसी प्रधानाचार्य को, किसी टीचर को न तो डिस्चार्ज कर सकती है, न रिमूव कर सकती है, न डिसमिस कर सकती है, न तनज्जुली कर सकती है, न तनख्वाह को काट सकती है, न नौकरी से समाप्त होने का नोटिस दे सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी शिक्षा संस्थायें इस समय हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनमें से अधिकांश संस्थायें जनता द्वारा संचालित हैं और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि सन् १९४७ के बाद जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो जहां वास्तव में शिक्षा का अभाव था वहां बहुत बड़ी संख्या में इन संस्थाओं का निर्माण हुआ । उन क्षेत्रों में जहां सरकार की ओर से केवल जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाती थी, कोई उच्चतर शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था जनता के एक बड़े प्रयास ने वहां अनेक शिक्षण संस्थाओं को जन्म दिया गया और आज बहुत सी शिक्षा संस्थायें इतने अच्छे रूप में चल रही है कि उनकी तुलना सरकारी शिक्षा संस्थाओं से नहीं की जा सकती । हमारे प्रदेश की शिक्षा की बहुत बड़ी कमी को जनता द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं ने पूरा किया है । इस उपधारा (३) से हम प्रबन्ध समितियों पर एक प्रकार का अविश्वास प्रकट करते हैं कि वे उन संस्थाओं को ठीक तरह से नहीं चला सकती हैं या उनमें जो अध्यापक या प्रधानाचार्य हैं उनके साथ न्याय नहीं कर सकती हैं ।

मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को किसी शिक्षा संस्था का मैनेजर या प्रबन्धक समिति जो उस संस्था को चला रही है क्यों निकालेगा, क्यों नोटिस देगा जब कि आज इस प्रदेश में योग्य अध्यापक नहीं मिलते ? किन्हीं-किन्हीं विषयों के अध्यापकों का तो नितान्त अभाव है । यदि यह सूचना प्राप्त की जाय कि जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कितनी संस्थाओं के द्वारा ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें अध्यापकों की निरन्तर मांग रहती है, और वह वहां से पूरे नहीं हो पाते हैं । शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारे उधर बैठने वाले बहुत से साथी विशेष जानकारी रखते हैं और यह

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

प्रसन्नता की बात है कि उनमें से अनेक अध्यापक भी हैं। किन्तु इस सदन में वास्तविकता छिपाना उचित न होगा। मैं और हमारे साथी सभी इस बात को जानते हैं कि वह संस्थायें जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं उनके चलाने का अधिकांश भाग शिक्षकों पर प्रधानाचार्यों पर, प्रिंसिपलों पर ही है। वे लोग अपने ढंग से उसको चलाते हैं। प्रबन्ध समिति की साल दो साल में एक या दो बार बैठक होती है। उसमें भी उसके प्रबन्धक, मैनेजर या सभापति विशेष दिलचस्पी नहीं लेते। शिक्षा शुल्क के साथ में जो बहुत से शुल्क लिये जाते हैं उनको खर्च करना, उनको जमा करना उन अध्यापकों के ही हाथ में रहता है। कितनी शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं कि जहां पर इन शुल्कों का जैसे कि पुस्तकालय शुल्क है, क्रीड़ा शुल्क है, सदुपयोग होता है उन अध्यापकों की ओर से कि जो अपने नाम से बैंक में या डाकखाने में संस्था के रुपये को जमा करते हैं। ऐसे पैसे के प्रारूप के कारण परिस्थितियां समय-समय पर आ जाती हैं कि उनके विरुद्ध मैनेजर को तुरन्त कार्यवाही करनी होती है वह लोग ऐसे समय पर दलबन्दी पैदा कर देते हैं जिससे शिक्षा संस्था ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाय या ऐसी स्थिति में प्रबन्ध समिति के ऊपर इस प्रकार का अविश्वास करना और प्रबन्ध समिति के अधिकारों को छीनना उचित नहीं है; इससे जनता में इस बात का भी भ्रम होता है कि सरकार विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाना नहीं चाहती, इस प्रकार के बिलों से सत्ता का केन्द्रीकरण करती है और सारे ही अधिकारों को अपने हाथों में रखकर उन शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों और उन व्यक्तियों को जो किसी धार्मिक भावना में या और कारणों से इन संस्थाओं को खोलते हैं, दान देते हैं, उनके कार्य में रुकावट डालती है। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि यह 16-G की उपधारा (३) पर मंत्री जी विचार करें और यह देखें कि इस विधेयक के उद्देश्य को यह कहां तक पूरा करती है और कहीं ऐसा हो कि हमारे प्रदेश की शिक्षा की प्रगति में बाधक हो जाय और भविष्य में जनता के विद्यादान की भावना को नष्ट कर दे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें विवाद के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। माननीय धर्मदत्त जी हमारे वैद्य हैं और उन्होंने एक ऐसी पुड़िया ढूंढ़ निकाली है जिससे कि इस बिल की निष्ठुर हत्या हो जाती है क्षण भर में। तो इनके स्वीकार करने की तो बात ही नहीं है और इस पर अब और विवाद की आवश्यकता नहीं है। हम इसे स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। वैद्य जी इसे वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजाय यह संशोधन लाने के अगर माननीय वैद्य जी यह प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखते कि यह बिल सदन में न लाया जाय तो शायद ज्यादा कारगर हो जाते। धारा ३ की चर्चा करते हुए जो उन्होंने यह कहा कि उधर से कुछ अध्यापक बोले हैं, मेरा अपना ऐसा खयाल है कि बड़ी देर से हमारे वैद्य जी के भीतर का सोया हुआ मैनेजर एकाएक प्रच्छन्न रूप से बोल उठा है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि मैनेजर और व्यवस्थापक की जितनी प्रबन्ध समितियां हैं उनकी सेवा की उन्होंने सराहना की है, लेकिन उनकी सेवाओं के बदले में वह यह नहीं चाहते हैं कि उन अध्यापकों को नित्य प्रति दंड दें। मैं इस पर कोई भाषण नहीं दूंगा। मन्त्री जी स्वयं मान चुके। अगर यह धारा हटा दी गई तो इस बिल में कोई ऐसी धारा नहीं रह जायगी जिसमें अध्यापकों के लिए कुछ रह जाता हो बल्कि जो पहले था उससे भी कुछ पीछे चला जायगा। तो मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं। बल्कि मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री देवी प्रसाद मिश्र—मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि मेरी राय करीब-करीब उनसे मिलती जुलती है कि मैनेजिंग कमेटी रहनी ही नहीं चाहिए। उसके अधिकार कम से कम किये जायं। तो वास्तव में उस रास्ते पर ही सरकार चल रही है जो रास्ता वैद्य जी को भी मंजूर है कि मैनेजिंग कमेटी का अस्तित्व ही खतम हो जाना चाहिए।

श्री धर्मदत्त वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह आशा रखते हुए कि जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने में प्रबन्ध समिति को कुछ अधिक सुगमता रहेगी अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक जानकारी करना चाहता हूं। क्या शिक्षा मंत्री जी कोई बीच का भी प्रावीजन सोच रहे हैं, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी भी गन्दी, इन्सपेक्टर आफ स्कूल भी गन्दा। क्योंकि शिक्षा से सम्बन्धित कोई न कोई प्रबन्ध जरूर होना चाहिये जिससे वर्तमान गड़बड़ी दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष—शिक्षा मंत्री जी माननीय राजनारायण जी का उत्तर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—गड़बड़ी दूर करने के लिये ही बिल पेश किया है।

श्री राजनारायण—इस बिल से आप संतुष्ट हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पेश किसलिये किया है ?

श्री राजनारायण—पेश तो किसी दूसरे कारण से किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—तो वापस होने में किसी को कोई एतराज नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय कैलाश प्रकाश जी, आप किसी प्रावीजन का आर्डर बदलना चाहते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, आपकी कृपा से यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिन खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—(D) की उपधारा (4) के भाग (A) के अंश (ii) में हमने एक प्रतिबन्धात्मक वाक्य लगाया था और वह स्वीकार कर लिया गया था। वह इस रूप में था—

"Provided further that the period for which the initial order under this sub-section is made shall not exceed the period of one year".

वैसे यह स्वीकार ही है उसमें कोई हमारे मत में परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन जैसी इसकी भाषा है अगर विधेयक में उसी धारा में देखा जाय तो एक दूसरा प्रावीजन है और वह प्रावीजन इस सम्बन्ध का है कि अगर कहीं ऐसी कार्यवाही हो जाय तो फिर भी इंस्टीट्यूशन अपनी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को भेज सकता है। वह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार हो सकती है और फिर यह आर्डर उस पर लागू नहीं होगा। तो वह चीज कुछ उससे भिन्न हो जाती है, अगर यह ऐसे ही रहता है। यह प्रावीजन इसके बाद लिया जायगा। तो पहले इनीशियल आर्डर की बात है, फिर उसको बढ़ाने की बात है। फिर यह बात कि स्कीम आफ़ ऐडमिनिस्ट्रेशन दुबारा भेजी जा सकती है और फिर यह कहना कि इनीशियल आर्डर एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इसकी उचित प्लेस यह है कि जो पहला प्रावीजो है उसके पहले यह प्रावीजो रख दिया जाय। ऐसा करने के लिये इसमें से शब्द "further" निकाल कर यह शब्द "further" दूसरे में जोड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं यह विधेयक को ठीक रूप से रखने में और बाद में कोई आशंका और विवाद पैदा न हो इसके लिये जरूरी है। जहां तक सिद्धान्त है वह स्वीकार है। इसके बाद में लगाना है—

"The period for which an order under this sub-section is made may be [illegible]d by the State Government from time to time".

[श्री कैलाशप्रकाश]

इसके बाद में यह प्रावीजन आना चाहिये--

"Provided that the period for which the initial order under this sub-section is made shall not exceed the period of one year".

और उसके बाद का जो प्रोवीजो है--

"Provided further that it will be lawful....."

यह ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो स्वीकार हो ही चुका है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे एक बात कहनी है। कुछ मित्र मिले, उन्हें कुछ गलतफ़हमी यह हो गई थी कि हर आर्डर एक साल का ही होगा। ऐसा कोई अर्थ नहीं है' छः महीने, एक साल का भी हो सकता है पहला इनीशियल आर्डर। लेकिन कुछ लोगों ने समझा कि हर आर्डर एक साल का होगा।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, यह तो स्पष्ट है कि एक साल से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम तो हो ही सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--तो प्रतिबन्ध आप स्वीकार कर चुके हैं, सिर्फ़ क्रम का बदलाव हो गया है। मैं समझता हूं किसी को कोई एतराज नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

संक्रमण-कालीन उपबंध।

८--(१) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, १६-ए से १६-आई तक की धाराओं के अन्तर्भूत विषयों के सम्बन्ध में विनियम बनाये और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम उस समय तक प्रचलित रहेगा जब तक इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्यवाही करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन बने समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायंगे और जब तक कि इस प्रयोजन के लिये कोई दूसरा दिनांक न निर्दिष्ट किया जाय, वे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये समस्त विनियम बनने के बाद यथा शीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिये प्रस्तुत किये जायंगे, और ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो कि विधान मण्डल उस सत्र में करे जिसमें वह इस प्रकार प्रस्तुत किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

कठिनाई निवारण उपबंध।

९--इस अधिनियम के प्रचलन से सम्बद्ध किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा यह निदेश कर सकता है कि यह अधिनियम, उस अवधि के भीतर जो कि इस आदेश में नियत की जाय,

ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हों जैसे कि वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभाव होगा और किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ वह कोई ऐसा अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकता है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से बारह मास बाद कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायगा।

श्री मोती लाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके सामने जो विभव जी का संशोधन आगे आ रहा है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १६८ की ओर दिलाऊंगा जिसमें लिखा है कि विधान सभा का कार्य हिन्दी भाषा में होगा और देवनागरी लिपि में होगा। अब यह संशोधन जो विभव जी पेश करेंगे वह उस खंड का दूसरा उपखंड होगा जो स्वयं हिन्दी में है। मैं आप की पूर्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये कि जो मूल अधिनियम अंग्रेजी में होता है उसके संशोधन भी अंग्रेजी में आने चाहिये, निवेदन करूंगा कि यहां तो जिस मूल अधिनियम में संशोधन करके नया उपखंड जोड़ा जा रहा है वह हिन्दी में है, इसलिये यह संशोधन भी हिन्दी में ही होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह खंड जिस पर संशोधन हो रहा है, यह हिन्दी में है और संशोधन अंग्रेजी में है; खंड ९ हिन्दी में है, मूल अधिनियम का अंग नहीं है। जो हिन्दी में है, वह इस प्रकार है—"इस अधिनियम के प्रचलन से सम्बद्ध किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा यह निदेश कर सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर जो कि इस आदेश में नियत की जाय, ऐसे..."। तो इस प्रकार यह हिन्दी में है और संशोधन भी हिन्दी में आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—विधेयक हिन्दी में है, इसलिये (श्री देवकीनन्दन विभव से) आपका संशोधन हिन्दी में आना चाहिए था। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "निश्चित करे" के पश्चात् जो वाक्य है वह निकाल दिया जाय, यह संशोधन पेश करता हूं। श्रीमन् जैसा कि इस संशोधन विधेयक में दिया गया है, उसका अर्थ यही होता है कि...

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा ख्याल यह है कि खंड १ तो स्वीकार हो चुका है, उसी में आपका यह संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—खंड १ तो अंत में लिया जाता है। खंड २ से कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—खंड १ तो स्वीकार हो चुका है?

श्री उपाध्यक्ष—अभी नहीं।

श्री उग्रसेन—तो श्रीमन्, इसमें मुझे कोई भाषण तो लम्बा-चौड़ा नहीं देना है। माननीय मंत्री से यही निवेदन करना है कि इसके अनुसार यह हो जाता है कि सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि इस विधेयक के जो सारे खंड हैं, उपखंड हैं उनको एक साथ लागू ही न करें, बल्कि उसके साथ सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले लेती है कि उपबन्धों और उपखंडों को जब चाहे लागू करे। श्रीमन्, प्रवर समिति से निकलने के बाद फिर आदरणीय सदन में इतने दिन वाद-विवाद होने के बाद अभी भी सरकार का शिक्षा विभाग यह समझे कि इस विधेयक के कुछ खंड ऐसे हैं कि जो एक साथ, जब पूरा विधेयक लागू हो, लागू नहीं किये जा सकते, तो मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें उस समय कौन सी कठिनाई होगी जिसको इस उपखंड में लाना चाहते हैं?

श्रीमन्, जैसा कि देखा जाता है, जो भी विधेयक आदरणीय सदन से पास होता है उसके सब खंड और उपखंड एक साथ लागू कर दिये जाते हैं। इस विधेयक को सदन के समक्ष और प्रवर समिति के समक्ष एक साल से अधिक हो रहा है। मैं समझता हूं कि काफी समय खंडों और उपखंडों में वाद-विवाद पर लगाया गया है, तो कोई वजह नहीं होनी चाहिये माननीय मंत्री जी को कि इसके सारे बन्धों और उपबन्धों को और खंडों और उपखंडों को एक साथ लागू न करें। मैं समझता हूं, यह बहुत सीधा-साधा और बिल्कुल हार्मलेस, बिना हानि पहुंचाने वाला एक छोटा सा संशोधन है। माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, जो संशोधन दिया है वह स्वीकार करने में असमर्थ हूं। उस संशोधन का मंशा यह है कि इस विधेयक की समस्त धाराएं एक साथ लागू की जायं। इस विधेयक में कई चीजों की व्यवस्था की गयी है और व्यवहार में यह आवश्यक हो सकता है कि कहीं एक धारा को बाद में लागू किया जाय। जैसे यह भी हो सकता है कि टीचर्स सम्बन्धी जो धारायें हैं वे लागू कर दी जायं। और स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई बात सोचनी हो, कुछ चीज बनानी हो तो उसमें देर हो सकती है। आज मंशा नहीं है बल्कि चाहते यह हैं कि जल्दी से जल्दी इन क्लाजेज को लागू कर दें। लेकिन ऐसे अधिकार न रखना या न देना, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य भी उचित समझेंगे कि परिस्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि किसी चीज को लागू करने में कुछ समय लगे और उसकी वजह से सारी चीज पड़ी रह जाय तो अच्छी बात नहीं है। अगर सबको तुरन्त लागू किया जा सकता हो तब तो ठीक है, किन्तु कोई कठिनाई उपस्थित हो जाय और एक धारा के लागू करने में कुछ समय लगे तो सारी धारायें उस समय तक पड़ी रहें यह उचित नहीं है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं मालूम होता है और व्यवहार में आने पर यह कुछ कठिनाई उपस्थित कर सकता है।

श्री गौरी शंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन जी ने जो संशोधन रखा है उसमें यह संशोधन मैं और करना चाहता हूं कि उसमें इतना और जोड़ दिया जाय कि "तुरन्त लागू किया जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात से ऐसी बात समझ में नहीं आई कि सारे बिल के सभी उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई होगी या उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि यदि ऐसा कर देंगे तो अनर्थ हो जायगा। मैं समझता हूं कि यदि आपके इस बिल से अध्यापकों का कल्याण होने वाला है तो वह शीघ्र होना चाहिये, इसमें उनको क्या एतराज है या जो काम करना है वह शीघ्र हो तो इसमें क्या कठिनाई होगी ? मैं समझता हूं कि सारे बिल को जल्दी पास करने में महत्व इसलिये है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। यह अधिकार मंत्री जी अपने पास रखते हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें इससे मोह नहीं होना चाहिये और वह इससे मोह विमुक्त होकर इसको मान लें कि यह शीघ्र लागू किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी का जो संशोधन है, उसको देखने से और मंत्री जी के भाष्य को सुनने से पूरा का पूरा इंटर मीडियेट एजूकेशन विधेयक अनावश्यक सा जाहिर होता है। आप देखेंगे कि यह प्रश्न सदन के सामने बहुत पहले से विचाराधीन है और माननीय शिक्षा मंत्री जी बार-बार इस इंटरमीडियेट एजूकेशन विधेयक को लाकर प्रदेश में जो अध्यापक वर्ग हैं, उसके लिये ....

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है माननीय राजनारायण जी, कि इसके क्लाजेज पर बहस नहीं होनी है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे समय खड़े होते हैं जब कि समय नहीं रहता है। यह विधेयक ३-२० पर खत्म हो जाना है।

श्री राजनारायण—अच्छा हुआ श्रीमन्, कहीं ४-२० न हुआ। इसका रूप वही है। मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि मैं अपनी भावनाओं को आपके द्वारा मंत्री जी के पास भेज दूं कि एक तरफ तो मंत्री जी शिक्षा विभाग को यानी जिला इंसपेक्टर आफ स्कूल के हाथ जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं, उनकी नियुक्ति की पूरी-पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं दूसरी तरफ जहां उनकी दशा के सुधारने की बात थी उनकी तनख्वाह के समकक्ष होने की बात थी उस पर वह गोल रह जाते हैं। आज तक इस सरकार ने...

श्री उपाध्यक्ष—विषयांतर हो रहा है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप अपनी राय जाहिर कर दीजिये।

श्री राजनारायण—बात क्या होती है ? सरकार आज तक इस नतीजे पर नहीं आई कि इस विधेयक का कौन सा ऐसा अंग था, जिसको तत्काल लागू करना चाहिये और जिसके लागू करने में विलम्ब हो। जब सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी तो इस पूरे विधेयक को बना कर रख देने में कहां तक बुद्धिमानी है ? मैं चाहूंगा कि सरकार का दिमाग इस सम्बन्ध में साफ हो। मेरी समझ में अब भी इस विधेयक के बहुत से ऐसे अंग हैं जो दोषपूर्ण हैं जिनसे शिक्षा में बाधा होगी, उसकी स्वतंत्रता में बाधा होगी और उसकी गति तीव्र नहीं होगी बल्कि उसमें हीनता आयेगी। यह तो मैं स्पष्ट अपने मत को व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर सरकार समझती है कि किसी सुधार या तरक्की की आवश्यकता होगी तो सरकार स्पष्टतः बताये कि कौन सी धारा लागू करना चाहती है और कौन सी नहीं करना चाहती है। एक भ्रामक तरीके से बात कह देना कि जिस को लागू करने में विलम्ब होगा, जिसको जरूरी समझेंगे उसको जल्दी लागू करेंगे। यह तो माननीय मंत्री जी किसी दूकान पर बैठ कर कह सकते हैं, विधान सभा में इस तरह की बात कहना और सदन का समय नष्ट करना अनावश्यक है। माननीय उग्रसेन जी का जो संशोधन है और उसमें माननीय गौरीशंकर का संशोधन पर जो संशोधन है दोनों को वह मानें, यदि इस विधेयक से शिक्षा व्यवस्था में सुधार समझते हों। वैसे बहुमत उनके साथ है, उसके आधार पर जो चाहेंगे कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने हमारे संशोधन में संशोधन रखा है यही मंशा हमारे संशोधन की थी कि देर न हो। उसके मानने में कोई कठिनाई मुझे नहीं है।

[श्री उग्रसेन]

माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने सुना। जो उन्होंने दलीलें पेश कीं कि बहुत सी ऐसी धाराएं हो सकती हैं जिनके लागू करने में प्रबन्ध पहले न किया जा सकता हो तो उसी के लिए विभाग बना हुआ है, इसी के लिए माननीय मंत्री जी बने हुए हैं। इस विधेयक में जिन जरूरी चीजों की जरूरत हो उनको मुहय्या करें। बारात जाती है तो चाहे एक दिन का मौका हो या एक महीने का, बारात को सारे सामान मुहइया होते हैं। ऐसा नहीं होता कि घोड़ा जायगा, हाथी नहीं जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन सभी लोग दूल्हे के पीछे-पीछे ही रहते हैं।

श्री उग्रसेन—मुझे एक कविता, जो बचपन में पढ़ी थी याद आ गयी। "सेवेन ब्लाइंड मेन वेंट टु सी ऐन एलीफेंट"। जो अंधा हाथी के जिस अंग को पकड़ लेता था हाथी का वही स्वरूप समझता था। हाथी के पूरे आकार को वह नहीं देख पाते थे। इसी तरह से, जिस प्रकार वे सही मानी में हाथी का अन्दाजा नहीं लगा पाते थे, माननीय मंत्री जी इस विधेयक के कुछ खंडों को लागू करने से छोड़ देंगे। फलतः प्रदेश के लोग यह नहीं महसूस कर पायेंगे कि यह इंटरमीडियेट एजुकेशन विधेयक जो अधिनियम बन गया है उसकी मंशा पूर्ण रूप से क्या है, और सही मानी में उसका मूल्य क्या है। श्रीमन्, शुभ काम में देर नहीं की जाती है। अगर कोई विभागीय कठिनाई हो तो भरती करें। आजकल बेकारी भी बहुत बढ़ी हुई है। १२० रुपये मार्केट वैल्यू है, इस पर बहुत से बी० ए० मिल जायेंगे। तो कौन सी कठिनाई है? बेकारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जो मंशा माननीय उग्रसेन जी और माननीय राजनारायण जी का है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इरादा यही है कि इस बिल को पास होने के बाद लागू करें। जैसा कि गौरीशंकर जी ने कहा तुरत लागू करें। जो शब्द रखे गये हैं उनकी भी यही मंशा है। आधा तिहाई लागू करके या कुछ को रोक रखें ऐसा कोई इरादा नहीं है। वह अधिकार रख लेने की बात ऐसी होती है कि कभी अकल्पित रूप से ऐसी कठिनाई उत्पन्न हुई जिसमें किसी जगह किसी एक धारा को रोक रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अवकाश मिल जाय। केवल इस दृष्टि से रखा गया है। लेकिन यह आश्वासन मैं सदन को दे सकता हूं कि इरादा यही है कि पूरा लागू किया जाय और ऐसी सूरत में वह अधिकार बना रहने दें, इसमें कोई हानि नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति २ से शब्द "निश्चय करें" के पश्चात् वाक्य निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित होने के उपरान्त इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित होने के उपरान्त इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री उपाध्यक्ष—अब नम्बर ४ के विधेयक पर विचार होगा। इसके लिये केवल एक घंटे का समय है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह भाषण करते समय संयम से काम लें।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

समय बहुत कम है। मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन ऐक्ट सन् १९४७ से इस प्रदेश में है और तब से कई बार इसमें संशोधन हुए और इसकी मियाद बढ़ाई गई है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कदाचित् इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत है कि अभी इस प्रकार के विधेयक की, ऐक्ट की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है। आवास की कमी है। और हमारे यहां शहरी क्षेत्र में निरन्तर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मकान कुछ बने हैं और ऐसी आशा की जाती थी कि अधिक मकान बनेंगे, किन्तु उसमें कुछ कठिनाई आई और जितने मकान बनने चाहिये थे उतने मकान नहीं बन पाये, क्योंकि कई प्रकार की चीजों की कमी है। मोटे तौर पर इतना ही है कि कोयले की कमी के कारण कितनी ईंट उपलब्ध होनी चाहिये उतनी ईंट भी नहीं है। अभी थोड़े दिन हुए सीमेंट की कमी थी, क्योंकि सीमेंट भी ज्यादातर विकास के दूसरे कार्यों में लग रहा था। लोहे की कमी अभी काफी मात्रा में है। इन सब कारणों से जितने मकान बनने चाहिये थे उतने मकान नहीं बन पाये। मैं इस समय कुछ आंकड़े भी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जिससे यह जाहिर हो सके कि अभी मकानों की कितनी आवश्यकता है और प्रदेश में इसकी कितनी कमी है।

सन् १९५७ में १७,८७७ मकान इस प्रदेश में खाली हो पाये जिनको लोगों को दिया जा सका, लेकिन इसी सन् १९५७ में ५८,०२६ प्रार्थना-पत्र मकानों को लेने के लिये लगे और इस प्रकार से केवल ३० प्रतिशत मकान उपलब्ध हो सके। तो मेरा निवेदन यह है कि कदाचित् कुछ माननीय सदस्य यह कहने की कृपा करें कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। उनकी सूचना के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान परिषद् में माननीय मन्त्री जी यह घोषणा कर चुके हैं कि कुछ समय बाद ही हम एक व्यापक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे जिस में कुछ व्यापक तब्दीलियां और संशोधन मूल अधिनियम में करने की हम लोगों की चेष्टा होगी। यदि उस समय तक के लिये हम इसकी केवल मियाद बढ़ा दें तो शायद इससे इस वक्त काम चल जायगा।

***श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को लोकमत जानने के लिये जनता में एक मास तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, १९४७ में यह ऐक्ट बना था। उस समय पाकिस्तान से हिन्दू आये और उनके बसाने का भार सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने हमारे प्रदेश पर भी दिया और यहां वह बसाये भी गये। १९४७ में हिन्दू मुसलमानों के झगड़े भी हुये, लड़ाई दंगे भी हुये और इस कारण गांव के आदमी शहर की ओर भागे। इसके अतिरिक्त आफिसेज भी बढ़ते चले जा रहे थे और उनके कर्मचारियों को बसाने की दिक्कत भी सरकार के सामने थी। लोहा, सीमेंट, कोयला और ईंट की दिक्कत भी सरकार के सामने थी। इन सब दिक्कतों को देखकर मकान मालिकों ने मकानों के किराये की दर ऊंची कर दी और जो किरायेदार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]
थे उनके बस की बात नहीं थी कि वह बढ़े हुये किरायों को दे सकें। आज इस ऐक्ट को बने हुये ११ साल हो गये हैं। मैं देखता हूं कि हमारी सरकार ने रिफ्यूजी क्वार्टर्स भी बनाये हैं। कम आमदनी वालों को अपना मकान बनाने के लिये कर्ज भी दिया है। सीमेंट पर से कंट्रोल भी हटा लिया है और इन सब बातों को देखते हुये मालूम पड़ता है कि विधेयक में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गयी है कि उसकी मियाद बढ़ायी जाय। आज जनता चाहती है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हों। जो परिवार १९४७ में छोटा था, जिसमें चार लड़के १२, १३ और १४, १५ साल के थे, आज उनकी अवस्था २३,२४, २५ और २६ साल की हो गयी है उनकी शादियां भी हो गयी हैं और उनके बच्चे भी हैं। उनकी आवश्यकतायें बढ़ गयी हैं। तो इन आवश्यकताओं को देख कर जो मकान घिरे हुये हैं उनको खाली किये जाने का अधिकार दिया जाना जरूरी है।

आज मकान मालिक चाहते हैं कि वे अपने मकान को बेच दें, लेकिन आज वह उसका पूरा पैसा नहीं पा सकते, इसलिये कि उसमें किरायेदार घुसा हुआ है। वह मकान खाली नहीं करना चाहता और खरीदार चाहता है कि उसे मकान का कब्जा मिल जाय। तो ऐसी सूरत में मैं चाहता हूं कि जो मकानदार मकान बेचने की नीयत से मकान खाली कराना चाहता है उसका मकान किरायेदार से खाली करा दिया जाय। लेकिन मकान खाली होने के बाद अगर वह मकान नहीं बेचता है तो फिर से उसे अलाट करने की सुविधा होनी चाहिये। १९५४ से पूर्व जो मकान मालिक किरायेदारों से किराया वसूल करते थे, उसमें किरायेदारों को सुविधा थी कि वे धीरे-धीरे किराया अदा करते रहें। आज दीवानी में वह जाते हैं और अगर समन तामील नहीं होता है तो उसको बहुत-सा झमेला करना पड़ता है। तो ऐसी सुविधा किरायेदारों को दी जायं कि वे धीरे-धीरे किराया अदा कर सकें और उनकी बेदखली इस कारण न हो।

आज मकान मालिक चाहता है कि वह मकान की मरम्मत न करे। उसको भय लगा हुआ है कि जैसे जमींदारी खत्म हो गयी इस प्रदेश में, उसी प्रकार मकानों की जमींदारी भी खत्म हो सकती है। तो इसलिये वह अपने मकान की मरम्मत नहीं कराना चाहता। आज किरायेदार को सुविधा है कि वह साल में एक महीने के किराये से मकान की मरम्मत करा ले, लेकिन पिछले ११ साल के अरसे में मकानों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वह एक महीने के किराये के पैसे की मरम्मत से रहने के लायक नहीं हो पाते हैं। इस बात को देखते हुये भी विधेयक में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

ऐसी दशा में मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को जनता का जनमत जानने के लिये घुमाया जाय और मैं चाहता हूं कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री गोविंद सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १ महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन इस सदन के सामने प्रस्तुत करे।

(संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, मैंने इस संशोधन को महज इसलिये दिया कि एक मौका हमें मिल जाय इस पर विचार करने का।

श्री उपाध्यक्ष—आपने राज को इतनी आसानी से बतला दिया, यह मुनासिब नहीं है।

श्री गोविंद सिंह बिष्ट—जो सही बात होती है मैं उसको सदैव ही तस्लीम करने के लिये तैयार रहता हूं। श्रीमन् ने यह भी देखा होगा कि जब सरकार अच्छा कार्य करती है तो उसका मैं समर्थन करता हूं। पिछले दिनों जौनसार-बावर बिल जब सरकार लायी थी तो अकेला मैं ही था जिसने शुरू से आखिर तक यह कहा कि यह चीज ठीक है। लेकिन जिस प्रकार की भावना इस तरफ से प्रदर्शित की जाती है सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। जब हमारी तरफ से कोई अच्छा सुझाव दिया जाता है तो सरकार उसको भी मंजूर नहीं करती। भविष्य में सरकार की ओर से उसको आलिंगन किये जाने की जरूरत है।

आज इतने दिनों के बाद भी इस कानून की मियाद बढ़ाई जा रही है। सरकार रोज इस प्रकार की बात कहती आयी है कि आज हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी हो गयी है, दूसरी आरम्भ हो रही है जिसमें घरों की कमी को पूरा किया जायगा, लेकिन आज फिर वह कहती है कि घरों की कमी है। उसने कहा था कि हमने ऐसी योजना बनायी है जिसमें घरों की कमी न रहेगी। चुर्क में सीमेंट फैक्टरी खोली है, लोहे के कारखानों में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, टाटा को सहायता दी जा रही है, कानपुर में रोलिंग मिल को और जे० के० इंडस्ट्री को तथा आगरे में मिल्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सारांश में कहा जाय तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हमारी योजना बड़ी सफलतापूर्वक प्रगति करती रही है और अब घरों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन हम देखते हैं कि सन् १९४७ के इस कानून की बराबर मियाद वह बढ़ाती जाती है।

क्यों बढ़ाती जाती है? इसके तहत में केवल एक ही बात है और सरकार की ओर से हमेशा यह दलील दी गयी कि अभी घरों की कमी हैं। जब तक घरों की कमी है तब तक रेंट कन्ट्रोल न उठाया जाय नहीं तो मकान मालिक ज्यादा किराया ले लेंगे। सरकार ने हमेशा यही दलील दी है। मैं उस दलील में तो ज्यादा नहीं जाता, लेकिन यह जरूर है कि इससे सरकार इस बात को स्वयं ही तस्लीम करती है कि पहले घरों की जो कमी थी, वह कमी आज भी बनी हुई है, बल्कि कुछ और बढ़ गयी है यानी योजना की प्रगति के साथ-साथ घरों की कमी भी बढ़ गयी है और इसलिये सरकार इस कानून को बराबर एक्सटेंड कराती जाती है और विशेषाधिकारों को अपने हाथ में ले लेना चाहती है। अब इसको सन् १९५८ से लेकर सन् १९६३ तक पांच साल और बढ़ाया जा रहा है। माननीय न्याय मंत्री जी को इसकी मियाद बढ़ाने के लिये यह स्वीकार करना पड़ा कि घरों की नितान्त कमी है और घरों की संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। जो भी हो इससे एक बात तो वे स्वीकार करते ही हैं कि उनके घरों को बनाने की जो योजना थी वह सफल नहीं हुई है। इसलिये कोशिश सरकार की ओर से यह होनी चाहिये कि लोगों को सीमेंट ज्यादा मुहैया हो, और लोहा ज्यादा दिया जा सके। बदकिस्मती से आज जिन लोगों को घर बनाने का मौका मिला है वे जानते हैं कि इमारती चीजें बहुत महंगी हो गयी हैं। जब कि पहले मैंने अलमोड़े में लोहा लिया था तब १८ रुपया मन था लेकिन आज वह अलमोड़े में ५० रुपया मन बिक रहा है। तो लोहे की सरिया की हालत यह है। फिर अगर कोई मकान बनाना चाहे भी तो कैसे बना सकता है? मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय किया जाय जिससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीमेंट मुहइया करने का प्रबन्ध किया जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना यह संशोधन पेश करता हूं कि सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये इसलिये संशोधन उपस्थित करता हूं कि यद्यपि सरकार की ओर से इसकी अवधि बढ़ाने की बात सिर्फ कही गयी है, किन्तु मैं समझता हूं कि इस विधेयक में एक बहुत बड़ा घोर परिवर्तन निहित है और उस परिवर्तन से लाखों ही जनता सम्बन्धित है। यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट पिछले १०, ११ साल से जब से आया है, आज भी उसी रूप में मौजूद है, जिसकी आज अवधि बढ़ाने की बात कही जाती है। श्रीमन्, जब मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही है तो उसकी परिधि को बढ़ाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

की बात भी कही है और उसका मंशा यह है कि इस विधेयक को हम हर प्रकार से हर निगाह से देखने की कोशिश करें और साथ ही यह भी देखें कि यह रेंट कंट्रोल अधिनियम किसी प्रकार से हमारे लिये अहितकर तो नहीं हो रहा है ? अब तक समय में बहुत काफी परिवर्तन हो चुका है। जब से यह कंट्रोल ऐक्ट हमारे सामने आया है तब से हम अपने प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हैं। यह कंट्रोल किसी भी रूप में हमारे सामने हो वह हमारे लिये कभी हितकर नहीं हो पाता है। होता यों है कि जहां कंट्रोल होता है जहां ब्लैक मार्केटिंग भी होता है, बदनीयती भी होती है और बेईमानी भी होती है। इन मकानों के सम्बन्ध में मैं आपके सामने इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस कंट्रोल ऐक्ट का अर्थ यह था कि इसके जरिये मकानों की व्यवस्था की जाय उन जगहों पर जहां मकानों की कमी है और किरायेदारों के रहने की कोई परेशानी व दिक्कत न पैदा होने दें। लेकिन इस कानून के १०, ११ साल का अर्सा हो जाने पर भी आज समस्या यह है कि मकानों में वृद्धि नहीं हुई है। अपितु १०, ११ सालों में जो कुछ वृद्धि मकानों की होनी चाहिये थी वह बहुत ही कम हुई है। मालूम कुछ ऐसा होता है कि इस कंट्रोल ऐक्ट के द्वारा मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच में भी संघर्ष और बेइमानियां बढ़ती जा रही हैं और आम जनता का नुकसान हो रहा है। इस पहलू से भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इससे काफी मुकदमेबाजी बढ़ी है। जब से यह ऐक्ट हमारे सामने आया है तब से पुराने कानूनों की बजह से ज्यादा मुकदमेबाजी बढ़ी है। आज हालत यह है कि मकान मालिक भी अपने किरायेदारों को शान्ति से नहीं रहने देना चाहते हैं। उनके पास भी एविक्शन के अधिकार बहुत काफी हैं जिससे वे अपने किरायेदारों से नाजायज फायदा उठाते हैं और मनमानी करते हैं। परिणाम यह है कि मुकदमेबाजी काफी मात्रा में बढ़ गयी है। इन सब बातों को अगर आप सामने रखें तो मालूम होगा कि इसमें मूलभूत परिवर्तन होने की आवश्यकता है। यह ऐक्ट यद्यपि यह कहता है कि १९५१ के बाद वाले बने हुए मकानों पर यह लागू नहीं होगा अपितु पुराने बने हुए मकानों पर ही लागू होगा। इस ऐक्ट में दो मुख्य बातें रखी गयी हैं एक तो सब-लेटिंग को कंट्रोल करना और दूसरे रेंट को कंट्रोल करना।

मैं निवेदन करूं कि रेंट का कंट्रोल करना तो हर हालत से उचित हो सकता है ताकि छोटे-छोटे किरायेदारों को सुविधा प्रदान हो, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ मकानों पर कब्जा करने सरकारी अफसरान फायदा उठाते हैं और वे अपनी जगह से फिर इसलिये नहीं हटते कि उनको उससे बड़ा फायदा पहुंचता है। जिन विधवा स्त्रियों को केवल मकानों से आमदनी होती है वे उन सरकारी अफसरों से छुटकारा नहीं पा पाती हैं।

सरकारी रवैया भी देखा जाय तो ज्ञात होगा कि सरकार ने अनेक बार यह घोषणा की कि वह मजदूरों के लिये निवासस्थान बनायेगी, लेकिन क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उन्होंने कितने मजदूरों के लिये निवास स्थानों का प्रबन्ध किया ? आज भी शहर कानपुर में रुपये में ३ आने भी मजदूरों को निवास नहीं मिल रहा है। वे १२, १४ हजार क्वार्टर्स बनाने की बात कहते हैं, लेकिन कानपुर में मजदूरों की संख्या को देख कर उनको यह महसूस होगा कि सरकार उस समस्या को हल नहीं कर पा रही है जिसके कारण आज उन मजदूरों को पुराने सड़े-गले मकानों में ही रहना पड़ रहा है और मालिकों के दांव पेंचों को सहना पड़ रहा है। यह सब कंट्रोल की वजह से है।

एक ऐक्ट हमें इस प्रकार से बनाना चाहिये कि जो छोटी-छोटी आमदनी वाले लोग हैं उनके लिये तो यह हितकर हो, लेकिन उनकी आड़ में जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले लोग बेजा फायदा उठाते हैं वे न उठा पायें। यह इस कारण है कि इसमें कोई स्केल मुकर्रर नहीं है। अगर स्केल मुकर्रर हो जाय कि इस रेंट तक के मकानों पर कंट्रोल रहेगा और इसके ऊपर के रेट के मकानों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो ज्यादा उचित होगा। मकान मालिक फिर ऊंची दर के मकानों का रेंट भी बढ़ा सकते हैं। बम्बई में स्केलें मुकर्रर हैं। जो ऊंची स्केल

के मकान हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वे चाहें तो उचित दर से रेंट भी बढ़ा सकते हैं। बहरहाल हमें छोटे दायरे के लोगों के लिये हर हालत से प्रोटेक्शन देना चाहिये। लेकिन ऊंची तनख्वाह पाने वाले लोगों को इस प्रकार से प्रोटेक्शन देने से कोई फायदा दिखाई नहीं देता। होना यह चाहिये कि मकानों की वृद्धि हो, उनकी मरम्मत हो, सुधार हो....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि यह विधेयक १ घंटे में ही समाप्त होना है। इसलिये संक्षेप में ही भाषण दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं अपनी भावनाओं को थोड़े ही समय में व्यक्त करूंगा हालांकि यह ऐक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि इसका लाखों आदमियों के जीवन से सम्बन्ध है। लिहाजा इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां मूलभूत बातों पर विचार हो सके और यह देखा जाय कि जो पुराना ऐक्ट हमारे ऊपर लदा है इससे मकान की समस्या को कहां तक हल किया है। हमारी मूलभूत समस्या यही है कि रहने का मकान मिले, यह समस्या नहीं है कि जितने हिस्से में हम रहते रहे हैं उतने में ही रहते चले जायं। ११ साल हो गये इस ऐक्ट को बने हुए। हमें देखना चाहिये कि हमारे निवास-स्थानों में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि सरकार इसमें असमर्थ रही है। साथ ही साथ मकान-मालिकों ने कोई मदद नहीं दी है। नतीजा यह है कि हमें पुराने सड़े-गले और गिरे हुए मकानों में रहना पड़ रहा है। रात-दिन संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसमें आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रवर समिति में भेज कर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

मुझे थोड़ा समय मिला है वर्ना मैं इसके अनेक दोषों को दिखाना चाहता था। इसके कारण आपस में पड़ोसियों के सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं। आज लिटिगेशन के द्वारा कोई भी किरायेदार और कोई भी मकान-मालिक सुखी और सम्पन्न नहीं रह रहा है, बल्कि उनमें वैमनस्य है, लड़ाई है, द्वेष है। यह सब इस कारण है कि इस प्रकार का ऐक्ट हमारे सामने है। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और वह तभी सम्भव है जब यह प्रवर समिति के सामने जाय और उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जगदीश शरण। माननीय राजेन्द्र सिंह का एक संशोधन और है लेकिन वह अनियमित है इसलिये मैंने उनका नाम नहीं पुकारा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर हम यह समझना चाहें कि इस विधेयक की क्या आवश्यकता है तो एक क्षण के लिये यदि हम यह कल्पना कर लें कि ३० सितम्बर सन् १९५८ को अगर यह समाप्त हो जाय अब तक जो टेम्पोरेरी रेंट कंट्रोल ऐक्ट चल रहा था तब हमारी क्या दशा होगी? तब उसका उत्तर समझ सकते हैं। श्रीमन्, यदि इस माननीय सदन में कुछ सदस्य ऐसे हों जो किराये के मकान में रहते हों तो मैं समझता हूं कि उनके सामने फौरन उस जमींदार का जिक्र आजायगा जो अपने मकान के मालिक होने के अधिकार का सर्वथा दुरुपयोग करने को तैयार रहता है और यदि ऐसे सदस्य न हों तो उनकी कल्पना कर लें जिनके हम सब प्रतिनिधि हैं तो मैं समझता हूं कि उस वास्तविकता को हम फौरन पहचान सकेंगे। तो जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस विधेयक को जीवन मिलना था उसके लिये तो मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं और इसको आगे बढ़ाना शायद ५ साल नहीं १० साल के लिये आवश्यक हो, यह भी मेरा विश्वास है।

लेकिन श्रीमन्, मैं यह समझता था कि माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि एक व्यापक बिल आ रहा है कोई प्रवर समिति में भेजने वाला संशोधन प्रस्तुत न होगा और जो इस एक घंटे में थोड़ा-सा समय बचेगा उसमें माननीय सदस्य इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे मंत्री जी का और सरकार का कि जो व्यापक बिल आये उसमें किन कठिनाइयों की ओर विशेष तौर से ध्यान रखा जाय। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से बहुत ही संक्षेप में मैं यह निवेदन करूंगा कि व्यापक बिल, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा मैं तो यह समझता था कि

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

कदाचित् जब यह बिल आयेगा एक्सटेंशन के लिये उस वक्त ही आ जायगा और अच्छा होता कि जब एक्सटेंशन के लिये बिल आया था उस वक्त ही वह व्यापक बिल हमारे सामने होता। अनुभव इन सालों का यह बताता है कि इस टेम्पोरेरी रेंट कंट्रोल ऐक्ट के संचालन में जो कठिनाइयां हैं उनके कारण इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ बातों की ओर संकेत किया गया, मसलन कहा गया कि जो मकानमालिक अपना मकान बेचना चाहे उसको यह सुविधा हो कि वह किरायेदार से मकान खाली करा सके। मैं तो निवेदन करूंगा बड़े संक्षेप में और बड़े संकेत में कि ऐसा करना बड़ा गलत होगा और यदि ऐसा प्राविजन कर दिया गया तो जो मालिक मकान होगा वह अपने उस अधिकार का दुरुपयोग उसको किसी के नाम से फर्जी बेचकर के कर सकेगा। उस बेचने में जो थोड़ा स्टाम्प का खर्च लगेगा उससे ज्यादा वह उसका परिमूल्य दूसरे रूप में पैदा कर लेगा। तो मैं समझता हूं कि वह ठीक न होगा।

अभी एक संकेत इस ओर भी किया गया कि इसमें रिपेयर्स के बारे में प्राविजन नहीं है। खैर, वह तो जो मौजूदा ऐक्ट है उसकी धारा ७—ई देख ली जाती तो उसमें उसका सारा प्राविजन मौजूद है। अगर ज्यादा सबस्टैंशियल रिपेयर्स की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रोसीजर उसमें है।

लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ आधारभूत परिवर्तनों की इसमें आवश्यकता है। समय की परिधि को देखते हुए मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है जो इस वक्त अधिकार दिया हुआ है इस मौजूदा टेम्पोररी रेंट कंट्रोल ऐक्ट में डी० एस० ओ० को अलाटमेंट का, एविक्शन का और एविक्शन न करने का, यह अगले बिल में जो इस सदन के सामने आवे उसमें मेरा सुझाव यह होगा कि यह अधिकार मुंसिफ के लिये होना चाहिये। और श्रीमन्, जब मैं यह निवेदन कर रहा हूं तो मेरे सामने पिछले वर्षों का अनुभव भी है और मेरे सामने वह कठिनाइयां हैं जिनको प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, जिनके कारण जनता में असन्तोष होता है और जिनके कारण कभी-कभी सरकार को ठीक तौर से या बेठीक तौर से किये हुए या न किये हुए दोष को सर पर ओढ़ना पड़ता है। तो वह चीजें भी मेरे सामने हैं। मेरा अपना यह विश्वास है कि वह व्यक्ति जो अपने कार्य-संचालन में स्वतन्त्र न हो वह कभी स्वतन्त्र निश्चय ले नहीं सकता। और यह फिर प्रत्यक्ष है कि जो उसका निश्चय होगा उससे जनता में और उन व्यक्तियों में जिनके हितों का वह निश्चय करने जा रहा हो उनमें संतोष नहीं हो सकता है। इसलिये उस संतोष को पैदा करने के लिये, वास्तविक न्याय को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह अधिकार इंडिपेंडेंट जुडीशियरी में निहित किया जाय आने वाले बिल में। क्योंकि उसके बाद उस दुरुपयोग की आशंका नहीं रहेगी जिसके कि श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि एक नहीं अनेकों उदाहरण हर जगह मिल सकते हैं और आये दिन मिलते हैं। मेरा तो विश्वास है कि यदि इसमें यह परिवर्तन हो गया और हमने वह पावर आफ अलाटमेंट और एविक्शन डी० एस० ओ० से निकाल कर इंडिपेंडेंट जुडीशियरी के हाथ में रख दी तो कदाचित् इस ऐक्ट के प्रति श्रद्धा हो जायगी और लोगों को विश्वास हो सकेगा कि यह उनके हितों का संरक्षण कर सकेगा और वे कठिनाइयां जो हमारे सामने आती हैं वह नहीं आयेंगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह व्यापक बिल जिसका उन्होंने संकेत किया शीघ्र से शीघ्र सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन माननीय अवस्थी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अवस्थी जी ने अपने संशोधन में इस बात की चर्चा की है कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाना चाहिये। इसमें बहुत-सी खामियां हैं और श्रीमन्, मुझे माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी के भाषण को सुनकर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने विधेयक की खामियों की ओर इशारा करते हुए सदन का और विशेषकर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि बहुत शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा व्यापक बिल लायें जिसमें तमाम खामियों की पूर्ति हो सके। श्रीमन्, हम भी यही आशा करते

थे कि जो दूसरा विधेयक आयेगा वह व्यापक होगा, पूर्ण होगा। सिर्फ एक लाइन का नहीं होगा कि ३० सितम्बर, १९५८ हटा करके ३० सितम्बर, १९६३ रख दिया जाय। जब संशोधन विधेयक आते हैं तो सदन के सदस्यों को अधिकार मिलता है कि वे असेस कर सकें कि इतने दिन जो विधेयक लागू रहा उससे क्या फायदा हुआ। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है, 'जनसंख्या की वृद्धि के मुकाबले में आवास का प्रबन्ध नहीं हो सका'। सरकार ने श्रीमन्, इस ओर कौन-सा प्रयत्न किया है, जरा देखा जाय। सरकार ने कानपुर में लखनऊ में कुछ आवास बना रखे हैं। श्रीमन्, उनका किराया महंगा है, हैं तो लेबर क्वार्टर, मगर उन आवासों में अफसर ही रहते हैं कोई मजदूर नहीं रहता, क्योंकि किराया ज्यादा है। कल्याणकारी राज्य में अगर लोगों को खाने को खाना न मिले, पहनने को कपड़ा न मिले और रहने को मकान न मिले तो वह राज्य अपने को कल्याणकारी नहीं कहला सकता और न दावा ही कर सकता है। तो वह सरकारी आवास मजदूरों के लिये नहीं हैं, अफसरों के लिये हैं, नाम जरूर 'लेबर क्वार्टर्स' है।

दूसरी बात श्रीमन्, इसमें बेदखलियां न हों, इसके खिलाफ यह बिल संरक्षण देता रहा है और देता रहेगा। श्रीमन्, उद्देश्य से किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर इतनी खामियां हैं, इतनी जबरदस्त बेदखलियां हुई हैं प्रदेश में कि अगर सब का किस्सा बताया जाय तो शायद १५ दिन लग जायं। मैं एक बेदखली की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह इसी लखनऊ की है। ४१ नम्बर केसरबाग का, १ महीने की घटना है। वह सज्जन इन्कम टैक्स अफसर हैं, ३० वर्ष से उस मकान में इनकम टैक्स अफसर ही रहते आ रहे थे। जिलाधीश लखनऊ ने जबरदस्ती पुलिस के जरिये से उनके बच्चों को तथा बीवी को घर से बाहर कर दिया और ऐसे आदमी के नाम अलाट किया, उन्होंने मंत्री जी की शरण ली, मंत्री जी ने ९ बजे रात को स्टे आर्डर दिया। श्रीमन्, यह अखबारों में भी निकल चुका है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बावजूद स्टे आर्डर के जिलाधीश ने उनसे छुड़ाकर मकान दूसरे के नाम अलाट किया और उस इनकम टैक्स आफिसर को जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एम्पलाई है उसके बाल-बच्चों को जबरदस्ती निकाल कर बाहर फेंक दिया। इनकम टैक्स अफसर उस मकान में बराबर ३० साल से रह रहा था। इस मामले में जिलाधीश लखनऊ ने जिस जबरदस्ती और असावधानी से काम किया है वह निन्दनीय है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब एक इनकम टैक्स आफिसर इस तरह से निकाला जा सकता है तो एक गरीब, लेबर कालोनी में रहने वाला कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। इस तरह की खामियां इस ऐक्ट में हैं। इसलिये अगर सरकार चाहती है कि सब को आवास मिलें तो सस्ते आ.ासों का शहरों में प्रबन्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी यह न होना चाहिये कि उन आ.ासों का नाम तो रखा जाय 'लेबर कालोनी' और उनमें रहें बड़े अफसर जो लम्बा किराया दे सकें। बड़ी खामी इसमें एक यही है कि डी० एस० ओ० के आर्डर की कोई जुडीशियल अपील नहीं है। अभी तक होता यह है कि अलाटमेंट डी० एस० ओ० करते हैं और जिलाधीश केवल उसी का कनफर्मेशन करते हैं। इस तरह से वह सब वही करते हैं जो जिलाधीश चाहते हैं, उनके लिये कलेक्टर का एक टेलीफोन काफी है। इस तरह से रोज अनियमित अलाटमेंट होते हैं।

हम मंत्री जी से आशा करते थे कि इस संशोधन विधेयक में वह इन सब बातों का समावेश करेंगे और जो कत्लेआम सन् १९५८ तक हुआ है वह अब सितम्बर से सन् १९६३ तक न होगा। इसलिये इन खामियों को दूर करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय और इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय, ताकि प्रदेश के लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको कुछ राहत मिल जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब भी मकानों की बड़ी दिक्कत है और उनकी कमी को पूरा करने का धीरे-धीरे प्रयास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में जनता की सुविधा के लिये यह जरूरी है कि इस बिल के द्वारा जो पावर सरकार ले रही है इसकी मियाद एक्सटेंड करने के हेतु वह बहुत आवश्यक है और एक सही कदम है। इस सम्बन्ध में कुछ साथियों ने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह नहीं है कि जहां पर खाने की कमी हो, कपड़े की कमी हो या रहने के मकानों की कमी हो। यह तो सर्वमान्य बात है कि कल्याणकारी राज्य के नकशे में उन तमाम बातों का समावेश होगा जो इन्सान के लिये परम आवश्यक है, लेकिन प्रश्न यह है कि मौजूदा परिस्थिति में इन सब बातों को मोहैया करने के लिये कहां तक सफल प्रयत्न सही दिशा में हो रहे हैं। कल्याणकारी राज्य कोई स्वप्न तो है नहीं कि रात में देखा और महल बन गया, इस पूरे विकास के काम में बहुत देरी लगेगी, तमाम साधन जुटने होंगे, और परिश्रम करना होगा। प्रदेश के हर एक नागरिक को उसे बनाने के लिये उद्यत होना होगा, उसको अपना खून पसीना एक करना होगा तब वह सिद्धान्त पूरा होगा। सदन में खड़े होकर केवल चुनौती देना या कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बताना बहुत आसान है। इस तरह से तो उत्तर प्रदेश का और देश का हर एक नागरिक जानता है कि कल्याणकारी राज्य में क्या-क्या सुविधा होना आवश्यक है।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में ही कोई विशाल बिल लाने वाले हैं वह एक अच्छी बात है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अलाटेड पुराने मकान हैं उनका किराया तो तय है, लेकिन बाद के जो बने हुये मकान हैं उन का किराया निर्धारित नहीं है इसलिये अगर कोई बिल आगे आये तो सरकार को उन मकानों के सम्बन्ध में भी कोई नीति अपनानी चाहिये और उनका भी किराया मुकर्रर किया जाय। इस समय यह हो रहा है कि जो नये मकानों के मालिक हैं वह अपने किरायेदारों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। इस तरह से मकानों के विषय में एक प्रकार का शोषण जारी है। कोई भी प्रगतिशील सरकार या समाजवादी दिशा में बढ़ने वाली सरकार कभी भी यह चीज गवारा नहीं कर सकती कि उसके यहां किसी भी स्तर पर शोषण हो। यह एक महान कार्य है और इस प्रकार मकानों के सम्बन्ध में जो शोषण अभी जारी है वह समाप्त किया जाय।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, क्योंकि समय सीमित है, अधिक समय न लेकर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये जिन जरूरतों को पूरा करने के लिये यह बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि ३० सितम्बर के बाद भी किरायेदारों की रक्षा इसके द्वारा होती रहेगी और किरायेदार और मालिकों के बीच में जो झगड़े हैं उनको यह सुलझायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री इन्दुभूषण गुप्त। आप कृपया ५ मिनट बोलें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का, जो लाया गया है, विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम लोग इस बात को देखते हैं और अगर सरकार आंकड़े इकट्ठा कर ले तो उसको पता लग जायगा कि ११ वर्षों से जो बिल इस प्रदेश में चालू है उसमें जो आवास की समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ, बल्कि लोगों को मकानों की कठिनाइयां और बढ़ती गयीं। कलकत्ते में सब से ज्यादा आदमी रहते हैं और वहां पर जो रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट लागू है उसके अनुसार जो मकान मालिक हैं उनको जो सुविधायें दी गयी हैं उससे उतनी ज्यादा कठिनाई नहीं है जितनी कि हम अपने प्रदेश में देखते हैं। यहां पर दो-चार मुख्य बातें आपके सामने थोड़े से समय में रखना चाहूंगा।

एक तो यह है कि यहां जो किरायेदार रहता है, कलकत्ते में हम इस बात को देखते हैं कि उसके लिये यह कानून है कि अगर वह अपना किराया महीने-महीने जमा न कर दें तो वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आटोमैटिकली अपने आप उससे बेदखल हो जाते हैं और हमारे प्रदेश में किराया भी अदा नहीं करते हैं और जबर्दस्ती रहते हैं। कलकत्ते में यह भी है कि अगर वह किराया नहीं देते हैं तो एक डिपार्टमेंट अलग है उसमें उनको जमा करना होता है, लेकिन यहां पर जमा नहीं करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। उसी प्रकार से किरायेदार मकान को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं और उस पर भी उनको कोई खाली कराने का अधिकार मकान मालिक को नहीं होता है। क्योंकि साबित करने वाला सवाल जो पड़ जाता है वह ऐसी टेढ़ी समस्याएं हो जाती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं।

तीसरी बात, जो मैं सरकार को बताना चाहता हूं वह यह है कि कलकत्ते में यह व्यवस्था है कि अगर मकान मालिक मकान की मरम्मत नहीं कराता है तो किरायेदार उसको नोटिस देता है और एक इंसपेक्टर जो इसके लिये मुकर्रर है वह जाकर इस बात की जांच करता है कि मकान में कितनी मरम्मत की जरूरत है और उसके अनुसार, जो रेंट फिक्स होता है, मकान मालिक मकान की नियमतः मरम्मत कराता है और अगर मरम्मत नहीं कराता है तो वह उसका दोषी होता है। अगर किरायेदार उससे ज्यादा मरम्मत करा ले तो किरायेदार दोषी हो जाता है। यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके अतिरिक्त अगर मकान-मालिक खुद रहने के लिये अपने मकान में आना चाहे तो वह नहीं रह सकता। इस कानून में ऐसी गड़बड़ी है, जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूं। मैं १९४९ में अपना एक उदाहरण देता हूं। जो मेरा निवासस्थान आजमगढ़ में है उसको छोड़ कर मैं अपने बनारस के बंगले में रहने के लिए विवश हुआ। जिस वक्त मेरा सामान उसमें आकर रख दिया गया, कलेक्टर साहब ने उसको रिक्वीजीशन कर दिया और मेरी अनुनय विनय करने के बाद कि मैं अपने बाल-बच्चों के साथ कहां जाकर रहूंगा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं रह सकते और मुझको हुक्म मिला कि किराये के मकान में जाकर रहो, नहीं तो सामान निकाल कर फेंक दिया जायगा। अगर स्वर्गीय कमिश्नर साहब न होते और मेरी दरख्वास्त करने पर वह मकान मुझे रिहायश के लिये न मिल गया होता तो मेरी क्या दुर्गति होती, इसको मैं नहीं कह सकता। तो श्रीमन्, ऐसी व्यवस्था जरूर होना चाहिए। जिसका मकान हो वह अपने मकान में न रह सके, बल्कि जबर्दस्ती उसमें किरायेदार रहे यह तो कोई बहुत न्यायोचित बात नहीं मालूम पड़ती।

इसके साथ ही साथ मैं, श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नियम है वह पुराने मकानों के लिये तो आप लागू करते हैं, नये मकानों के लिये नहीं है। पुराने मकानों के जिस वक्त किरायेदार कम थे, मकान ज्यादा थे उस वक्त मकानों का किराया बहुत कम था। लेबर बहुत चीप थी, सामान जो मकान बनाने का मिलता था वह बहुत चीप था। अब हर सामान बहुत महंगा हो गया है और लेबर भी बहुत महंगी हो गयी है। नतीजा यह होता है कि पुराने मकानों की मकान मालिक मरम्मत नहीं करा पाता। क्योंकि जितनी आमदनी उसकी होती है उससे किसी भी प्रकार से वह टैक्स तक नहीं दे पाता है। टैक्स आजकल बहुत बढ़ गये हैं, लेकिन किराया वही है जब कि पुराने मकानों के लिये तो आपने यह कड़े नियम रखे हैं और नये मकानों के लिये छूट दे रखी है तो पुराने मकानों की मरम्मत नहीं हो पाती है और मकान बराबर गिरते चले जा रहे हैं। स्वभावतः मकान मालिक सोचते हैं कि जब हमें इससे कोई लाभ ही नहीं है तो अच्छा है गिर जाय, हम घर से पैसा कहां से लगायें? यह भी गलत चीज है कि हर पांचवें साल इस कानून को लेकर हम सदन के समय का दुरुपयोग करते रहें, यह उचित नहीं है। यह बात तो निश्चित है कि आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन मकानों की उतनी व्यवस्था नहीं हुई है। सरकार इस सम्बन्ध में आंकड़े देख ले कि कितनी प्रगति ११ वर्षों में हुई है? हमें ऐसे नियम बना लेने चाहिये कि बार-बार इसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता न रह जाय और सारी कमियों को उस कानून द्वारा पूरा कर लिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो संशोधन माननीय सदस्यों के सामने इस विधेयक के संबंध में आये हैं उनमें से एक तो यह है इस विधेयक को सरक्यूलेशन के लिये भेज दिया जाय और एक महीने में उसके ऊपर जनमत ले लिया जाय। दूसरा संशोधन यह आया है कि एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द इसको किया जाय जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे। जहां तक जनमत लेने का प्रश्न है, मेरा खयाल है कि आज पहली तारीख है और यदि इसे एक महीने के लिये जनमत प्राप्त करने के लिये भेजा जाय तो ३० सितम्बर को इसकी अवधि समाप्त हो जायगी और यह कार्य नहीं हो सकेगा और वैसे भी औपचारिक कार्यों को पूरा करते-करते एक महीने में यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं ऐसा विश्वास करता हूं और मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि केवल इस बात के लिये इसकी अवधि १९५८ से १९६३ कर दी जाय कदाचित् किसी जनमत के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में बोले हैं और जिन तर्कों को उपस्थित किया गया है, जिन कमियों के सम्बन्ध में और टेम्पोरेरी कंट्रोल ऐक्ट के सम्बन्ध में जो कमियां हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है, वह इसी बात की तर्क हैं कि निस्संदेह इस विधेयक की आवश्यकता है और यदि इसकी आवश्यकता है और उसकी कमियों के सम्बन्ध में तो जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि एक व्यापक विधेयक आयेगा, उस समय माननीय सदस्यों को अवसर प्राप्त होगा कि वह अपने सुझाव दें और बाद में वह विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण कर सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कब तक आ जायगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं खयाल करता हूं कि जितनी शीघ्रता से कर सकेंगे उपस्थित करने की चेष्टा करेंगे और उस समय अवसर मिलेगा कि जिन तर्कों को इस समय उपस्थित किया गया है उन पर व्यापक रूप से उस समय विचार किया जा सके। मैं निवेदन कर रहा था श्रीमन्, कि यह तर्क इस बात के प्रतीक हैं कि निस्संदेह उस अधिनियम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा मकान मालिक और किरायेदारों में एक संबंध स्थापित रखा जा सके, जिससे किसी के साथ अन्याय न हो और न मकान मालिक अनुचित लाभ उठा सकें, जिसे हम मुनाफाखोरी कहते हैं, सूदखोरी कहते हैं। उधर किरायेदार को भी आवास मिल सके और उचित किराया दे सके और इसके सम्बन्ध में जितने उनके अधिकार हैं वह सुरक्षित किये जा सकें। निस्संदेह मैं जानता हूं और इसको स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है कि कई बार यह कहा जाता है और खास तौर से जिसका मतलब है और माननीय मित्रों ने जिसकी ओर संकेत किया खास तौर से हमारे जनसंघ के साथियों ने, कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि शायद जो लोग मकान बनाते हैं इसमें उन लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितने लाभ की वह आकांक्षा करते थे। मैं यह भी स्वीकार करूंगा कि सचमुच इस प्रकार के विधेयकों का जो अधिनियम का रूप धारण करते हैं उनका उद्देश्य भी है कि आज के इस समाज में जिसको हम समाजवादी समाज कहने की चेष्टा करते हैं उसमें हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे मकान मालिक किराया तो ले लेकिन अनुचित लाभ न उठा सके और वह समाज का उपयोगी अंग बन सके। इसी प्रकार से किरायेदार भी किराया दें, लेकिन अनुचित लाभ न उठा सकें। इस समय तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि यह जो आज का अधिनियम है, जिसकी अवधि बढ़ाने के लिये सदन के सामने हम लोग आये हैं, इसके अन्तर्गत हम कई प्रकार के काम करते हैं। कोई मकान खाली होता है तो मकान मालिक और खाली करने वाला दोनों सूचना देते हैं। उसके बाद उसके अलाटमेंट के लिए कुछ दरख्वास्तें लगती हैं। उसके बाद अलाटमेंट होता है। यही नहीं, मकान मालिक अपने पक्ष में उस मकान को छोड़े जाने के लिये भी दरख्वास्त दे सकता है और इस प्रकार की दरख्वास्तें भी, यदि मैं उनकी संख्या इस सदन के सामने रखूं तो वह शायद उचित न हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार की दरख्वास्तें इस विधेयक के अन्तर्गत लगती हैं और उन पर कार्य भी होता है। यही नहीं कभी-कभी, जैसी कि

इस सरकार की नीति रही है, जब-जब आवश्यकता पड़े मकान मालिक इसके लिये भी दरख्वास्त दे सकता है कि वह अपनी आवश्कता के लिये अपना मकान खाली करवाना चाहता है, उस पर भी कार्य होता है। इस प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-सा कार्य होता है। अतः उसकी आवश्यकता है। केवल इस कार्य के लिये कि मकान लोगों को मिल सके हमारे यहां १९५१ से १९५७ तक ३,६४,८१४ प्रार्थना-पत्र लगे हैं और करीब १,३८,६३३ प्रार्थना-पत्रों पर लोगों को मकान दिये गये हैं। कुछ मकान कम पड़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया मकानों के बनाने में भी कुछ कठिनाइयां रही हैं। इन सब कारणों से यह आवश्यक है कि यह सदन इसकी आज्ञा प्रदान करे कि जो यह विधेयक इस समय है इसमें अवधि बढ़ा दी जाय और इसके बाद व्यापक रूप से विचार कर लें कि इसमें किन-किन चीजों की आवश्यकता है। अब तक इसमें क्या-क्या कमियां रही हैं और जहां आवश्यक हो सुधार किया जाय। उसके बाद यह सदन जिस अधिनियम को पारित करे उस पर अमल हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को लोकमत जानने के लिये जनता में १ मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन इस सदन के सामने प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२५,

विपक्ष में--१२४।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपने विरोध किया यह मान लिया गया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू०पी० ऐक्ट ३, १९४७ — विशिष्ट प्रयोजनों के लिये यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी०ऐक्ट ३, १९४७ — यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो जायेगा ;

यह इष्टकर और आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९६३ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। — १—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५८" कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने विरोध किया यह मान लिया गया। अब बोलने का समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (The U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction (Amendment) Bill, 1958)". जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (The U. P (Temporary) Accommodation Requisition (Amendment) Bill 1958) पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

*२२—८—१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

श्रीमन्, मैं इस समय इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रकार से यू० पी० कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन विधेयक का यह एक पूरक विधेयक है। कई बार ऐसा होता है और इसका अनुभव भी है कि यू० पी० टेम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट के द्वारा भी आवासों की जितनी आवश्यकता होती है, विशेष कर सार्वजनिक कार्य में आवासों की जितनी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती और इसमें कई बार कई प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन आवासों की आवश्यकता सरकार को होती है और उनके लिये बहुत अधिक विधि और उपचार में जाने से कठिनाई पड़ती है। तो जैसे भोजन का विषय है, उसके लिये गोदामों की आवश्यकता पड़ती है या कई बार इसी प्रकार के जो सार्वजनिक कार्यालय हैं उनके आवास के लिये स्थान की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये यह विधेयक है और इसमें इसकी अवधि १९५८ से बढ़ाकर १९६३ करने की मांग है।

इसके साथ में केवल इतनी बात और निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से उस विधेयक के सम्बन्ध में व्यापक विचार के लिये हम लोगों ने सदन को विश्वास दिलाया है, उसी प्रकार, यदि कोई आवश्यकता हुई तो, इसके लिये भी संशोधन यथासमय सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेंगे।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को लोकमत जानने के लिये जनता में एक मास तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, लगभग ७३ साल से हम जनता को उसके अधिकारों का पाठ पढ़ाते चले आ रहे हैं और जनता को प्रत्येक छोटी-छोटी भावनाओं के और उसके अधिकारों के नाम से ही हमने उभाड़ा और लड़ाया है। आज इस विधेयक के द्वारा एक कलेक्टर को जनता के सारे अधिकार छीन कर दिये जा रहे हैं वह देखेगा कि सूटेबिल आल्टरनेटिव एकोमोडेशन मिला है या नहीं, वह देखेगा कि जिसका मकान है उसको उसको जरूरत है या नहीं। मेरे जिले का एक उदाहरण दूं। एक वैद्य जी ने कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन विधेयक के अन्तर्गत हाई कोर्ट तक से लड़ कर एक एडवोकेट साहब से अपना मकान खाली कराया और उसके बाद वह वैद्य जी उसका दखल भी न ले पाये थे कि इस एकोमोडेशन रिक्वीजीशन के अन्तर्गत उनका मकान उनसे छीन लिया गया। जिसको आवश्यकता थी, जिसने उसके लिये हाईकोर्ट तक से मुकदमा लड़ा, उसको कोई सुविधा नहीं दी गयी। उसको आल्टरनेटिव सूटेबिल एकोमोडेशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया और वह उसी हालत में आज भी सड़ रहे हैं। यह कई साल की बात है। सन् १९४७ में जनता की जो आवश्यकतायें थीं वह आज बढ़ गयी हैं मेरे ही जिले में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके लिये डाक्टरों की राय भी है और वह चाहते हैं कि अपनी तन्दुरुस्ती के लिये अपनी कोठियां खाली करा लें, लेकिन नहीं खाली करा पा रहे हैं और कलेक्टर उनको कोई सूटेबिल एकोमोडेशन भी नहीं देते हैं। यह जानने के लिये कि उनको सूटेबिल एकोमोडेशन मिला या नहीं, कोई आज सुनने वाला नहीं है। ऐसी हालत में सरकार ध्यान दे और इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करे। यह सारा मामला एक कलेक्टर के हाथ में न दिया जाय कि वह ही निर्णय करे कि यह सूटेबिल एकोमोडेशन उसको मिला या नहीं। इसके लिये उसके स्थान पर एक कमेटी बनाई जाय। जो मामले मुआवजे या किराये के आते हैं उनको आपस में तय न करने पर कलेक्टर महोदय रेफरेंस भेजेंगे अदालत में। इसमें कोई प्राविजन नहीं है कि मकान मालिक भी अदालत में जाकर अपना मामला तुरन्त तय करा ले। इस युग में वह बड़ी कठिनाई में अपना जीवन बिता रहा है। हो सकता है कि कलेक्टर साल भर या ६ महीने के लिये टाल दें। इसलिये मकान मालिक को भी सुविधा होनी चाहिये। अपील की भी गुंजाइश होनी चाहिये। आज सम्पति के वापस करने पर अगर बाग के पेड़ काट लिये हैं या फर्नीचर को हानि पहुंचाई है तो उसे वसूल करने का कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

प्राविजन नहीं है । कलेक्टर महोदय अपनी इच्छा से आज मरम्मत की कीमत भी किराये से काट सकते हैं । इन सारी समस्याओं के लिये जनमत जानने के लिये मैं चाहता हूं कि कम से कम एक मास के लिये जनता में यह विधेयक घुमाया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के अन्दर प्रस्तुत करे । संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जावेंगे ।

जैसा अभी माननीय हिम्मतसिंह जी ने कहा, इस बिल में तानाशाही के अधिकार हमने कलेक्टर को दिये हैं जिनका वे दुरुपयोग किया करते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियमावली के अनुसार हाउस के अन्दर मन्त्री या किसी सदस्य को बाहरी आदमी से बात-चीत नहीं करनी चाहिये । त्रिपाठी जी कुछ परामर्श ले रहे हैं उनसे, जो सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---बहस के बीच में मंत्री जी अपने दफ्तर वालों से सलाह कर सकते हैं ।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट---प्रायः देखा गया है कि कलेक्टरों ने सर्वदा इस अधिकार का दुरुपयोग किया है । मैं एक उदाहरण दूं । इस ऐक्ट की धारा ३ में दो बातें आती हैं । पहली यह कि जिलाधीश अपनी अकेली राय में या पब्लिक पर्पज के लिये किसी चीज को लेना उचित समझें । इस ऐक्ट में पब्लिक पर्पज कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है तो वह ऐसा कर सकता है । इसीलिये इसका सब से अधिक दुरुपयोग होता है । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि यहां लखनऊ में एक बंगला था "ओं भवन" । उसको पब्लिक पर्पज के नाम पर सन् १९५२ में कमिश्नर ने रिक्वीजीशन किया और उसका किराया १८० रुपया माहवार तय किया । बाद में सरकार पर मुकदमा दायर हुआ और ३०० रुपये माहवार किराये की डिग्री हुई । जिसके लिये वह बंगला लिया गया था वह उच्चाधिकारी अथवा नेता भी उसमें ६ महीने तक नहीं गये । उस बंगले की मालकिन एक Lady थीं । मैं यह नहीं कहता कि यह बंगला उस अधिकारी या नेता की राय से ही लिया गया था लेकिन देखना यह है कि अफसरों या पब्लिक पर्पज के नाम पर कलेक्टर क्या-क्या कर सकता है । वह एक अबला का सामान निकाल कर फेंक सकता है । जिसको बाद में एक हजार से ऊपर डैमेजेज के देने पड़े और चार हजार से ज्यादा रुपये का सरकार को नुकसान हो गया । इस तरह से ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग होता है । इसमें आडिट आब्जेक्शन भी हो चुका है । इसलिये बिना अंकुश के कलेक्टरों को यह अधिकार दे देना कि वह यह भी डिटरमिन करें कि कौन-सा पब्लिक पर्पज है यह बहुत बड़ी गलती है और जब तक इसमें Public Purpose define नहीं होता है तब तक मन्त्री जी की कितनी ही सद्भावनायें हों उसका दुरुपयोग होता ही रहेगा । हमारा पिछला कड़ुवा अनुभव है और उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे ऐसी बातें हो जाती हैं । इसलिये अगर इसको संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जायगा तो उसमें इन बातों पर विचार हो सकता है और उसकी खामियों को दूर किया जा सकता है ।

एक तरफ तो डी० एम० को यह अधिकार दिये गये हैं कि:---

"If any person fails to comply with any order made under section 3, the court shall, on the application of the District Magistrate execute the order as if it were a decree passed by that court"

जैसा कि हिमम्त सिंह जी ने कहा—किराया, मालिक और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऐग्रीमेंट से होगा । लेकिन ऐग्रीमेंट, अध्यक्ष महोदय, होता है बराबर वालों में यहां तो एक ओर केवल

बेचारा मकान मालिक अकेला है और दूसरी ओर सारी सरकार की शक्ति है, तानाशाही ताकत है, १०० किस्म की धौंस है। बराबरी की बात इसमें नहीं हो सकती है। हां, इसमें एक चीज अच्छी रख दी गयी है कि राजीनामा अगर न हो सके तो मकान मालिक मुंसिफ के कोर्ट में जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें उसको अपील का मौका नहीं दिया गया है। हर केस में मुंसिफ के यहां भी डिग्री अपीलेबिल होती है लेकिन इसमें यह भी नहीं रखा गया है यहां तक कि अगर कोई Legal Difficulty भी आती है या कोई Illegality भी हो जाती है तो उसके खिलाफ भी कोई शख्स Revision नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा तानाशाही कानून और क्या हो सकता है। इस बिल में आप देखें, लिखा हुआ है:—

"No suit, prosecuction or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in persuance of any order made under this Act".

इसमें यह लिख दिया गया है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई तानाशाही भी की तो भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। 'गुड फेथ' एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सी गड़बड़ की चीजें आ जाती हैं। इस में कहा गया है:—

"15. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the fact consitituting such offence made by the District Magistrate".

वही डी० एम० जो सब कुछ तय करता है उसी को सरकार यह अधिकार भी देगी तो फिर क्या होगा? कोई क्रीमिनल कम्प्लेंट लाता है तो उसका दावा कैसे चल सकेगा? आगे दफा १६ में है:

"Except as provided in this Act no order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court".

श्रीमन्, यह क्या है। यह तो ऐसा लगता है कि जैसे नात्सी जर्मन द्वारा कोई कानून पास किया जा रहा है। जहां विरोध करने वालों को किसी तरह की इजाजत ही नहीं होती। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानून का दुरुपयोग करेगा। इस वजह से मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं। श्रीमन्, यह जो कहा जाता है कि ३० सितम्बर तक इसकी मियाद खत्म हो जायगी, आखिर आप इसको बाद में लायें ही क्यों अव्वल मर्तबा जब यह बिल आया तो इसमें टेम्पोरेरी शब्द लिखा हुआ था और आज भी वह टेम्पोरेरी शब्द लिखा हुआ है। टेम्पोरेरी शब्द के माने यह हैं कि यह थोड़े दिनों तक रहेगा, उसके बाद कोई जरूरत इसकी नहीं रहेगी और यह १९४७ की धारा ६ के मुताबिक अपने आप लैप्स हो जायगी। पहिली मर्तबा यह सन् १९४७ में लाया गया, फिर १९५० में और फिर १९५२ में संशोधन विधेयक आया। यानी इसकी मियाद बढ़ायी गयी और आज फिर यह कहा जाता है कि इसकी मियाद पांच साल के लिये और बढ़ा दी जाय और दलील यह दी जाती है कि चूंकि ३० सितम्बर को इसकी मियाद एक्सपायर होने वाली है, इसलिये इसको जल्दी पास कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि इसको आप एक साल पहले ला सकते थे तो गत वर्ष ही क्यों नहीं लाये जो आज मियाद खत्म होने के वक्त एक बिल लाकर फरमाते हो कि इसकी मियाद बढ़ाने की इजाजत सदन दे दे। सन् १९४७ से १९५०, फिर १९५० से १९५२, फिर १९५२ से १९५८ और १९५८ से १९६१, इस तरह से मियाद बढ़ाने की कोई दलील नहीं हुआ करती। श्रीमन्, आखिर इतना बड़ा मंत्रिमंडल है जिसमें बड़े काबिल काबिल आदमी हैं, मुझे उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि वे इस काम को करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कलेक्टर के हाथ में ही तानाशाही की ताकत रहे। इस वास्ते श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि मेरी नाचीज राय में इस बिल में बहुत संशोधन होने की जरूरत है।

जहां तक सम्मन तामीली की बात है, वह भी अजीब है। एक तरफ तो सी० पी० सी० का प्राविजन (Provision) है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि गजट में छप जाने से

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

उस सम्मन को सर्व हुआ मान लिया जायेगा । आखिर गजट कितने लोग पढ़ते हैं । जो अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं उनको सम्मन सर्व होने के बारे में काफी तजुर्बा है कि किस तरह से चपरासी सम्मन सर्व किया करते हैं। होता यह है कि किसी ने एक दो रुपया दे दिया तो पीछे ही पीछे लिखवा दिया जाता है कि सम्मन सर्व हो गया या उसके मकान के सामने चस्पा कर दिया गया, चाहे चस्पा हुआ न हो । इस तरह से जो आपका मंशा है वह पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल की अवधि एक दिन के लिये भी नहीं बढ़ानी चाहिये ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन जो इस प्रकार है पढ़ कर सुना देता हूं--

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जिसे उसकी परिधि भी विस्तृत करने का अधिकार हो । उक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत कर देवे ।"

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का है, परन्तु इसके पहले हमारे भाई गोविन्दसिंह जी ने जो संशोधन पेश किया था वह संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने का था । यद्यपि यह बिल विधान परिषद् से पारित होकर आ चुका है इसलिये मैंने इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करना उचित नहीं समझा, बल्कि इस हाउस की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का ही प्रस्ताव करता हूं और समय भी बहुत कम रखना चाहता हूं ताकि इसके पारित होने में दिक्कत न हो और माननीय मंत्री जी को भी ३० सितम्बर तक पास न होने के बारे में कोई आपत्ति न हो सके । इससे जो आपत्ति होगी वह भी न हो सकेगी ।

मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक सामने पेश है यह सचमुच ही एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी विधेयक है । माननीय मन्त्री जी ने अपने शब्दों में इसकी आवश्यकता बतलाई है लेकिन वे इसे भी मानेंगे ही कि यह विधेयक एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स विशेष अफसरों को दे देता है । लिहाजा इसकी आवश्यकता विशेष समय में होनी चाहिये । अपितु यह विधेयक सन् १९४७ से अपनी आवश्यकताओं को बतलाते हुए चला आ रहा है और ११ साल हो चुके और आज भी इसकी आवश्यकता बतलाई जा रही है । लेकिन इसके हेडिंग में टेम्पोरेरी लिखा हुआ है और टेम्पोरेरी होते हुए भी इसे इतनी अवधि हो चुकी है और मालूम नहीं कितनी अवधि और लगेगी । एक प्रकार से यह पर्मानेन्ट नेचर का बनता चला जा रहा है ।

यह विधेयक उस समय लाये जाने योग्य है जब किसी प्रकार की देश में एमरजेंसी हो । वार टाइम में इस प्रकार की एमरजेंसी हो सकती है कि सरकार को कोई खास स्थान रिक्वीजीशन करने की आवश्यकता पड़ जाय और उस समय साधारण कार्यवाही करने में अड़चन हो, लेकिन इस समय न एमर्जेन्सी है और न वार टाइम है, न इंटर्नल रीजन्स में अव्यवस्था ही है जिससे एमरजेंसी पावर्स देने की आवश्यकता हो ।

माननीय मंत्री जी ने इसे उपस्थित करते हुए यह भी कहा कि यदि संभव हो सका तो इसी प्रकार का कोई दूसरा बिल वे पेश करेंगे । उनके इस वाक्य में बहुत सी कंडीशन्स लगी हुई हैं । यदि आवश्यकता हुई और उचित समझा गया तो पेश किया जायगा । मेरा खयाल है कि सरकार को इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई भी बिल पेश करने की आवश्यकता नहीं है, न उसके मस्तिष्क में कोई तैयारी ही है । एक बिल और पेश किया गया था । इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल, उसमें भी यही आश्वासन दिया गया कि शीघ्र से शीघ्र यह नया विधेयक इस सम्बन्ध में भी पेश करेंगे । सरकार उतावलेपन के कारण ऐसा कह देती है । इसलिये कि पहिले उसने ढीलढाल की है । कोई उचित कार्यवाही उसने समय पर नहीं की है । जब २९-३० दिन रह गये हैं तो सिर्फ हाउस के सामने यह कह कर यह बिल लाये हैं कि भाई सब करो हम एक पूरा विधेयक बाद में लायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस बिल के सम्बन्ध में हमारे पूर्व वक्ता ने अनेक अंश उद्धरण देकर बतलाये और विशेष कर यह कहा कि इन विशेष अधिकारों को दे कर जनता के अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। अगर एक-एक क्लाज इस विधेयक का पढ़ा जाय तो उससे यह टपकता है कि जनता को इसमें अधिकार नहीं है, प्रत्येक जगह पर निरंकुश शासन का तजुर्बा होता है। सरकार को किसी स्थान की आवश्यकता हो तो वह उसे ले सकती है। उसकी पूर्ण सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं है और अपील करने की बात सिर्फ इतनी है कि मुंसिफ और सेशन कोर्ट तक ही अपील हो सकती है, ऊपर इसके कोई अपील भी नहीं हो सकती। फिर मुआवजा देने की बात भी इसी तरह से है। कोई भी सुनवाई एक प्रकार से इस विधेयक में अपील के जरिये नहीं है।

तो, श्रीमन्, यह हो सकता है कि यह विधेयक सरकार की निगाह में अत्यन्त आवश्यक हो, लेकिन जनता के दृष्टिकोण से हमें यह देखना होगा कि क्या सचमुच हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। जब हम यह देखते हैं कि सरकार बराबर अपने अधिकारों को बढ़ाती चली जा रही है और जनता के अधिकारों को छीनती चली जा रही है और अपील जैसी चीज भी दिखावे के लिये कानून में रखी जाती है तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार एकाधिकार चाहती है, टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट की स्थापना वह चाहती है।

मेरा संशोधन बहुत सीधा-सादा और सरल है। इसमें यह रखा गया है कि यह जो कानून है जिस पर पांच साल पहले हमने विचार किया था, आज पांच साल में इसकी स्थिति बदल चुकी है। उस पर ठंडे दिल से विचार करने के लिये हम इसे प्रवर समिति में भेजें और वहां इस पर विचार करें। विचार करने में हम ज्यादा समय भी न लें, केवल १५ दिन का समय लें। ३० सितम्बर को इसकी अवधि समाप्त होने वाली है। १५ सितम्बर तक प्रवर समिति का विचार आसानी से आ सकता है। इसलिये कोई ऐसी वजह नहीं है कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति करें। लेकिन मुझे भय है कि आज उनके पास संख्या का बल है, आज उनके साथ हाथ उठाने वाले उनके पीछे बैठे हुए हैं, इसलिये वह किसी प्रकार भी ऐसे किसी सजेशन पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे जिससे उनकी मनोवांछित इच्छा में बाधा पड़े। वह तो चाहते हैं कि आज अभी इसी क्षण यह पास हो जाय, इसके भीतर जो भीषण बातें हैं उनका उद्घाटन भी न हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति उचित नहीं है। अगर वह विरोधी पक्ष की राय सुनना नहीं चाहते, ठंडे दिल से विचार नहीं करना चाहते, तो हम यही कहेंगे कि यह आपकी जल्दबाजी, जिद और एकतंत्र है।

इस बिल के सम्बन्ध में मैं अनेक बातें कह सकता था और एक-एक क्लाज के बारे में विस्तृत रूप में कह सकता था, लेकिन मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। समय भी सीमित है और उस सीमित समय में अनेक लोगों को अपनी बात कहनी है। मैं केवल इतना कहकर क अपना कर्त्तव्य पूरा कर दना चाहता हूं कि इस प्रकार क जो विशेषाधिकार दन वाल बिल हैं जो विशेष आवश्यकता के लिये लाये जाते हैं और जिनको बार-बार टेम्पोरेरी कहा जाता है, लेकिन बार-बार उनकी अवधि बढ़ायी जा रही है, यह अनुचित है, इसमें किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। आज हम प्रजातांत्रिक प्रणाली की दुहाई देते हैं, मन्त्री जी बार-बार समाजवाद की भी दुहाई देते हैं, लेकिन उनकी कृति ठीक उसके विपरीत हुआ करती है। मैं उनसे एक डाइरेक्ट सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में लिखे हुए टम्पोरेरी शब्द का अर्थ हम यह निकालें कि यह सचमुच ही टेम्पोरेरी है? क्या मन्त्री जी हमें कोई अवधि ऐसी बता सकते हैं जिस अवधि के बाद इस प्रकार का बिल अनावश्यक हो जायगा। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न मैं उनसे करने वाला था रेंट कंट्रोल के बारे में। क्या वह कोई ऐसी अवधि बता सकते हैं कि जिस अवधि में कि वह किसी प्रकार का रेंट कंट्रोल करना अनावश्यक समझेंगे? उनको चाहिये कि जिस प्रकार के वह सुधार सोचते हों, उन स्थायी सुधारों के बारे में यह कह सकें कि इतने समय तक के लिये यह है और इसके बाद का उनके सामने कोई नक्शा हो कि इस अवधि के पश्चात्

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वह अपना पूरा-पूरा काम करके दिखा सकेंगे। आज वह कोई बाध्यता नहीं लेना चाहते कि हम इस अवधि के भीतर इस चीज को पूरा कर लेंगे और फिर किसी तरह का कंट्रोल या रिक्वीजीशन करने की बात नहीं रह जायगी। मैं उनको काल करता हूं, उनसे चाहता हूं कि वह इस प्रकार से अपना स्पष्टीकरण जरा करें कि इस विशेषाधिकार लेने वाले कानून की अनावश्यकता कब आयेगी? दस साल में, बीस साल में, पचास साल में या सौ साल में, कब वह तिथि होगी इसको वह हमारे सामने रखें।

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आज वह इस सदन के ऊपर विश्वास करें और विश्वास के साथ बात करें। यों नहीं कि अगर सम्भव हो सका तो पेश किया जायगा। इसमें दो दो 'अगर' लगे हुए हैं। भविष्य की बात में भी भविष्य छिपा हुआ है। यह न होकर के स्पष्ट बात होनी चाहिये कि इतने दिनों के लिये उनको आवश्यकता है जिसके लिये कि हम उनको अधिकार दें। अतः मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि मेरा बहुत छोटा-सा सरल संशोधन जो है उसको स्वीकार करें। पन्द्रह दिन में जरा प्रवर समिति के सदस्यों को भी अपनी सम्मति देने का मौका दें ताकि वह आप को बता सकें कि मूल अधिनियम में जो कि पांच साल पुराना है, उसमें कौन-कौन से संशोधन आज लाने की आवश्यकता है। यह न करें कि आज उसको जल्दी पारित करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी उसमें संशोधन लाने का भी मौका लोगों को नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---श्री भगवतीसिंह विशारद, आप अपना संशोधन तो उपस्थित नहीं करेंगे, लेकिन भाषण देंगे। उपस्थित तीन संशोधनों में सब संशोधन आ गये।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---प्रध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए जो यह उद्देश्य और कारण बताये हैं उनसे मैं अपने को असहमत पाता हूं और वह इसलिये कि सबसे पहले पहल हमारे इस प्रदेश में इस अधिनियम का प्रचलन १९४७ में हुआ था और १९४७ में मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सदन में उसके जो उद्देश्य और कारण बताये थे, आज हमको पुनः उन उद्देश्य और कारणों को जानने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। उन उद्देश्य और कारणों को सदन में प्रस्तुत करते हुए मन्त्री जी ने कहा था कि :

"The shortage of accommodation, which was already acute in the (Uttar Pradesh) has become more acute now because of the large influx of refugees. Government at present do not exercise any powers for requisitioning accommodation except for storage of foodgrains. To provide accommodation for the refugees who are still arriving in thousands, and for other essential demands it is necessary that the (State) Government provide for such powers".

तो मान्यवर, इस प्रकार आप देखेंगे और आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को भी इस तथ्य की जानकारी है कि १९४७ में देश के विभाजन के कारण प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से हजारों की संख्या में शरणार्थी भाई आये थे। उनके रहन की सुविधा के लिये हमारा कर्तव्य था और प्रदेश की सरकार का भी यह कर्तव्य था कि वह उनके लिये इस तरह की कोई समुचित व्यवस्था करती कि जिसमें वह किसी प्रकार अपने को यहां पर बसा सकते। उस समय इस प्रकार के जो अधिकार सरकार ने प्राप्त किये थे, न्याय संगत थे, उनका औचित्य था। लेकिन जिस औचित्य और जिस न्याय के आधार पर १९४७ में जो कानून बनाया गया और उसको निरंतर ११ साल तक चलाने के बाद आज सरकार की ओर मंत्री जी केवल इतना ही कहते हैं कि ".....कार्यालयों और कर्मचारियों के लिये आवास प्राप्त कर लेना सदैव सम्भव नहीं होता है।"

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के १९५७ के द्वितीय सत्र में कृत-कार्यों के संक्षिप्त सिंहावलोकन में छपी सूची के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--मुझे सदन को एक सूचना देनी है इस कारण कि इसके बारे में वर्तमान पत्रों में भी कुछ आंकड़े छाप दिये गये थे इसलिये कुछ ब्यौरे से सूचना देने की आवश्यकता हुई।

हमारे सचिवालय ने माननीय सदस्यों को एक पुस्तिका वितरित की है जिसका नाम "उत्तर प्रदेश विधान सभा के १९५७ के द्वितीय सत्र में कृत-कार्यों का संक्षिप्त सिंहावलोकन" है। इस पुस्तिका के अन्त में उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान सभा (१९५२-५७) में किये गये विभिन्न कार्यों की सूची छपी है। उक्त सूची में यह दिखाया गया है कि इन पांच वर्षों में ३५६ कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाये गये जो सब के सब अस्वीकृत हुए। इसमें यह बात स्पष्ट नहीं की गयी कि कितने प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा वैध घोषित किये गये और कितने अवैध करार दिये गये। इन पांच वर्षों में ३४ कार्य-स्थगन प्रस्ताव ऐसे प्रस्तुत किये गये थे, जो अध्यक्षासन से वैध करार दिये गये जो कि सदन की अनुमति न मिलने के कारण उपस्थित न किये जा सके। इनके अलावा ३२२ अध्यक्षासन से अवैध करार दिये गये। इस प्रकार ३५६ प्रस्तावों में से किसी पर भी विवाद न हो सका, यानी ३५६ अवैध करार नहीं दिये गये थे। ३४ वैध करार दिये गये थे, लेकिन सदन की अनुमति न मिल सकने के कारण उपस्थित न किये जा सके। शेष ३२२ अवैध करार दिये गये थे। इस प्रकार पांच वर्षों में किसी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद नहीं हो पाया, यह सूचना मैं देना चाहता हूं। तो चूंकि अखबारों में जो बात छप गयी थी तो उससे भ्रम हो सकता था। वह भ्रम मैं समझता हूं कि अब सदस्यों का मिट जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१ सितम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर।)

क्रम-संख्या	विद्यालयों के नाम	१९५७-५८ में दिया गया सरकारी अनुदान
	बालकों के उच्चतर माध्यमिक	रु०
१	डी० ए० वी०, उरई	२७,९००
२	माधोराव सिंधिया व्यास, कालपी	१७,५१६
३	एस० आर० पाठक, ए० वी०, कोंच	१४,४५१
४	छत्रसाल	२०,३६८
५	सामर सिंह, रामसिंह	७,३१२
६	गांधी, उरई	२०,८६४
७	बुन्देलखंड, बीरनगर, माधोगढ़	६,४१८
८	अभिमन्यु, कैलाशनगर	४,३६०
९	बुन्देलखंड, कोटरा	५,४४४
१०	जनता विद्यामन्दिर, उरई	६,०७१
११	सेठ थक्कर बापू हरिजन विद्या भवन, कालपी	१,०००
	बालकों के पूर्व माध्यमिक विद्यालय	
१२	श्री महात्मा गांधी ए० वी० कुदारी .. .	१,०००
१३	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरदोई गूजर	४००
	बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	
	आर्य कन्या, ओरई	११,४४८
	बालिकाओं के पूर्व माध्यमिक विद्यालय	
	आर्य कन्या पाठशाला, कालपी	४,६८०
	संस्कृत पाठलाओं के नाम	
१	श्री संस्कृत कालेज, डिप्टीगंज, उरई	१,८५०
२	आदर्श संस्कृत शंकर महाविद्यालय, कुठौन्द	१,२२८
३	संस्कृत पाठशाला, कोंच	१,४४४
४	व्यास क्षेत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कालपी ..	२,००२
	द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम योजना ९ के अन्तर्गत खुले नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय	
१	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, छयांक	३,६८३
२	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मीदीगांव	१०,७५०
	शिशु विद्यालय	
१	मांटेसरी स्कूल, ओरई, जालौन	५००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर ।)

अप्रैल, १९५७ की बैठकों में विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा की गई संस्तुतियां तथा उस पर सरकार द्वारा पास की गई आज्ञायें

संस्तुतियां	आज्ञायें
१—एक नये छात्रावास के निर्माणार्थ तथा विद्यमान छात्रावास के परिवर्द्धन के लिये स्वीकृत १०,००० रुपये के अनावर्त्तक अनुदान के साथ कालेज को मैंचिंग (आनुपातिक) अनुदान के प्रतिबन्ध से मुक्त करने के लिये मेरठ कालेज, मेरठ की प्रार्थना पर उक्त समिति ने सरकार से यह संस्तुति की कि वह कालेज को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त करे, क्योंकि इसने इसके पूर्व ही अपने पास से स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कर दिया है...	अस्वीकृत ।
२—१९५६-५७ में एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा को ५,००० रुपये का एक अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था । समिति ने सरकार से यह संस्तुति की कि वह जैसा कि कालेज द्वारा प्रार्थना की गई कक्षा के कमरा आदि के निर्माणार्थ लिये गये ऋण के भुगतान के हेतु अनुदान का उपयोग करने के लिये कालेज की अनुमति दे दे.... ..	स्वीकृत ।
३—१९५६-५७ में मेरठ कालेज मेरठ की एक नलकूप (ट्यूब वेल) के लिए ६,००० रुपये का एक अनावर्त्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था इस कालेज के प्रधानाचार्य ने यह प्रार्थना की कि कालेज को उतनी ही धनराशि अंशदान के रूप में देने के प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाय । समिति ने सरकार से यह संस्तुति की कि वह कालेज की प्रार्थना को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है.. ..	स्वीकृत ।
४—इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने इंस्टीट्यूट आफ आर्कियोलाजी के अनुदान के लिये प्रार्थना की । समिति ने रजिस्ट्रार के पत्र को सरकार के पास भेजने का इस विचार से निश्चय किया कि रजिस्ट्रार के पत्र में वर्णित तथ्यों की दृष्टि से तथा प्रस्तावित संस्था को वित्तीय सहायता देने में केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये आश्वासन की दृष्टि से राज्य सरकार के ऊपर अधिक भार नहीं पड़ेगा जब कि राजकीय वित्तीय सहायता से विश्वविद्यालय ने इसके पूर्व स्तुत्य कार्य किया है, इसलिये उक्त संस्था की स्थापना के लिये सहायता करना उचित है..	अस्वीकृत ।
५—१७ अप्रैल, १९५७ की राजाज्ञाओं के प्रसंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया गया कि उसे विश्वविद्यालय की उन योजनाओं तथा प्रस्तावों को जिनमें आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक प्रकार का व्यय हो भविष्य में राज्य विश्वविद्यालय अनुदान समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान आयोग को अग्रप्रेषित करना चाहिये । इस संबंध में यह भी निश्चय किया गया कि समिति सरकार को यह सुझाव देती है कि वे केवल ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में जिनमें राज्य को मैंचिंग (आनुपातिक) अनुदान देना अपेक्षित हो अपने निर्देश विश्वविद्यालय को दे । किन्तु यदि विश्वविद्यालय सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बिना राज्य सरकार के मैंचिंग (आनुपातिक) अनुदान की आग्रह के, अनुदान प्राप्त कर सके तो विश्वविद्यालय विकास के हित में ऐसी योजनाओं	

संस्तुतियां	आज्ञायें
के चलाने में विश्वविद्यालय को स्वतंत्र रहने देना चाहिये और राज्य सरकार को इसमें बाधक न होना चाहिये, क्योंकि ऐसी योजनाओं के चलाने में राज्य सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। समिति की यह धारणा है कि उपर्युक्त राजाज्ञा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य विश्वविद्यालय सम्मिलित होंगे ..	स्वीकृत।
६—डी० ए० वी० कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य की प्रार्थना जो कि १९५६-५७ में कालेज के लिये स्वीकृत ४,००० रुपये का अनावर्त्तक अनुदान के उपयोग का समय ३० जून, १९५८ तक बढ़ाने के सम्बन्ध में है, समिति की संस्तुति के सहित राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजी गई	स्वीकृत।
७—समिति की संस्तुति पर शिबली कालेज, आजमगढ़ को उपस्कर के क्रयार्थ १,१०० रुपये का अनावर्त्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था। कालेज की यह प्रार्थना कि इस अनुदान में अपने भाग को मिलाकर पूर्व में इस कार्य के लिये लिये गये ऋण को भुगतान में उपयोग करने की समिति ने अनुमति नहीं दी	स्वीकृत।
८—स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा बेसिक विज्ञान की खोज की सुविधाओं के सम्बन्ध में ६ डिग्री कालेजों को १,००,००० रुपये के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में २ मार्च, १९५७ की राजाज्ञा के प्रसंग में समिति ने डिग्री कालेजों के वैज्ञानिक यन्त्रों के क्रयार्थ अनुदानों की संस्तुति करते समय छः डिग्री कालेजों के मामलों पर विचार नहीं किया, क्योंकि इसने यह अनुभव किया कि इन कालेजों के वैज्ञानिक विकास के लिये सरकार द्वारा १,००,००० रुपये की सुरक्षित धनराशि इन्हें दे दी जायगी यह एक लाख रुपये की धनराशि डिग्री कालेजों के लिये तीन लाख रुपये अनावर्त्तक अनुदान का एक भाग थी और यदि इस धनराशि के वापस करने के लिये कहा जाय तो इससे तीन लाख रुपये की धनराशि में स्वयम् कमी हो जायगी	स्वीकृत।
९—छात्रावास के कमरे के सामने १० फीट चौड़े बरामदे के स्थान पर ८ १/२ फीट चौड़े बरामदे के निर्माणार्थ कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी तथा इसे एक विशेष मामले के रूप में सरकार के पास संस्तुति सहित भेजा गया ..	स्वीकृत।

पी० एस० यू० पी ए० पी०—१४५एल० ए०—१९५८—८३७।